लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र]
[Seventh Session]

[खंड 26 में अंक 21 से 30 तक हैं]
[Vol. XXVI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 28—बुधवार, 26 मार्च, 1969/5 चैत्र, 1891 (शक)
No. 28—Wednesday, March 26, 1969/Chaitra 5, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
723.	राज्य की योजनाओं में खर्च की अधिकतम सीमा — Plan ceilings for States	2—7
724.	राष्ट्रीय आय और औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य — Targets for National Income and Industrial Production	7—11
727.	भारतीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलों का कार्यकरण — Working of Textile Mills taken over by the Textile Corporation of India	11—15

अल्पसूचना प्रश्न — SHORT NOTICE QUESTIONS

10.	दक्षिण पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर का घेराव — Gherao of General Manager of South Eastern Railway	15—20

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

721.	उर्वरक खरीदने के लिये सरकारी दल की अमरीका यात्रा — Official Team's Visit to USA for purchase of Fertilisers	20—21
722.	अरंडी के तेल का निर्यात — Export of Castor Oil	—21
725.	नेपाल को सहायता — Aid to Nepal	21
726.	राज्य व्यापार निगम — State Trading Corporation	22
728.	अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद् की बैठक — Meeting of International Coffee Council	22

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
729. भारतीय पटसन के निर्यात में कमी	Decline in Export of Indian Jute	22—23
730. मलयेशिया को भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल	Indian Industrial Delegation to Malaysia	23—24
731. आयात/निर्यात लाइसेंसों सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन	Violation of Regulations of Import/ Export Licences	24
732. पटसन के माल का निर्यात	Export of Jute Goods	24—25
733. भारतीय माल के लिए विदेशों में प्रदर्शन कक्ष	Show Rooms Abroad for Indian Goods	26
734. मोदी फेब्रिक्स, मोदी नगर	Modi Fabrics, Modinagar	26
735. अंगोला तथा अन्य अफ्रीकी देशों के स्वतन्त्रता सेनानियों को सहायता	Help to Freedom Fighters of Angola and other African Countries	26—27
736. पाकिस्तान को परमाणु अस्त्रों की सप्लाई	Nuclear arms for Pakistan	27
737. 1962 में चीन द्वारा आक्रमण किये जाने के कारण	Reasons for Chinese Invassion in 1962	27
738. हिमालयन माउन्टेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में की गई अनियमितताएं	Irregularities Committee in Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling	27—28
739. पश्चिम एशिया के बारे में रूस के शान्ति प्रस्ताव	Soviet Peace proposals on West Asia	28—29
740. भारत से होकर नेपाल जाने वाली पाकिस्तान की एक रेलवे लाइन की मरम्मत	Repair of a Pak Railway line for Passage to Nepal through India	29
741. लौह अयस्क का हल्दिया पत्तन से जहाजों द्वारा भेजा जाना	Shipment of Iron Ore from Haldia Port	29—30
742. राष्ट्रमंडलीय सचिवालय में भारतीय कर्मचारी	Indian Officials in Commonwealth Secretariat	30
743. टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T.V. Sets	30

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
744.	अवास्तविक निर्यात	Bogus Exports	31
745.	संयुक्त राष्ट्र चार्टर	UN Charter	31
746.	पाकिस्तान को अमरीकी विमानों की सप्लाई	Supply of US Planes to Pakistan	31
747.	भारत और पूर्वी जर्मनी के बीच व्यापार समझौता	Trade Agreement between India and East Germany	31—32
748.	राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे पटसन की बिक्री	Sale of Raw Jute by STC	32
749.	पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति के दावेदारों को मुआवजा	Compensation to claimants of properties confiscated by Pakistan	32—33
750.	भारत का लिपजिग मेले में भाग लेना	India's participation in Leipzig Fair	33

अतारांकित प्रश्न संख्या
U. S. Q. Nos.

4409.	गुजरात में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-servicemen in Gujarat	33—34
4410.	छिपे नागाओं द्वारा सैनिक अधिकारियों की हत्या	Killing of Army Officers by Underground Nagas	34
4411.	यूनाइटेड प्राविंसेज कामर्शियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	United Provinces Commercial Corporation	34—35
4412.	श्रीलंका से नारियल के तेल की तस्करी	Smuggling of Coconut oil from Ceylon	35
4413.	राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किये गये सूती कपड़े का पुनर्निर्यात	Re-Export of Cotton Textile exported by STC	35—36
4414.	भारतीय माल को लोकप्रिय बनाने के लिए जहाजों में प्रदर्शनियों का आयोजन	Floating Exhibition to popularise Indian Goods	36—37
4415.	दार्जिलिंग में निवास भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा	Compensation for Acquisition of Homestead Land in Darjeeling	37

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4416. विदेशी भाषाओं के स्कूल में प्राध्यापकों की सेवा की शर्तें	Working conditions of lecturers in the school of Foreign Languages	37—38
4417. विदेशी भाषाओं के स्कूल में पुस्तकालय	Library in the School of Foreign Languages	38—39
4418. विदेशी भाषाओं के स्कूल के प्राध्यापक	Lecturers in the School of Foreign Languages	39
4419. भारत में माओवादी साहित्य	Mao literature in India	39
4420. उत्तर कोरिया को निर्यात किये गये अयस्क का भुगतान	Payment for export of ores of North Korea	40
4421. सीरिया के साथ व्यापार करार	Trade agreement with Syria	40
4422. रूस और अमरीका द्वारा जासूसी के काम के लिए अन्तरिक्ष का प्रयोग	Use of Space by Russia and USA for spying purposes	40—41
4423. भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि का आवंटन	Allotment of Agricultural Land to Ex-servicemen	41
4424. इण्डियन रेअर अर्ज लिमिटेड	Indian Rare Earths Limited	41
4425. आयुध कारखानों आदि में नियुक्त महाप्रबन्धक तथा अन्य उच्च अधिकारी	General Managers and other High Officers appointed in ordnance Factories	41—42
4426. प्रतिरक्षा सेना में काम करने वाले अधिकारियों के लिए पहचानपत्र	Identity Cards for Officer Working in Defence Force	42
4427. सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों के लिए पहचानपत्र	Identity cards for Retired Army Officers	42
4428. नौसेना मुख्यालय के साथ पत्र व्यवहार	Correspondence with Naval Headquarters	42—43
4429. हिन्द महासागर में रूसी नौ बेड़े की मौजूदगी	Soviet presence in Indian Ocean	43
4430. लार्ड माउन्ट बैटन द्वारा दिये गये नेहरू भाषण माला के भाषण	Nehru memorial lectures delivered by Lord Mountbatten	43

*ता० प्र० सख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4431. भारतीय दूतावासों के अध्यक्षों की नियुक्ति	Appointment of Heads of Indian Diplomatic Missions	43—44
4434. नौसेना मुख्यालय में प्राप्त गुजराती और मराठी भाषा में आवेदन	Applications received in Naval Headquarters in Gujarat and Marathi	44
4435. तारापुर परमाणु बिजली केन्द्र	Tarapore Atomic Power Station	44
4436. पश्चिमी एशिया के देशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों का सम्मेलन	Conference of Indian Ambassadors West Asia	45
4437. ट्रांसमीटरों का निर्माण	Manufacture of Transmitters	45
4438. हज यात्री	Haj Pilgrims	45—46
4439. रेडियो पेकिंग द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda by Radio Peking	46—47
4440. इसरायल द्वारा परमाणु शस्त्र बनाये जाना	Development of Nuclear Weapons by Israel	47
4441. कच्छ और भारत पाकिस्तान संघर्ष में मारे गये गुजरात के सैनिक	Deceased Army Personnel belonging to Gujarat in Kutch and Indo-Pak. Conflict	47
4442. ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयोग में लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अनियमितताओं का पता लगाना	Irregularities detected by Audit Deptt. in indian High Commission, U.K.	47—48
4443. श्री त्रिलोक चन्द गुप्त की रिहाई	Release of Shri Trilok Chandra Gupta	48
4444. 1965 में पाकिस्तान का आक्रमण	Pakistani Invasion in 1965	48—49
4445. आयुध कारखाने	Ordnance Factories	49
4446. आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को पुनः वेतन देना	Reimbursement of Pay to INA Soildiers	49
4447. उत्तर कोरिया के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with North Korea	49—50
4448. आजाद हिन्द सरकार का रजत जयन्ती समारोह	Silver Jubilee Celebrations of the Azad Hind Government	50—51

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4449. बर्मा में घिरे हुए विद्रोही नागाओं की सहायता के लिए चीन बर्मा सीमा के समीप चीन की सप्लाई चौकियां	Chines Supply Posts near Sino-Burmese Border to help Naga rebels stranded in Burma	51
4450. मध्यावधि चुनावों के दौरान मंत्रियों द्वारा प्रयोग में लाये गये भारतीय वायु सेना के विमान	Indian Air Force Planes used by Ministers during Mid Term Elections	51—52
4451. लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	52
4452. बर्मा को कपड़ा मशीनों की सप्लाई	Supply of Textile Machinery to Burma	52
4453. भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए कार्यकर्ता	Welfare Workers for Ex-Servicemen and Servicemen's Families	53
4454. तेजी से काम करने वाले संगणकों का निर्माण	Production of Fast Computers	53
4455. दक्षिण वियतनाम में भारतीय सैनिक दस्ता	Indian Military Contingent in South Vietnam	54
4456. पाकिस्तान के सैनिक विमानों का भारत से होकर उड़ाना	Pakistani Military Aircrafts Flown *via* India	54
4457. तारापुर अणु बिजली घर	Tarapore Atomic Plant	54—55
4458. गैर सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारी	Retired Defence Services Officers employed in Private or Pubilc Sector Undertakings	55
4459. वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग	International Control Commission in Vietnam	55
4460. अन्य देशों के माध्यम से पाकिस्तान के पास अमरीकी टैंकों का पहुंचना	American tanks reaching Pakistan through other countries	55—56
4461. इण्डोनेशिया के साथ संबंध	Relations with Indonesia	56—57
4462. पटसन का निर्यात	Export of Jute	57

अता॰ प्र॰ संख्या	विषय		पृष्ठ
U. S. Q. Nos.		Subject	Pages
4463.	भारत और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के बीच आर्थिक सहयोग	Indo-G.D.R. Economic cooperation	58
4464.	नेपाल से आयात	Exports from Nepal	58
4465.	सीलोन इक्नामिक लिब्रेशन मूवमेंट का भारतीय राष्ट्रजनों पर कुप्रभाव	Ceylon Economic Liberation Movements' effect on Indian Nationals	58—59
4466.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हानि	Loss suffered by MMTC	59
4467.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का दूसरा कारखाना	Second Unit of Bharat Electronics Limited	59
4468.	जापान को व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegation to Japan	60
4469.	दार्जिलिंग चाय बागानों में बाढ़ और भू-सखलन से क्षति	Loss due to floods and landslides in Darjeeling Tea Estates	60—61
4470.	व्यापारिक फसलों की जिंसों का निर्यात	Export of products of commercial crops	61
4471.	समुद्रजन्य पदार्थों का निर्यात	Export of Marine Products	61—62
4472.	एशियाई आर्थिक समाज बनाना	Formation of an Asian Economic community	62
4473.	श्रीलंका द्वारा निर्मित औद्योगिक माल के लिए बाजार	Market for Industrial goods manufactured by Ceylon	62—63
4474.	अखिल भारतीय औषध तथा भेषज सिर्माता संघ	All India Drugs and Pharmaceuticala Manufacturers Association	63
4475.	भारत नेपाल व्यापार संधि	Indo-Nepal Trade Treaty	63
4476.	जापान को लोह युक्त मेंगनीज का निर्यात	Export of Iron bearing Manganese to Japan	63—64
4477.	विशाखापत्तनम में दूसरा नौसैनिक बेड़ा	Second fleet at Visakhapatnam	64
4478.	राज्य व्यापार निगम द्वारा कमाया गया लाभ	Profit Earned by STC	64—65
4479.	विकास दशाब्दि समिति में पश्चिमी जर्मनी को शामिल करना	Inclusion of West Germany in Development Decade Committee	65

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4480. भारतीय परामर्शदातृ सेवाएं	Indian Consultancy Services	65—66
4481. अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ की कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा अनिश्चित भूख हड़ताल का निर्णय	Indefinite hunger strike decision by All India Defence Employees Federation	66—67
4482. सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को बहाल करना	Rein statement of Employees who participated in the September, 1968 strike	67
4483. प्राकृतिक रबड़ का आयात	Import of Natural Rubber	67—68
4484. उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	68
4485. मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas of M.P.	68
4486. मध्य प्रदेश में शक्ति चालित करघे	Powerlooms in M.P.	68—69
4487. थाईलैंड के साथ व्यापार	Trade with Thailand	69
4488. निपुण शिल्पियों को पैंशन के लाभ	Pension Benefits to Master Craftsmen	69
4489. प्रतिरक्षा मंत्रालय में इतिहास अनुभाग	Historical Section in Ministry of Defence	69—70
4490. भारत पाकिस्तान संघर्ष में कमाँडरों की कार्य-कुशलता	Performance of commanders in Indo-Pak War	70—71
4491 यूरोप में नये निर्बाध व्यापार क्षेत्र के बारे में सोमेस डी गोल वार्ता	Soames de Gaulle talk on new free Trade Area in Europe	71—72
4492. लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के प्रतिनिधियों की गतिविधियां	Activities of ICC Delegates in Laos	72
4493. माल वाहक और यात्री विमानों का निर्माण	Manufacture of Commercial and Passenger Aeroplanes	72—73
4494. अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भारतीय अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the Indian Chairman of International Control, Commission	73
4495. भारतीय चाय उद्योग पर बरुआ समिति का प्रतिवेदन	Report of Borooah Committee on Indian Tea Industry	73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4496. नक्ली धागे के आयात के लिए वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों का हस्तांतरण	Transfer of actual Users Licences for Import of Synthetic Yarn	74
4497. प्राग टूल्स लिमिटेड में बेकार पड़ी आयातित मशीनें	Imported Machines remaining idle in praga tools Ltd.	74—75
4498. यात्री विमानों के पुर्जों का निर्माण	Manufacture of spare parts of Aircrafts	75
4499. भारत का कुल क्षेत्र	Total area of India	75
4500. रबड, पटसन और चाय के उत्पादन में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in production of rubber, Jute and Tea	75—77
4501. आयात निर्यात लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of import/Export Licences	77
4503. इस्राइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with Israel	77
4504. ताशकन्द घोषणा की क्रियान्विति	Implementation of Tashkent Declaration	77—78
4505. लाख बोर्ड	Lac Board	78
4506. रूस, इटली, फ्रांस और जापान के साथ व्यापार वार्ता	Trade Negotiations with USSR, Italy, France and Japan	78—79
4507. पटसन का उत्पादन	Production of Jute	79
4508. थुम्बा राकेट सेंटर से छोड़ा गया सेंटोर राकेट	Centaur Rocket launched at Thumba Rocket Centre	80
4509. छावनी बोर्डों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र	Resignations by Elected Members of Cantonment Boards	80—81
4510. छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924	Cantonment Board Act, 1924	81
4511. इंडियन मिलिटरी अकादमी परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता	Eligibility for appearing in IMA Examination	81—82
4512. विदेशी भाषाओं के स्कूल में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in School of Foreign Languages	82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4513. आयुध कारखानों में निर्मित बन्दूकें	Guns Manufactured in Ordnance Factories	82—83
4515. सैनिक कृषि फार्म	Military Agricultural Farms	83
4516. आयुध कारखानों में तकनीकी कर्मचारी	Technical Hands in Ordnance Factories	83
4517. प्रतिरक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के असैनिक प्रशिक्षु	S.C. and S.T. Civilian apprentices in Defence Establishments	83—84
4518. केन्द्रीय सेवाओं का गठन	Constitution of Central Services	84
4519. भारत में राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करना	Holding of commonwealth Prime Ministers' Conference in India	84
4520. संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अधिवेशनों के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का चयन	Selection of Indian Representatives for UNO Sessions	84—85
4521. सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया वैदेशिक व्यापार	Foreign Trade Undertaken by Public Sector	85
4523. मध्य प्रदेश में लोगों को आयातित कारों की बिक्री	Sale of Imported Cars to Individuals in Madhya Pradesh	86
4524. हीरों, कीमती पत्थरों, आदि का विक्रय	Sale of Diamonds, Precious Stones etc.	86—87
4525. कांगड़ा जिले में कांद्रोरी रेलवे स्टेशन के निकट अर्जित की गई भूमि का मुआवजा	Compensation given for Land Acquired near Kandrori Railway Station, Kangra Distt.	87
4526. भूमि, श्रमिकों तथा कारखानों की क्षमता का अप्रयोग	Idle Capacity of Land, Labour and Plant	87—88
4528. मलयेशिया और सिंगापुर के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with Malaysia and Singapore	88
4529. निर्यात के लिए प्रोत्साहन	Export Incentives	८८

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4530. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income According to National Sample Survey Findings	89
4531. नेपाल द्वारा भारतीय अभ्रक का पुनः निर्यात	Re-Export of Indian Mica by Nepal	89
4532. नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in Urban and Rural Areas	90
4533. रूई का मूल्य	Price of Cotton	90
4534. भारत तिब्बत सीमा पर चीनी सेना की लामबन्दी	Mobilisation of Chinese Army along Indo-Tibetan Border	90—91
4535. सुनाबेडा, जिला कोरापुट (उड़ीसा) में मिग विमान कारखाने में स्थानीय लोगों को रोजगार देना	Employment of Local People in MIG Factory at Sunabeda in Koraput District (Orissa)	91
4536. नेपाल द्वारा भारतीय कपड़े का पुनः निर्यात	Re-Export of Indian Textiles by Nepal	91—92
4537. नेपाल तथा अन्य देशों को व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Trade Delegations to Nepal and other Countries	92
4538. स्कूलों में सैनिक अध्ययन लागू करने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Military studies in Schools	93
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	93—98
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को सुरक्षा कर्मचारियों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Firing by Central Reserve Police Force on the Security Personnel of Durgapur Steel Plant	93
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	98—99
संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक पर मतदान	Voting on Constitution (Twenty-second Amendment) Bill	99
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	99—100
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	100
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	100
46वां प्रतिवेदन	Forty sixth Report	100

विषय	Subject	Pages
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	100
78वां प्रतिवेदन	Seventy-eight Report	100
लोक पाल और लोक आयुक्त विधेयक	Lok Pal and Lok Ayuktas Bill	100—101
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of Joint Committee	101
साक्ष्य तथा ज्ञापन	Evidence ; and Memoranda	101
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants	101—133
गृह-कार्य मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	101
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	112—114
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	114—115
श्री एस० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	115—117
श्री राने	Shri Rane	117—118
श्री राम गोपाल शालवाले	Shri Ram Gopal Shallwale	118—119
श्री गंगा रेड्डी	Shri Ganga Reddy	119—120
श्री निहाल सिंह	Shri Nihal Singh	120
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	120—122
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	122
श्री कुशोक बाकुला	Shri Kushok Bokula	123—124
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	124—126
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	126—127
श्री केदार पास्वान	Shri Kedar Paswan	127—128
डा० पी० मण्डल	Dr. P. Mandal	128—129
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	130—131
श्रीमती इलापाल चौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri	131—132
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	132—133
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	133
आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	133
मैसूर के लिए आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण	Income tax appellate tribunal for Mysore	133—139
श्री वेणीशंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	133—136
श्री मु० यूनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	136—139

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 26 मार्च, 1969/5 चैत्र, 1891 (शक)
Wednesday, March 26, 1969/Chaitra 5, 1891 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न लिये जायेंगे ।

एक माननीय सदस्य : वह अनुपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० श्रीधरन ।

एक माननीय सदस्य : वह भी अनुपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा-अनुपस्थित हैं । अब अगला प्रश्न लेंगे श्री सुदर्शनम

एक माननीय सदस्य : अनुपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री जि० ब० सिंह—श्री श्रीचन्द गोयल श्री ओंकार सिंह—श्री शारदा नन्द ।

श्री शारदा नन्द : प्रश्न संख्या 723.

उप-मन्त्री (श्रीमति नन्दिनी सत्पथी) : (क) यह सच है कि कुछ राज्य संतुष्ट नहीं हैं...

श्री कंवर लाल गुप्त : प्रधान मन्त्री कहाँ हैं ?

श्री सु० कु० तापड़िया : उप-मन्त्री उत्तर पढ़ सकती हैं किन्तु प्रधान मंत्री को उपथित होना चाहिये । माननीया उप-मन्त्री पहले भी ऐसा करती रहीं हैं किन्तु प्रधान मन्त्री जी उपस्थित अवश्य रहती थी ।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is happening first time since the reshuffling has taken place. The Prime Minister should have replied to the question by herself.

श्री पीलु मोदी : आश्चर्य है, क्या रात भर में ही परिवर्तन हो गया ।

Shri Madhu Limaye : It seems that she is not interested in the Parliament business. Sometimes she does not come and does not speak. Yesterday there was so much chaos in the Parliament and even than she is not present here to-day....She is coming now.

राज्यों की योजनाओं में खर्च की अधिकतम सीमा

+

*723. **श्री शारदा नन्द :**
श्री जि० ब० सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री ओंकार सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री द० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने योजना में उनके लिए खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के बारे में अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ राज्य सरकारों ने इसके बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप मन्त्री (श्रीमति नन्दिनी सत्पथी) : (क) यह सच है कि योजना आयोग ने राज्य योजनाओं के आकार के बारे में जैसा सुझाव दिया था उससे कतिपय राज्य सरकारें पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं है।

(ख) और (ग). इस विषय में केन्द्र तथा राज्यों के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा है और राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के बाद ही राज्य योजना परि-व्ययों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

Shri Sharda Nand : May I know the basis on which the Government have earmarked the ceilings for the State's outlays in the Plans and the instructions issued to the States Governments and the names of the States which received these instructions ?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : The State Governments were directed with regard to the extent of rate of growth and to the emphasis to be laid on the agriculture and the other things while framing their State Plans. The State Governments prepared their respective plans according to these instructions. The proportion of the Central assistance to these was also mentioned and they were told that so much resources can be raised by the State Governments themselves. These were the basis on which Plans were to be formed.

Shri Sharda Nand : The Hon. Minister has just now stated that the correspondence is being made between the Central Government and certain State Governments. The Hon. Minister has not specified the names of the States which have shown their unhappiness in the matter but this point was clearly mentioned in the question. May I know the names of the States with which the correspondence is being made and the names of the States from which the replies have been received by the Government ?

Shri B. R. Bhagat : Almost all the State Governments have revealed their unhappiness in the matter. Orissa and West Bengal have specifically mentioned it in black and white.

Shri Bal Raj Madhok : Mr. Speaker, Sir, first of all I want to mention that the answers to the written questions should be complete so that the supplementary questions may conveniently be put on these replies. What is the use of such replies when we have to put supplementary question in the same form as used the main question ?

Is it a fact that the Central Government have given a distinct position to certain States and has left it on the discretion of certain State Governments including Jammu and Kashmir, Nagaland, Orissa and Rajasthan to raise their resources or otherwise (*interruptions*). May I know the names of such State Governments ? May I also know whether it is a fact that the Central Government have not accepted the Delhi Administration's plan with an outlay for Rs. 400 crores and the Metropolitan Council plan amounting to Rs, 225 crores, the plan which was passed unanimously and which was sent to all the parties, but when it was sent to the Planning Commission its working group agreed for an outlay of Rs. 217 crores only and according to your plan only 155 crores of rupees are being allocated to Delhi ? Delhi is the capital of our country with a highest rate of growth. It should be understood that if we will only take into account the earlier conditions in Delhi it would be impossible to maintain the existing aminities and the social services for the people of Delhi State. The Delhi Administration framed this plan on the basis of minimum funds for the minimum social services. I want to know whether it is a fact that the alternative proposal of the Delhi Administration with regard to seeking the approval of the Centre that the funds which would be raised by Delhi Administration taking recourse to additional resources and to economy should be given to them for use in the development programmes of Delhi, this suggestion has been turned down by the Centre. The people of Delhi State are much worried over this. Some of the Members of the Delhi Metropolitan Council staged a *Dharna* before the residence of the Hon. Finance Minister to press their demand upon him. Since Delhi is the Capital of our country and the demand of more funds for its development is quite genuine. Will the Hon. Minister include Delhi State also in the list of States which are proposed to be given special considerations ? And will their demand of raising additional resources for the development programmes in Delhi will be met by Centre ?

Shri B. R. Bhagat : The Hon. Member has correctly mentioned that the some States are given special consideration. National Development Council's Committee which has all the Chief Ministers as its members recommended that the States of Jammu and Kashmir, Nagaland etc. should be provided special financial assistance by the Centre. It has been done on the basis of that recommendation which was accepted by the Government. The other recommendations made by this Committee were also accepted by Centre and it decided that the Central assistance to the States will be given on the basis of these recommendations.

So far as Delhi is concerned the Hon. Member is be aware that it is an Union Territory. The rules applicable to the union territories are quite different. While preparing the plan for Delhi it is borne in the mind that the expenditure in excess of the resources will be met by the Central Government. It is admitted that Delhi is the Capital of India. Its total income and expenditure on it is highest in comparison to the rest of the parts of the country. We are also investing more here. If we take into account the per capita income and the per capita investment of the inhabitants of Delhi we will have to recognise that there are highest in the country. Even than it would certainly considered that the aminities to the people of Delhi should be provided in the plan.

Shri Bal Raj Madhok : The Government should allow them to utiiize the

addttional funds which they want to earn by resorting to raise their resources and take economy measures to meet development expenses in Delhi

Shri B. R. Bhagat : We have received a proposal in connection with raising the plan if the resources are raised. The proposal is under consideration.

श्री प्र० के० देव: क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने चौथी पंच वर्षीय योजना में आँवटन के सम्बन्ध में असन्तोष प्रकट करते हुए यह सुझाव दिया है कि केन्द्र अपने 138 करोड़ रुपये के बाकी ऋण को उड़ीसा सरकार से कुछ दिन और न मांगे क्योंकि इस ऋण के लिए वहाँ की भूतपूर्व सरकार उत्तरदायी है जिसने विवेक से काम नहीं लियां और चूंकि उड़ीसा में 48% अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग हैं अत: योजना की सीमा के अतिरिक्त उड़ीसा को कुछ विशेष रुप से धन दिया जाय ?

श्री बलीराम भगत : राज्य की राशी या ब्याज आदि के मामलों पर वित्त आयोग विचार करता है । जहां तक फिजूलखर्ची का सम्बन्ध है यह तो इतिहास बतलाता है कि उस समय राज्य में प्रगति की दर ऊंची थी ।

श्री प्र० के० देव : खन्ना आयोग ने राज्य की सफलता के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं । मेरे सवाल का दूसरा भाग यह था कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिए योजना-सीमा के अतिरिक्त कितनी व्यवस्था और की गई है ?

श्री बलीराम भगत : प्रत्येक राज्य की योजना में उनके लिए राशि नियत की गई है । योजना की सीमा से बाहर किसी भी राज्य के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की जायेगी ?

श्री प्र० के० देव : परन्तु उड़ीसा में 48 प्रतिशत लोग इसी श्रेणी के हैं ।

Shrimati Sushila Rohatgi : Uttar Pradesh has got the highest density of population, while the per capita investment made in 2nd and 3rd Five Years Plans was the least in comparison to other States. In view of U.P's, special problems the Patel Commission gave some special recommendations in respect of that State. The hilly areas like Uttar Kashi of U.P. are very much poor. In view of all this may I know whether Government will consider to provide some special assistance for U.P. in new fourth Five Year Plan ?

Shri B. R. Bhagat : It was also recommended that U.P. should be given 10 per cent more from the Central Pool as the average national income is much less in this State. As regards the special problems, it was said that attention will be given to them. This applies to U.P. also.

श्री प० गोपालन : यह कहते हुए दुख होता है कि हमारी योजना- तकनीक ठीक नहीं हैं । क्योंकि आज बीस बर्ष बाद भी क्षेत्रीय विषमता ज्यों की त्यों बनी हुई है । कुछ राज्यों में तो प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय से बहुत कम है । इस दृष्टि से आवश्यकता महसूस होती है कि योजना सम्बन्धी नीतियों और कार्यक्रमों में आमूल परिवर्तन किया जाये । इसी सदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केरल के मुख्य मन्त्री जो राज्य योजना बोर्ड के प्रधान है, ने एक वैकल्पिक चौथी योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है ; यदि हां तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री द० रा० भगत : क्षेत्रीय असंतुलन का प्रश्न तीसरी पंचवर्षीय योजना में लिया गया

था । तदनन्तर पटेल समिति की स्थापना की गई थी जिसे उन क्षेत्रों में विकास की सम्भावनाओं के अध्ययन का कार्य सौंपा गया था, जो पहली योजनाओं के दौरान अविकसित रह गये थे । क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या वास्तव में महत्त्वपूर्ण है । परन्तु इसे हल करने में समय लगेगा और इसके लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है । इसे एक रात में हल नही किया जा सकता ।

केरल के मुख्य मन्त्री से एक वैकल्पक योजना प्राप्त हुई है जिस पर राष्ट्रीय विकास योजना विचार करेगी । मेरे विचार से माननीय सदस्य उस योजना को पहले ही देख चुके हैं ।

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या महाराष्ट्र सरकार ने यह इच्छा प्रकट की है कि वह केन्द्र द्वारा नियत की गई राशि के अतिरिक्त 450 करोड़ रुपये योजना खर्च के लिए जुटायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार का कीर्तिमान प्रशंसनीय है ।

श्री एस० कण्डापन : वित्तीय मामलों में कुप्रबन्ध के कारण अब प्रत्येक राज्य यह अनुभव करने लगा है कि उस केन्द्रीय सरकार की ओर से उनका उचित भाग नही प्राप्त हो रहा है । राशि नियत करते समय क्या सरकार राज्यों की अतीत की सफलताओं पर भी ध्यान देगी, क्योंकि कुछ राज्य अतीत में नियत राशि का सदुपयोग नहीं कर सके जबकि कुछ अन्य राज्यों ने आशातीत सफलता प्राप्त की ?

श्री ब० रा० भगत : राशि नियत करते समय इस बात पर भी विचार किया जाता है ।

Shri Chandra Jeet Yadav : The Eastern part of U.P., which includes Banaras, Gorakhpur and Faizabad divisions and has a population of about 1·75 crores. In that part per capita income is Rs. 200/- while the average per capita income in the country is Rs. 400/-. This part has remained neglected U.P. Government is doing its best for its development. Patel Commission was appointed to recommend the ways of developing these backward areas. It gave its recommendations for this part of U.P. also. But the implementation thereof was stopped at the time of Pakistani invasion. May I know when the implementation thereof will be resumed ? These people should not be ignored for long. I think if ignored they may resort to agitation etc.

Shri B. R. Bhagat : The Patel Commission recommended that development work should be carried in semi-developed and backward areas expeditiously. But it had not been possible to provide separate funds for such areas. The recommendations regarding agriculture, road development, social infra structure or agro-industries have been taken into consideration while making draft of fourth Five Year Plan. This applies to all the semi-developed and under-developed areas of U.P. as well as Bihar and other States.

Shri Chandra Jeet Yadav : I asked a specific question and that is whether the implementation of Patel Commissions recommendations in respect of backward and under-developed areas of U.P. will be resumed, which was suspended due to Pakistani attack.

The Prime Minister, the Minister of Atomic Energy and the Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : I am agree with the Hon. Member's statement that Eastern part of U.P. is under-developed and it is haunted by poverty. It is necessary that some special programme should be executed to develop this area and we try our best to do so. But I cannot assure the Hon. Minister about the resumption of emplementation of Patel Commission. Our resources are limited and in view of this we are trying to find out that how we can assist them.

मननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि उन राज्यों को विशेष सहायता दी जाये, जिन्हें नियत राशि के सदुपयोग ने अधिक सफलता मिली है। यह तो हम चाहते हैं कि ऐसे राज्य अधिक सफलता प्राप्त करे। परन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐतिहासिक कारणों से भी वे अधिक सफल रहे। इस विषमता को भी ध्यान में रखना है। जो क्षेम नियत राशि का उपयोग ठीक प्रकार से कुछ विशेष कारणों से नहीं कर पाये हैं, उन पर भी ध्यान देना अनिवार्य है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नही है कि प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद् को यह सुझाव दिया था कि राशि-नियतन का आधार जनसंख्या न होकर राज्य की अर्थ सम्बन्धी आवश्यकताए होनी चाहिए और राष्ट्रीय विकास परिषद् ने उसे अस्वीकार कर दिया।

क्या आसाम सरकार ने, जिसके बजट में इस वर्ष 50 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है, केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त राशि नियत करने का अनुरोध किया है ताकि वह चौथी पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित कर सके ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : राशि नियत करने का आधार स्वयं मुख्य मंत्रीयों द्वारा निश्चित किया जाता है और वे ऐसा करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। आसाम ने ही नही, सभी राज्यों ने उन्हें अधिक राशि नियत किये जाने के लिए अनुरोध किया है सभी राज्यों की समस्याएं वास्तविक है और हमें सभी के प्रति सहानुभूति है। परन्तु प्रश्न तो सीमित संसाधनों का है।

श्री हेम बरुआ : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नही मिला। क्या उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद् को सुझाव दिये थे और उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अस्वीकार कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुकी हैं।

Shri Prem Chand Verma : The Minister has stated that in case the planning expenditure in a Union Territory falls short of its resources, the Central Government makes it up. After merger of some portions of Punjab in Himachal Pradesh, its population increased by 110 per cent. In Third Plan Himachal Pradesh was given 66 crores of rupees. Accordingly a sum of Rs. 150 crores should have been allocated to it in 4th Plan. But it has been allotted only 108 crores of rupees. May I know whether Government will consider to allocate Himachal Pradesh as much as they have demanded to make up the difference ; if so, the details thereof ?

Shri B. R. Bhagat : The Planning Commission will consider this question in relation with the available resources and the demands of other States.

Shri Prem Chand Verma : Sir, I asked the specific questions regarding allocation to Union Territory of Himachal Pradesh.

Shri B. R. Bhagat : A recommendation in respect of Union Territory, which has been accepted, is that the deficit of a Union Territory will be made up in plan allocations. As regards the acceptance of their demand, I have already replied that this will be considered in relation to the resources available with the Centre and the demands made by the other States.

Shri Maharaj Singh Bharati : If a State produces a thing like electricity, which is a thing of utility for the whole country and the same is supplied by the Producing State to other States, then the Central Government give some special financial assistance extra to what is allocated in the Plan ?

Shri B. R. Bhagat : There is no question giving extra assistance to plan allocation. Allocations will be made within Plan itself.

Shri Maharaj Singh Bharati : Will you consider the question of increasing the ceiling of Plan.

Shri B. R. Bhagat : It is subject to the resources available in the country.

Shri Sheo Narain : The Patel Commission gave some recommendations in respect of Balia District of U.P. I would like to know as to what are those assurances. We have got no railway line, tube-wells or electricity in this district. It is known to Government that it is the most backward area of our country. Out of three Plans, the allocation of one Plan was not paid to U.P. Government. Our Chief Minister every year ask for it. Will the Minister give some definite answer in this respect.

Shrimati Indira Gandhi : When the Hon. Minister was not here, the same question was raised.

Shri Sheo Narain : But Shri T. T. Krishnamachari gave some assurances about it when he was the Finance Minister.

Shrimati Indira Gandhi : She gave assurance on behalf of Government. We faced attack and difficulties etc. But we are fully aware of that district, which has produced a number of patriots. It is our duty to help those living in that district.

कुछ माननीय सदस्य उठे।

अध्यक्ष महोदय : अभी लगभग 20 या 30 सदस्य और हैं। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। इस प्रश्न पर पहले ही आधा घंटा समाप्त हो चुका है। प्रत्येक सदस्य को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। माननीय सदस्य योजना से सम्बन्धित मांगो पर विचार के समय बोल सकते हैं। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ।

Targets for National Income and Industrial Production

***724. Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the details of the targets fixed for the national income and industrial production during the last three Five Year Plans and how far these have been achieved ; and

(b) the reasons for not achieving the targets ?

The Deputy Minister (Shrimati Satapathy Nandini) : (a) and (b). The progress during the last three Five Year Plans has been reviewed in the "Fourth Five Year Plan—A Draft Outline, 1966". In addition, the Second and Third Plan documents and the various reviews published from time to time deal with the progress of the Plans. Attention is specially invited to Chapters I and XIV of the Draft Outline of the Fourth Plan ; and to the other publications listed in the statement placed on the Table of the House.

STATEMENT

I. *First Five Year Plan*

1 First Five Year Plan—Progress Report 1951-52 and 1952-53 (1953).

2. First Five Year Plan—Progress Report 1953-54 (1954).

3. First Five Year Plan—Progress Report April-September, 1954 (1955).

4. First Five Year Plan—Progress Report 1954-55 (1956).

5. Review of the First Five Year Plan (1957).

II. *Second Five Year Plan*

1. Second Five Year Plan document.
2. Appraisal and Prospects of Second Five Year Plan (1958).
3. Re-appraisal of Second Five Year Plan : a resume (1958).
4. Second Five Year Plan—Progress Report, 1958-59 (1960).
5. Second Five Year Plan—Progress Report 1959-60 (1962).

III. *Third Five Year Plan*

1. Third Five Year Plan document.
2. Third Five Year Plan—Progress Report 1961-62 (1963).
3. Third Five Year Plan—Mid-term Appraisal (1963).
4. Third Plan Progress Report 1963-65.
5. Fourth Five Year Plan—A Draft Outline.

IV. *Three Five Year Plans together*

1. Fourth Five Year Plan—A Draft Outline.

Shri Kanwar Lal Gupta : Reference to 16 books has been given in the statement but my question has not been replied. I wanted to know the details of targets fixed for the national income and industrial production. How can I proceed further unless these questions are replied ?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : According to the rules of the Lok Sabha reference to the published documents can be made, The Hon. Member has put a general question which would require a lay and detailed reply. Therefore a general and detailed reply alongwith a statement has been given. If the Hon. Member puts a specific question, a specific reply will be given.

Shri Kanwar Lal Gupta : I wanted to know the targets fixed for the national income and national production and if these targets have not been achieved, what are the reasons therefor.

Shri B. R. Bhagat : During the First Five Year Plan the target for the growth of national income was 12 per cent and achievement was 18·4 per cent, during the Second Five Year Plan, the target was 25 per cent and the target achieved was 21·5 per cent and during the Third Five Year Plan the target was 30 per cent and the achievemen 15·2 per cent.

Shri Kanwar Lal Gupta : What was the production ?

Shri B. R. Bnagat : The growth of national income during 1966-67 and 1967-68 was 2 per cent and 1·5 per cent respectively. The industrial production during the First, Second and Third Five Year Plans had increased 25·1 per cent, 41·7 per cent and 44·2 per cent respectively. Over 16 years industrial production has increased by 165·7 per cent.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister has just stated that the actual expenditure during the Third Five Year Plan was more than the estimated amount. It was due to faulty planning, fixing wrong priority and corrupt machinery. Per capita monthly expenditure of 5 per cent of the rural population is Rs. 6/- only. Today 10 crores person out of our total population are not able to meet their both ends. May I know whether in future plans a guarantee would be given for minimum national income and whether some physical targets will be so fixed so that every body may get at least food to eat and water to drink ?

Shri B. R. Bhagat : I do not agree with the Hon. Member in this respect. During this period India has made much progress. No doubt we faced a numbes of difficulties in making progress but today the country is economically strong and is in a position to become self-sufficicnt. It is true that still there are poor people in several areas of the country and it is also true that they have very low income and they also spend less. There is inadequate water supply for them in rural areas. Keeping all these things in view we are trying to make a plan to provive them with minimum national income and to enable them to get rid of their property.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Government have made efforts to end the monopolies during the last three Five Year Plans but today 63 per cent agriculturists possess only 5 acres or less land and on the other hand 11 per cent landlords possess more than 70 per cent. The Government have incurred 80 per cent expenditure on those 11 per cent landlord and only 20 per cent on remaining 89 per cent people during those Plans. Similarly according to the report of the Monopoly Commission 45 per cent investment is controlled by 75 families. What steps are being taken by the Government to end monopolies and also to encourage small industrialists ?

Shri B. R. Bhagat : It is true that some bold steps would be required to end monopolies. The introduction of Monopoly Bill in the House is one of the steps taken in this direction. So far the urban areas is concerned the basis of our industrial policy is not to encourage monopolies and the concentration. So far our economic forces are concerned the objective of all our policies is that with the expansion of industries the concentration is also increased. Therefore due to social objective we have to bring other things also and we are cautious about it. So far as the rural area is concerned, it is true that majority of the agriculturists possess 5 acres or less land. We want decentralisation.

The problem in respect of agriculture is somewhat more serious because we have to provide adequate water, fartilizers and seeds for the agriculturists. Big agriculturists in rural areas are taking more advantages of the facilities provided by the Government and the political consciousness is increasing in rural areas. Therefore we should formulate our policies for small farmers and other landless persons in dry areas in our schemes so that their income may increase and we may help them for their uplift

Shri Sitaram Kesri : The Hon. Minister has stated regarding the economic monopoly and Industrial monopoly that some thing should be done for small industries and small farmers to enable them to make progress. Keeping all these things in inview will the Hon. Minister declare that no body should have more income than certain limit fixed by the Government ?

Shri B. R. Bhagat : This is a suggestion for consideration.

श्री लोबो प्रभु : तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में वित्तीय लक्ष्य रखे जाते रहे हैं किन्तु वे प्राप्त नहीं किये जा सके । इसका पहला कारण यह हो सकता है कि परियोजनाओं के खर्च का अनुमान कम लगाया गया है, दूसरा कारण मुद्रा स्फीति और तीसरा कारण इनकी क्रियान्वित का ठीक न होना हो सकता है । क्या योजना आयोग और योजना आयोग के अध्यक्ष ने इन कमियों का अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो वे किन निष्कर्षों पर पहुंचे हैं ताकि चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में उन त्रुटियों की पुनरावृति न हो ?

श्री ब० रा० भगत : अपने अनुभवों के आधार पर ही हमें चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करनी होगी । हम माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

Shri Tulsidas Jadhav : The people not possessing any security in rural areas have

not been benefited in three Five Year Plans. What steps are being taken for them so that they may increase their production even without possessing any security by them ?

Shri B. R. Bhagat : It is true that in the present credit system the loan is given against the security and only big agriculturists get bank credit or co-operative credit. We are trying to remove this shortcoming in our credit system.

Shri Madhu Limaye : Is it not a fact that disparity in the distribution of national income is increasing alongwith the increase in national income and industrial production. According to Mahaluobis Committee's report the production of luxury goods such as air-conditions etc. is increasing rapidly whereas the production of common consumer goods is not increasing proportionately. What steps are being taken in the Fourth Five Year Plan to reduce this disparity ?

Shri B. R. Bhagat : We will try our best to remove this disparity. The Fourth Five Year Plan will be placed before the House and the Hon. Members will get opportunity to have discussion on it. It is generally true that the production of luxury goods is increasing along with the increase of taxes on their production. More exicse duty is imposed on them so that more revenue may be available from their sale in order to have more resources available to increase the production of common consumer goods.

Shri Randhir Singh : The real national income will be increased only when the income of the 80 per cent population of rural areas will increase. Today we see that all the big factories, large scale industries etc. are located in the cities. The need of the time is that small and cottage industries should be established in villages. What is Government's policy in this regard ? Do Government propose to set up small industries in villcges in order to provide employment to Harijans and other backward classes there with a view to reduce the burden on land ? Will the Government make such arrangement in the Fourth Five Year Plan to solve the unemployment problem ?

Shri B. R. Bhagat : We will try for the decentralisation and disposal of industries in rural areas.

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि पहली पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राष्ट्रीय आय हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय निर्धारित लक्ष्य से आधी ही रह गई थी । क्या मंत्री महोदय ने इनके कारणों का अध्ययन किया है और यदि हां, तो क्या वह सभा को बता सकते हैं कि क्या यह सच नहीं है कि इस अवधि में एशिया के जापान आदि देशों में राष्ट्रीय आय में 11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो हमारी राष्ट्रीय आय निर्धारित लक्ष्य की आधी ही क्यों रह गई थी ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने इस मामले पर जापान के प्रमुख और महान अर्थशास्त्रियों से बातचीत की थी उन्होंने बताया था कि आर्थिक कारणों से अधिक अनुशासन, देश भक्ति, लगन और अथक परिश्रम आदि कारणों से यह वृद्धि हुई है ।

श्री बेदव्रत बरुआ : मन्त्री महोदय द्वारा बताये गये कारणों के साथ साथ क्या वह सच नहीं है कि संयंत्रों तथा मशीनों की पूरी क्षमता का उपयोग न किये जाने के कारण भी उत्पादन कम नहीं होता है ? कल हमें औद्योगिक विकास मंत्री से यह सुनकर आश्चर्य हुआ था कि सरकारी उपक्रमों को दिये जाने वाले क्रयादेशों की स्थिति स्पष्ट नहीं है । अत: मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में भारी मशीनों की वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग किये जाने के लिये व्यवस्था की गई हैं और यदि नहीं, तो क्या वह भारी मशीनों की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किये जाने के बारे में स्पष्ट और निश्चित व्यवस्था करेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : औद्योगिक फालतू तथा अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग करना हमारी अर्थव्यवस्था का पहला दायित्व है। हसने इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया है।

Shri S. M. Banerjee : It is true that the national income has increased but the condition of the people has not improved. I want to know the reasons for it ?

Shri B. R. Bhagat : The distribution of the national income has not been to our expectation.

भारतीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलों का कार्यकरण

*727. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **विदेशी व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कपड़ा निगम द्वारा कितनी कपड़ा मिलें अपने नियंत्रण में ले ली गई हैं ;

(ख) इन मिलों में कुल कितने श्रमिक कार्य करते हैं ;

(ग) ये मिलें किन शर्तों पर ली गई हैं ;

(घ) जब से निगम ने ये मिलें अपने नियंत्रण में ली हैं तब से उनके मुनाफे में क्या कोई वृद्धि हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) से (ग) दि न्यू मानेकचौक स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० अहमदाबाद को सरकार ने फरवरी, 1969 में अपने नियंत्रण में लिया था। मिल को चलाने में गुजरात राज्य वस्त्र निगम को, जिसे प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया है, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सहायता मिलेगी। मिल में श्रमिकों की संख्या लगभग 1700 है।

(घ) तथा (ङ) इतना शीघ्र कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

Shri George Fernandes : Eighty mills employing about eighty thousand workers are closed for the last five years. As a result of demand made inside and also outside the House the Government had to bring this Bill to set up a Textile Corporation. It appears from the reply of the hon. Minister that only one mill has so far been taken over by this Corporation. Why the corporation does not take over all the mills and make necessary arrangements to run them ? May I know whether any steps are being taken in this regard and if so, whether a statement in this respect will be placed before the House ?

Shri B. R. Bhagat : According to the procedure laid down in this Bill, is that first an investigation is made in regard to this condition of the mill, and than an authorised controller would be appointed who would submit his report whether a mill is to be renovated or liquidated on is to be run at current running stage. At present investigation in regard to 12 mills is being made by the corporation. The cases of three mills viz Model Mill Limited, Nagpur, R.S.R.G- Mota Spinning and Weaving Mill Limited Akola and Pratap Weaving and Manufacturing Company Alamnar, have reached to an advance stage. It is hoped that in other cases also repid progress will be made.

Shri George Fernandes : The Kogekar Committee recently appointed by the Maharashtra Government has stated in its report :

> "Out of the 74 mills in Maharashtra accounting of 87 per cent of installed spindles and 86 per cent of installed looms in the State studied by the Committee 43 mills have neglected maintenance and modernisation of their machinery."

It shows that the mills in the private sector are adopting these tactics. These eighty closed mills mean twelve per cent of the total mills in the country. What steps Government are taking to take over these closed mills and also not to allow further to deteriorate the condition of those mills which are according the official committee under mismanagement ?

The Minister of foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : We are Considering that matter. Difficulties are being experienced in restarting the closed Mills because most of the mills have been closed because of the failure of modernisation and management. Some of the mills have been closed due to financial difficulties. Efforts have been made to modernise this industry. These mills will be given facilities for modernisation. The mills which are financially sound may invest money in them. Steps are being taken that the mills may not be closed for lack of modernisation and management in future. We are considering the steps to be taken in this matter.

Shrimati Jayaben Shah : Textile industry has been our traditional industry for so many years. But the Mill owners, after obtaining more and more profits, have scrapped this industry. As a result more and more mills are going to be closed. Taking all these things into consideration I want to know the steps Government are going to take in this matter. What steps have been taken for providing jobs to the persons who have become unemployed or are going to be unemployed ? The Government have not taken any action in this case of those mills for whom authorised controllers have been appointed.

I also want to know the steps Government proposed to take in connection with the mills which are going to be closed.

Shri B. R. Bhagat : I have already replied that the matter is under consideration.

Shrimati Jayaben Shah : Please tell us about Controller and the new mills.

Shri B. R. Bhagat : Report is being called from the Authorised Controller.

Shrimati Jayaben Shah : Six months have already passed.

Shri B. R. Bhagat : Those authorised controllers who have not submitted their reports have been asked to submit it immediately.

श्री सु० कु० तापड़िया : सभा में चर्चा के समय और अन्यत्र भी हम यह विचार व्यक्त कर चुके हैं कि, जैसा कि भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री ने सोचा था, भारतीय सूती कपड़ा निगम जादू का डंडा साबित नहीं होगा। जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी उल्लेख किया कि उन्होंने केवल एक मिल को अधिकार में लिया है। इसका अभिप्राय यह है कि या तो सरकार का अपने पर से विश्वास उठ गया है और उसका विचार है कि निगम इस कार्य के लिये उपयुक्त नहीं है या वह जानबूझ कर धीरे-धीरे कार्य कर रही है ताकि वह यह कह सके कि वह इस योजना में जो असफल रही है, भागीदार नहीं है। मन्त्री द्वारा अभी व्यक्त किये गये उपबन्धों और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सी मिलें बन्द हो गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 80,000 कर्मचारी बेकार हो गये हैं, क्या सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कोई समय सीमा निश्चित की है।

मानेक चौक मिल को अपने अधिकार में लेने से शंका पैदा होती है क्योंकि बहुत सी ऐसी मिलें हैं जो इससे अधिक समय से, चार या पांच वर्ष और इससे अधिक समय से बन्द थीं, लेकिन यह मिल उनकी तुलना में हाल ही में बन्द हुई थी। सबसे पहिले बन्द होने वाली मिल का क्या नाम है और वह कितने समय तक बन्द रही और इस हाल ही में बन्द हुई मिल को अधिकार में लेने का क्या कारण था ?

श्री ब० रा० भगत : किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह निगम एक जादू की छड़ी है जिससे सब समस्या समाप्त हो जायेगी।

श्री सु० कु० तापड़िया : माननीय मन्त्री ने ऐसा सोचा था और हमने उन्हें स्थिति से अवगत करा दिया है।

श्री ब० रा० भगत : आगामी वर्षों में, जिन 13 मिलों का प्रश्न विचाराधीन है, निगम उनमें से केवल कुछ मिलों शायद केवल 7 या 8 मिलों को अपने अधिकार में लेने में सफल हो। कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण बहुत पहले किया जाना चाहिये था। लेकिन इस बारे में वित्त की कठिनाई तथा अन्य समस्याएं हैं। इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर लगा है।

जहाँ तक उस मिल के नाम बताने का सम्बन्ध है कि कौनसी मिल सबसे अधिक समय तक बन्द रही, तो इसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि इस समय मेरे पास इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या सर्वेक्षण के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन 13 मिलों का काम हमारे अधिकार में है। समय सीमा के बारे में हम आगामी कुछ महीनों में निर्णय करेंगे।

Shri Achal Singh : I have been reminding the Commerce Ministers for the last ten years about closure of three Textile Mills in Agra. I want to know whether they will be started or they will remain close ?

Shri B. R. Bhagat : The same procedure as is applied to other mills will be applied in their case.

Shri Atal Behari Vajpayee : At the time of discussion on Textile Corparation, Shri Kureshi explained that this Corporation was not being created for undertaking all sick mills. Is it true or the Government is reconsidering this matter ? If the Government do not undertake these mills who will manage them ?

Shri B. R. Bhagat : Some mills have become so out dated that they cannot be reopened. There thould not be any misunderstanding in this respect. So the question of taking those mills by the Corporation is not proper. There are certain mills against whom proceeding are going on under liquidation Act. If somebody is prepared to purchase tham and to open tham it is well and good otherwise the Government will purchase then on that price. There are certain mills which can be modernised and they can give a good return. Those mills will be taken vain. Procedure has been laid down for them and the appropriate mills will be taken under that procedure.

श्री तनेटि विश्वनाथम : माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है कि बहुत सी मिलें पुरानी हो

गई हैं। तथ्य यह है कि हमारे सूती कपड़े के उद्योग को समस्त एशिया में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अतः बीमार मिलों को लेने की बजाय क्या सरकार उनके पूंजी ढाँचे का पुनर्गठन कर और मशीनों की फिर से कीमत लगाकर उनको कर्मचारियों को सहकारी आधार पर चलाने के लिये दे देगी। सूती कपड़ा निगम को इसका भार सौंपने की बजाये क्या सरकार ऐसा करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : क्या उनका अभिप्राय यह है कि इन मिलों को चलाने के लिये कर्मचारियों को सौंप दिया जाये ?

श्री तनेंटि विश्वनाथम : यथासम्भव

श्री ब० रा० भगत : यदि ऐसी कोई योजना है तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री मनु भाई पटेल : संसद् के गत अधिवेशन में बड़ौदा मिल, जिसको मालिक दिवालिया घोषित करने का प्रयास कर रहे थे, के बारे में कुछ निश्चित सुझाव दिये गये थे। सरकार से अधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था माननीय उप-मन्त्री ने हमें यह आश्वासन दिया था कि इस प्रणाली की जांच की जा रही है। एक वर्ष बीत गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन मिलों के लिये अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गई है। क्या निगम ने उसको अपने अधिकार में ले लिया है या उसको दिवालिया घोषित करने की अनुमति दे दी है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं इस मामले की जांच करूंगा। इस बारे में मेरे पासे अभी जानकारी नहीं है।

श्री रंगा : गत दो या तीन वर्षों में कोयम्बतूर स्थित मिलों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्हें मद्रास सरकार से अनुरोध करना पड़ा है और उन्हें बताया गया था कि मद्रास सरकार ने इस मामले में भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किया था और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वह कोयम्बतूर मिलों को सहायता देकर उनकी स्थिति को सुधारें। इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है ? क्या कोयम्बतूर मिलों को सहायता देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ब० रा० भगत : निगम को इस समय बन्द मिलों के बारे में काम करने के लिये कहा गया है। अन्य मिलों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में जांच करूंगा।

Shri S. M. Joshi : Whenever a Mill Closes and an application is filed by a creditor to start liquidation proceedings, it has been informed that mills cannot be undertaken will the proceedings are over. For example the Edward Mill of Bombay had been closed for sometime and its case had been pending in the court so we could not undertake it. May I know whether Government has any proposal to bring any legislation in this regard ?

Shri B. R. Bhagat : At present the application has to be filed in the High Court for undertaking any mill. If some creditery goes to the Court, the similar proceeding will be done on behalf of the state or Central Government.

Shri George Fernandes : Please give some information regarding the New Victoria Mill of Kanpur. You had promised to take it over but you have not taken it so far.

Shri B. R. Bhagat : We will look into the matter.

दक्षिण-पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर का घेराव

प्र० सू० प्र० सं० 10. श्री कंवर लाल गुप्त : श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्या यह सच है कि कुछ रेलवे कर्मचारियों ने जिनके साथ एक संसद् सदस्य भी थे, दक्षिण-पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर का घेराव किया था ; और

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि यह कानून और व्यवस्था का मामला है, इसलिए हम इसे सम्बन्धित राज्य सरकार के नोटिस में ले आये हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Government should be a model employer and they should give the maximum facilities to the employees. Employees have every right to go on strike but so far as these gherao are concerned we consider tham as anti-national and we want to condemn this tandency strongly. It creates anarchy and lawlessness in the Country. When the Court has declared gherao and when the police was informed about it and as illegal, what action Police has taken in this regard ? I want to know whether similar gheraos have also been done during the last two or three months ? If so, the details thereof ?

The Railway Minister (Dr. Ram Subhag Singh) : The police was informed on 18th, March. The information of this gherao was given to the Chief and Deputy Chief Minister on the 17th March. The steps taken by them to stop these gheraos are praise-worthy. Gherao in Adna was done on 24th February, one gherao was done on 17th March and another gherao on Mojpur Station on South Eastern Railway was done on 19th March.

Shri Kanwar Lal Gupta : The steps Government propose to take to save the Officers from demoralising in case a gherao is done and the police fails to arrive ? Do the Government any discussion with the West Bengal Government to solve this problem ; if so, the details thereof ?

Dr. Ram Subhag Singh : As I have already told that as soon as the Chief and the Deputy Chief Minister were informed they immediately sent Shri Vishwanath Mukerjee there and he made his best effort and the Chief and the Deputy Chief Minister both gave a ring to the General Manager. That gherao was stopped with their efforts.

So far as the question of demoralising is concerned, we will see that none of the employee may be demoralised.

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know the steps you have taken in this matter.

Dr. Ram Subhag Singh : The Minister was sent in this connection, He gave a speech and the people were removed.

Shri Narain Swarup Sharma : Government employees are forced to gherao (*interruption*). The policy of the Government towards its employees is not satisfactory. I want to know the number of the temporary employees whose services were terminated and out of them the how many employees have been reinstated and when the remaining

employees are likely to be reinstated. If there is no plan to reinstate them and the employees express their dissatisfaction then these gheraos cannot be condemned.

Dr. Ram Subhag Singh : Everywhere, the gheraos were organised by the non-Government employees. But it is also possible that some Government employees also participated in that . . .

Shri Narain Swarup Sharma : What is the basic reason behind that ?

Dr. Ram Subhag Singh : About the basic reason, the Home Minister has announced the Government's opinion here and we are taking action in accordance with that.

Shri Narain Swarup Sharma : What is the number of dismissed temporary employees, who have been taken back into service and when the rest will be called back ?

Dr. Ram Subhag Singh : We got the orders on the 17th and we are taking action immediately.

Shri Shri Chand Goyal : I would like to know the number of Government employees who took part in the Gherao, and whether they are not those very Government servants against whom the Ministry of Home Affairs, Government of India have decided not to proceed further but that decision was not implemented as a result of which they were compelled to take this step ? Please also let us know for how much time did they keep the General Manager in Gherao ?

Dr. Ram Subhag Singh : The people kept the General Manager Gheraoed in 6 hours and 12 minutes in the Garden Reach. As I said, the agitators were non-Government employees. These persons are not only those persons who are Governed by the Home Ministry. The Railway Ministry got the orders on the 17th March and the Gherao also was organised on the 17th. The first Gherao was lunched on the 24th February. The third Gherao was on 19th March. Therefore, whatever the hon. Member is saying is not correct. We treat this Gherao as illegal and will never encourage it.

Shri Buta Singh : It has been said that the Member of Parliament, whose name has been taken in this Gherao, sat down in the Chair of the General Manager. Thus, it is clear that not the Government employees but the leaders of those political parties are behind the same...(*interruptions*). I want to know what the Central Government propose to do to check these Gheraos if the State Governments do cooperate in this regard ?

Dr. Ram Subhag Singh : As this House is aware, there are six thousand workers in the office of the South Eastern Railway at Garden Reach and an hon. Member of Parliament, joined them with about 125 workers, they entered the General Manager's room, and certainly that was a most condemnable action (*interruptions*). Almost all of those six thousand employees remained in the office and were not misled by the provocation.

An hon. Member : Kindly tell us the name of that hon. Member.

Dr. Ram Subhag Singh : It has already come in the press....Shri S. M. Biswas.

श्री स० मो० बनर्जी : घेराव की नई प्रणाली चालू होने से पूर्व, रेलवे कर्मचारी अथवा अन्य कर्मचारी अपनी तकलीफों को जाहिर करने के लिये प्रदर्शन किया करते थे । अतः मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह सच है कि दक्षिण- पूर्व रेलवे के महा प्रबन्धक ने दक्षिण-पूर्व रेलवे यूनियन के प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों के नेतृत्व में आये प्रतिनिधि मंडलों को यह आश्वासन नहीं दिया

कि सितम्बर, 1968 की हड़ताल अथवा अन्य कारणों से वे कर्मचारियों को तेज किये जाने संबंधी मामलों पर तथा तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे अनियमित कर्मचारियों, जो कि फालतू घोषित करके निकाल दिये गये थे, के मामलों पर सहानुभूति से विचार करेंगे ? वे लोग अनियमित कर्मचारी थे तथा एकदम निकाल दिये गये थे । गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 17 जनवरी, 1969 के तथा अभी हाल ही में प्रेषित किये गये आदेश के बाद भी उन्हें वापस नहीं लिया गया। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह प्रदर्शन उनकी भूख और क्रोध का प्रतीक था, और यदि हां, तो आदेशों का पालन कराने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमन्, रेलवे बजट पर सामान्य चर्चाके बारे में दिये गये उत्तर के समय आप भी उपस्थित थे ; मैंने विशिष्ट रूप से उस समय कहा था कि रेलवे के किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं किया जायेगा । मैं प्रत्येक मामले पर पुनः दृष्टिपात करने को तैयार हूँ यदि कोई शोषण का मामला सामने आता है । परन्तु इस घोषणा के बाद भी यदि कोई अब भी महा प्रबन्धक का घेराव करता है तो रेलवे में यह नहीं होने दिया जायेगा । मैं पुनः कहता हूँ कि किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं किया जा रहा है और मैं प्रत्येक मामले की जांच करने को तैयार हूँ ।

श्री कार्तिक उरांव : घेराव की प्रवृति कुछ बढ़ती जा रही है और इससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है । मैं उन माननीय संसद सदस्य का नाम जानना चाहूंगा जिनके कहने अथवा करने से महा-प्रबन्धक का घेराव किया गया तथा उसके कारण क्या थे जिसके लिये कि सरकार को उत्तरदायी ठहराया जाये ।

डा० राम सुभग सिंह : तीन अवसरों पर हमारे अधिकारियों को परेशानी में डाला गया और मुझे आशा है कि इस प्रकार के घेराव भविष्य में नहीं किये जायेंगे क्योंकि यह कार्यवाई बड़ी आपत्तिजनक है ।

श्री समर गुह : घेराव में श्रमिकों के महत्वपूर्व हित निहित हैं...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह खेद की बात है कि माननीय सदस्य ऐसा व्यवहार करें ।

श्री समर गुह : 'घेराव' एक ऐसी सामान्य प्रणाली है जिसका गहरा सम्बन्ध मजदूरों के हितों तथा मजदूर-मालिक के सम्बन्धों से है । इस दृष्टि से पश्चिम बंगाल सरकार ने विशिष्ट रूप से बंगाल सरकार द्वारा चलाये जा रहे, दुर्गापुर औद्योगिक कारखाने में मजदूरों के संघों के प्रतिनिधियों को निदेशकों के मण्डल में शामिल करके एक नई प्रणाली चलाने का साहसपूर्ण कार्य किया है । इसी विचार से क्या सरकार भी सारे रेलवे विभाग में एक ऐसे प्रबन्ध-मण्डल की स्थापना की सम्भावना पर विचार करेगी जंदा मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को केवल प्रतिनिधि के रूप में भी नहीं बल्कि मण्डल के सदस्यों के रूप में भी आमंत्रित किया जाएगा ताकि उन्हें भी सभी समस्याओं का ज्ञान हो, और वे भी प्रभावशाली ढंग से घेराव आदि से सम्बन्धित मूल समस्याओं का समाधान कर सकें ।

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि सदस्यों को मालूम है, प्रबन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के बारे में भारत सरकार ने काफी समय पूर्व एक नीति बनाई थी । भारत सरकार की अपनी नीति है । हम दूसरों की नकल करना नहीं चाहते ।

श्री नरेन्द्र कुमार साहबे : मंत्री महोदय द्वारा दिये गए उत्तर से स्पष्ट है कि घेराव करने वाले 125 आदमियों को कुछ राजनैतिक दलों ने अपना कोई राजनयिक उद्देश्य लेकर प्रोत्साहित किया था। हमारे मजदूरों की ऐसी अनुशासनहीनता तथा गैर कानूनी हरकतों को रोका जाना आवश्यक है। उन्होंने स्वयं स्पष्ट रूप से घेराब की निन्दा की है। क्या वह इन मजदूरों के विरुद्ध ऐसा कदम उठाकर उन सभी 125 मजदूरों को निलम्बित करेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : इसका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूँ कि हम किस प्रकार गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुचित कार्य करना चाहते हैं। परन्तु यदि कोई व्यक्ति जो जान बूझकर नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके साथ दृढ़ता से व्यवहार किया जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : As the Hon. Minister for Railways has stated that Government will protect those employees and officers who are gheraoed, may I know that if the concerned State Governments are unable to keep law and order in the State and support such elements indirectly how can you protect them. In these conditions what clear policy Government proposes to adopt ?

Dr. Ram Subhag Singh : If any employee is victimised, I will feel I am victimised. I shall try to protect that employee irrespective of his rank.

So far as the question of Chief Minister, Deputy Chief Minister and irrigation Minister of the State of West Bengal is concerned. I may say that they have helped us a lot and I have to thank them.

श्री क० प्र० सिंह देव : मुझे दक्षिण-पूर्व क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठकों जिसके सदस्य श्री कार्तिक उटाव तथा श्री बिसवास भी थे में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। कुछ एक बैठकों में उन्होंने बताया कि जब कभी वे सदस्य अधिकारियों से कुछ कहते हैं तो उनकी बात को उनकी सुनी अनसुनी कर दिया जाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के कर्मचारी इन अधिकारियों को धमकी देने पर उतारू हो गये थे। मैं जानना चाहता हूँ कि इनके कष्टों को किस सीमा तक, दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्रबंधक को बताया गया तथा कर्मचारियों को उससे मिलने की क्यों आवश्यकता हुई क्या मैं जान सकता हूँ कि 'घेराव' की परिभाषा क्या है, क्या उसका घेराव किया गया था अथवा क्या उसे कमरे से बाहर आने दिया गया था और दूसरे व्यक्तियों को कमरे के भीतर जाने दिया गया था ?

डा० राम सुभग सिंह : यह ऐसा तर्क है कि यदि माननीय सदस्य वास्तविकता को जानते तो उन्हें स्थिति की यह समझने में कठिनाई नहीं होती कि वह मेरे से क्या कराना चाहते हैं। इसमें शामिल व्यक्तियों ने भी मुझे लिखा है। मैं इस प्रकार के पत्रों का उत्तर देने में विलम्ब नहीं करता हूँ।यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है और आप उसकी वकालत करते हैं तो मैं ऐसे मामले में सहानुभूति नहीं दिखाता हूँ।

Shri M. A. Khan : I want to know whether any departmental action will be taken against those persons who took part in damaging country's property. Hon. Minister has just told that no action has been taken against those persons who took part in gherao. I want to know the reasons for not taking any action against them. I also want to know the names of the Members of Parliament who took part in gherao and the names of their parties.

Dr. Ram Subhag Singh : The name of the Member of Parliament is Shri J. M Biswas. We have full sympathy with the railway employees. We are fully aware of their

difficulties. But there is no reason that they may do whatever they like. This is my last warning and even after this warning they do something illegal they will be punished according to law.

Shri Madhu Limaye : Will railway officers also be punished ?

डा० राम सुभग सिंह : वे भी सरकारी कर्मचारी हैं और उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जि० मो० बिस्वास : मुझे ही यह कार्यवाही करनी पड़ी । मेरी समझ में नही आता कि इसको घेराव कैसे कहा जा सकता है क्योंकि अदरा स्थित अधिकारियों को घूमने से कभी भी नहीं रोका गया । हमने उनको बताया था कि "हम आपके दरवाजे के पास हों। आपको अपना भोजन मिलेगा और आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा" 25 फरवरी को संयुक्त मोर्चा सरकार शपथ लेने वाली थी । 24 फरवरी को, डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने 1300 व्यक्तियों को इस आधार पर निकाल दिया था कि अनियत मजदूरों ने कांग्रेस को मत नहीं दिये थे । उस वक्त मैं दिल्ली जा रहा था । यह मैं अपने रिजर्वेशन चार्ट से साबित कर सकता हूं । लेकिन लोगों ने मुझे उतरने पर मजबूर किया । मैंने ऐसा राजनीतिक दल के सदस्य की हैसियत में नहीं किया । मैं अखिल भारतीय रेलवे संघ का वाइस चेयरमैन हूँ और दक्षिण-पूर्व रेलवे यूनियन का वाइस प्रेजीडेन्ट हूँ । मैं जन्म से ही रेलवे कर्मचारी हूँ । मैंने रेलवे कर्मचारियों के लिये गत 22 वर्ष से काम किया है । (**अन्तरबाधाएं**)

श्री कार्तिक उटांव : वह गलत बयान दे रहे हैं....(**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री जि० मो० बिस्वास : सदन को ठीक स्थिति का ज्ञान होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सदन पहले ही जानता है ।....

श्री जि० मो० बिस्वास : मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं । मुझे सदन में भाषण देने की सुविधा दीजाये...

श्री स० मो० बनर्जी : पागलपन को मैं सदा से इस सदन की सदस्यता में अनर्हता मानता रहा हूं । परन्तु श्री उटांव के व्यवहार से स्पष्ट हो गया है कि मेरा पूर्व मन्तव्य ठीक नहीं था ।

श्री जि० मो० बिस्वास : उत्तरी डिवीजन के 1300 नैमितिक मजदूरों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया अतएव उन्हें कार्य से पृथक कर दिया गया । उन्होंने भी कहा था कि "हमने उन लोगों को इस लिए नहीं हटाया क्योंकि पिछले मास में मतदान होना था, अब उन्हें हटा दिया गया है । मण्डल-अधीक्षक को खाना खाने अथवा कहीं भी जाने दिया गया था । लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे और वे नारे नहीं लगा रहे थे । क्या इसे घेराव कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान आकर्षक सूचना को लेते हैं ;

श्री राम सुभग सिंह : क्या मैं उससे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं ? श्री विस्वास ने अपने भाषण में दो प्रश्न उठाए हैं। पहली बात तो यह है कि नैमितिक मजदूरों को कांग्रेस के विरुद्ध

मतदान देने के कारण अलग कर दिया गया। इस बात में कोई भी तथ्य नहीं है। उन्होंने 19 सितम्बर की हड़ताल में भाग लिया था इस कारण उन पर कानूनी कार्यवाही की गयी। दूसरे उन्होंने अपने को एक संस्था का पदधारी बताया हैं जोकि नियमों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त संस्था नहीं है और तथा कथित पदाधिकारियों से महा प्रबन्धक का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जि० मो० बिस्वास : मंत्री महोदय का कथन पूर्णतया गलत है तथ्य यह है कि 19 सितम्बर की हड़ताल के सम्बन्ध में अदरा में एक भी नैमितिक श्रमिक को नहीं हटाया गया था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वह ऐसी बात कह रहे हैं जिसकी उन्हें स्वय जानकारी नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : यह महा प्रबन्धक नहीं है, जिसका आप घेराव करना चाहते हैं। आप चुप रहिये। **(अन्तर्बाधाए)** यह डिविजनल अधीक्षक का कार्यालय नहीं है। अब के बाद आपको किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शाँति।

Shri Sheo Narain : That man he is showing his first to another.

Shri Prem Chand Verma : These absurd activities should not be there.

Shri Randhir Singh : We cannot tolerate such absurd things.

अध्यक्ष महोदय : शाँति शांति। कृपया आप सब बैठ जायें।मैं जानता हूं श्री बिस्वास जरा गुस्से में थे, परन्तु श्री उटाँव हमेशा गुस्से में रहते हैं। यदि मैं श्री बिस्वास पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो मैं श्री उटाँव पर नियंत्रण कैसे रख सकता हूँ। वे दोनों चिल्ला रहे हैं। यदि कोई माननीय सदस्य श्री उटांव पर नियंत्रण रख सकता है तो मैं श्री बिस्वास को भी कह सकता हूँ कि वह गलती पर हैं। मैं तो केवल चुपचाप तमाशा देख रहा था। यहां दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हो रही हैं। हर मिनट वह खड़े हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। मैं यदि इस ओर देखने लगूं तो उस ओर के सदस्यों पर नियंत्रण कौन करेगा ? कोई नहीं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मंत्रियों को संयम से काम लेना चाहिए।

श्री रणधीर सिंह : माननीय सदस्य को भी ठीक व्यवहार करना चाहिये।

प्रश्न के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरक खरीदने के लिये सरकारी दल की अमरीका यात्रा

*721. **डा० सुशीला नैयर** :
श्री क० लकप्पा :
डा० ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1490 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों की खरीद के लिये जो सरकारी दल अमरीका तथा अन्य देशों में गया था क्या उस के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पत इस बीच विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिसमें दिखाया गया है कि सरकारी दल द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण सिफ़ारिशों पर क्या क्या निर्णय किये गए हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 503/69]

अरंडी के तेल का निर्यात

*722. **श्री एम० सुदर्शन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरंडी के तेल का निर्यात किस दर पर किया जा रहा है ;

(ख) क्या ब्राजील तथा चीन से इस सम्बन्ध में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत में निर्मित अरंडी के तेल के मूल्य की तुलना में यह दोनों देश कितनी कम दर पर तेल देने का प्रस्ताव कर रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1968 में निर्यातित अरंडी के तेल का जहाज पर औसत मूल्य लगभग 2760 रु० प्रति मे० टन बनता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) लन्दन के बाजार में अरंडी के तेल के अधुनातन प्राप्य मूल्य निम्नलिखित रहे हैं।—

भारतीय उद्भव का (वाणिज्यिक)	141 पौंड प्रति टन
ब्राजील उद्भव का (नं० 1)	120 पौंड प्रति टन
चीनी उद्भव का	119 पौंड प्रति टन

नेपाल को सहायता

*725. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 से अब तक भारत ने नेपाल को कुल कितनी राशि की सहायता दी है ; और

(ख) नेपाल में ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं अथवा पूरी की जा रही हैं जिनमें भारत ने वित्तीय सहायता दी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वर्ष 1966-67 से अब तक, भारत ने नेपाल को कुल 20 करोड़ रुपये की सहायता दी है ।

(ख) भारत से वित्तीय सहायता मिलने वाली नेपाल की जो योजनाएं पूरी हो गई हैं अथवा पूरी की जा रही हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी० 504/69]

राज्य व्यापार निगम

*726. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने निर्यात बढ़ाने के लिये नई योजनायें आरम्भ की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) 1 अप्रैल, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 की अवधि में विभिन्न देशों को निर्यात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्ष 1968-69 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किन-किन नये देशों को माल निर्यात किया गया है अथवा करने का विचार है ।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्कालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 505/69**]

अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद् की बैठक

*728. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद् की एक बैठक दिसम्बर, 1968 में लंदन में हुई थी ।

(ख) क्या उस बैठक में भारत ने भी भाग लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बैठक के क्या परिणाम रहे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार के क्रियान्वयन से सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण मामलों के बारे में निर्णय लिये गये थे । ये थे (1) अनुबन्ध 'ख' देशों (गैर-कोटा देशों) को निर्यात पर अधिक कठोर नियन्त्रण की कार्यवाही शुरू करना, (2) विविधीकरण निधि की संविधियों को अन्तिम रूप देना, तथा (3) 1 अप्रैल, 1969 से अनुबन्ध 'ख' (गैर-कोटा देश) से कुछ देशों को हटाना ।

Decline in Export of Indian Jute

*729. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri S. S. Kothari :

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of Indian jute to various countries has gone down during the year 1967-68, whereas the export of Pakistani jute has gone up ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government to withstand the competition by Pakistan in this field and to promote the export of Indian jute ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Presumably the Hon'ble member has in mind the export of jute

goods. Exports of jute goods from both India and Pakistan increased in 1967-68 as compared to exports in 1966-67.

(b) Does not arise.

(c) A statement is laid on the Table of the House showing the steps taken by Government to promote exports of jute goods.

STATEMENT

The following steps have been taken to increase exports of jute manufactures :

(a) All possible steps are being taken to increase the production and yield of the required quality and quantity of jute within the country.

(b) With effect from the 1st March, 1969 export duties of jute goods have been reduced or abolished as follows :

Hessian (Other than carpet backing)	from Rs. 500/- to Rs. 200/- per tonne.
Sacking	from Rs. 250/- to Rs. 150/- per tonne.
Wool-packs	from Rs. 250/- per tonne to Nil.
Cotton Bagging	from Rs. 200/- per tonne to Nil.
Twist, yarn (other than specialties) rope, twine and other miscellaneous goods	from Rs. 250/- to Rs. 150/- per tonne.

(c) In order to speed up the pace of modernisation, it has been decided to include the jute industry in the Schedule V to the Income-tax Act for purposes of higher development rebate.

(d) With a view to encouraging diversification of production in the jute industry, loan assistance is being given to the mills through the Industrial Finance Corporation.

मलयेशिया को भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल

*730. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक व्यापार पूर्ति** मन्त्री 17 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4881 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसने नवम्बर, 1968 में मलयेशिया में वाणिज्यिक, प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये वहां का दौरा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ।

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) और (ख). जी हां । प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति भी संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है । सुझावों तथा सिफारिशों का संक्षेप प्रतिवेदन के अध्याय 5 में दिया गया है ।

(ग) प्रतिवेदन में दिये गए सुझाव सिफारिशें अनेक प्राधिकारियों से सम्बन्धित हैं जिन्हें वे विचारार्थ भेज दिए गए हैं । यहां तक वे इस मन्त्रालय से सम्बन्धित हैं उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है ।

(घ) प्रतिनिधिमंडल के दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

आयात/निर्यात लाइसेंसों सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

*731: **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 49 फर्मों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध आयात/निर्यात सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में कितने-कितने रुपये अन्तर्ग्रस्त हैं और प्रत्येक मामले में कब कब मुकदमे चलाये गये ; और

(ग) इस प्रकार के मुकदमों के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में कुल कितनी धन राशि वसूल की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). 1-1-1967 से 31-10-1968 तक की अवधि में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा दर्ज किये गये 49 मामलों में से 10 फर्मों पर आयात तथा निर्यात विनियमों का उल्लंघन करने का मुकदमा चलाया गया और एक विवरण (अंग्रेजी में) सभापटल पर रखा जाता है जिसमें इन फर्मों के नाम दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 506/69] शेष 39 मामलों में से 3 प्रमाण के अभाव में समाप्त कर दिये गये, 2 को काली सूची में दर्ज कर दिया गया, एक पर विभागीय कार्यवाही लंबित है और 33 पर जांच चल रही है।

(ग) वर्ष 1964 से 1968 तक के वर्षों में दोष सिद्ध होने वाले मामलों में न्यायालयों द्वारा किये जुर्मानों की कुल राशि 4,47,650 रुपये थी। वास्तव में वसूल की गई राशि ज्ञात नहीं है।

पटसन के माल का निर्यात

*732. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मत सिंह का :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों में हमारे देश से पटसन की वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात होता था, परन्तु चालू वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में उनका निर्यात कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में इसमें कितनी कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने पटसन की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। परन्तु पटसन के कालीन अस्तर का निरन्तर निर्यात बढ़ रहा है।

(ख) 78,700 मे० टन । पटसन के माल (कालीन अस्तर को छोड़ कर) के निर्यात में गिरावट निम्नलिखित कारणों से आई :—

1. इस मौसम में पटसन तथा मेस्टा की फसल का अत्यन्त कम होना और इसके परिणामस्वरूप पटसन तथा पटसन के मूल्यों में असाधारण वृद्धि ।

2. पाकिस्तान तथा संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं में प्रतियोगिता ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पटसन के माल का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(क) आवश्यक किस्म के पटसन का आवश्यक मात्रा में अपने देश में ही उत्पादन करने और उसकी उपज बढ़ाने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) 1 मार्च, 1969 से पटसन के माल पर लगे निर्यात शुल्क को कम अथवा समाप्त कर दिया गया है, जैसा नीचे दिखाया गया है :

हैसियन (कालीन अस्तर को छोड़कर)	500 रु० से घटा कर 200 रु० प्रति मे० टन
बोरे का टाट	250 रु० से घटा कर 150 रु० प्रति मे० टन
ऊन भरने के बोरे	250 रु० प्रति मे० टन को समाप्त कर दिया गया है ।
कपास भरने के बोरे	200 रु० प्रति मे० टन को समाप्त कर दिया गया है ।
बटे हुए धागे (स्पेश्यलीटिज़ को छोड़कर) के रस्से, ट्रबाईन तथा अन्य विविध माल ।	250 रु० से घटा कर 150 रु० प्रति मे० टन

(ग) आधुनिकीकरण की गति को तेज करने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत अधिक विकास छूट देने के प्रयोजन से, पटसन उद्योग को आयकर अधिनियम की अनुसूची 5 में शामिल करने का निश्चय किया गया है ।

(घ) पटसन उद्योग के उत्पादन के विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए मिलों को औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से ऋण सहायता दी जा रही है ।

Show Rooms Abroad for Indian Goods

*733. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Narendra Singh Mahida :

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) the names of countries where show rooms for Indian commodities have been set up and temporary or permanent exhibitions arranged in order to popularise and increase the sale of Indian-made goods abroad and the efforts made to strengthen this arrangement ;

(b) the names of international fairs in which India proposes to participate during the year 1969-70 ; and

(c) whether the Indian manufacturers also take interest in exhibitions and propaganda work ; and if so, in what way they are given encouragement ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Statements are placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT.—507/69.]

(c) Yes, Sir. Indian manufacturers and exporters have been evincing keen interest in our participation in the Exhibitions and Trade Fairs abroad. They are encouraged of take part in these Exhibitions and Fairs as Government meets major portion of costs to participation and transportation of their exhibits and accords facilities for their handling display and trade inquiries. To enable them to do their own sales promotion and conduct business negotiations, foreign exchange is released in their favour for their visits to the Fairs.

मोदी फेब्रिक्स, मोदी नगर

*734. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी फेब्रिक्स, मोदी नगर को पिछले दो वर्षों में टायरों तथा टायर कार्ड के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस अथवा आयात लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक मात्रा तथा विदेशी मुद्रा में और रुपये में उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं, किन्तु मैसर्स मोदी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मोदी नगर को मोटरगाड़ी के टायरों तथा ट्यूबों के निर्माण के लिए एक आशय पत्र दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अंगोला तथा अन्य अफ्रीकी देशों के स्वतन्त्रता सेनानियों को सहायता

*735. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री लताफत अली खाँ :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली उपनिवेश अंगोला तथा अफ्रीकी देशों में अन्य उपनिवेशों में स्वतन्त्रता सेनानियों को कारगर सहायता देने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार ने अफ्रीका के मुक्ति आन्दोलनों को सहायता दी है और यथासम्भव देती रहेगी। सरकार ने इन प्रदेशों के छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की हैं ताकि वे उच्चतर अध्ययन कर सकें। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के शरणार्थियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यास में और जातीय पृथग्वासन के पीड़ितों के लिए रक्षा सहायता कोष में अंशदान दिया है।

सरकार ने समय-समय पर इन मुक्ति संगठनों को दवाइयां और कपड़े भी भेजे हैं।

पाकिस्तान को परमाणु अस्त्रों की सप्लाई

*736. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए इस समाचार में कुछ सच्चाई है कि पाकिस्तान को कुछ मित्र देशों से परमाणु अस्त्र प्राप्त होने वाले हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1962. में चीन द्वारा आक्रमण किये जाने के कारण

*737. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 में चीन द्वारा आक्रमण किये जाने के कारणों का क्या कोई विश्लेषण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है और उनसे क्या परिणाम निकाले गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). 1962 के चीनी आक्रमण के पीछे निश्चय ही तरह-तरह के कारण रहे होंगे। इनमें प्रत्येक की चर्चा करना कठिन है किन्तु राजनीतिक पहलू से यह कहा जा सकता है कि सम्भव है चीन शान्तिपूर्ण तरीकों से परिवर्तन लाने की हमारी नीति के ऊपर हिंसात्मक तरीकों से परिवर्तन लाने की अपनी नीति की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता हो। मुख्य निष्कर्ष यह है कि हमें अपने दृष्टिकोण पर जोर देना चाहिए और साथ ही हमें, अपने लोगों के प्रयत्नों से, अपनी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।

हिमालयन माउन्टेनियरिंग इन्स्टीट्यूट दार्जिलिंग में की गई अनियमितताएं

*738. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालयन माउन्टेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के भूतपूर्व रजिस्ट्रार के नाम तथा

पदनाम क्या हैं जिनके द्वारा वहां पर गम्भीर अनियमितताएं की गई बताने में और प्रत्येक मामले में कितने रुपये की धोखाधड़ी की गई है ;

(ख) क्या उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उनके विरुद्ध और क्या कार्यवाही की गई है और हानि को किस प्रकार वसूल किया जावेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वह हैं :—

(1) ले० कर्नल (रिटायर शुदा) वी० एस० जसवाल और

(2) श्री वी० के० मुखर्जी, एस० ए० एस० अधिकारी, अकाउन्टेन्ट जनरल पश्चिमी बंगाल कार्यालय ।

अधिक प्राप्त कर ली गई निर्धारित राशिएं हैं क्रमशः 7199 रुपये और 2553 रुपये ।

(ख) प्राप्य प्रमाणों के बल पर, पश्चिमी बंगाल की सरकार की सलाह मशविरे से निर्णय किया गया कि इन अफसरों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवारी न की जाए । ले० कर्नल जसवाल के विरुद्ध रक्षा मन्त्रालय द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही सम्पूर्ण हो चुकी है, और उसकी पेंशन 75 रुपये मासिक कम की जा रही है । श्री मुखर्जी के विरुद्ध ए० जी० पश्चिमी बंगाल के अनुशासनिक कार्यवाही संस्थापित कर दी है । आशा है मामला शीघ्र सम्पूर्ण हो जाएगा ।

(क) और (घ). ले० कर्नल जसवाल के विरुद्ध और कोई पग उठाया जाना अवेक्षित नहीं है । एक तरह से पेन्शन में कमी का उद्देश्य है क्षतिपूर्ति । श्री मुखर्जी के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

पश्चिम एशिया के बारे में रूस के शान्ति प्रस्ताव

*739. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रा० की० अमीन :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 20 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1386 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पश्चिम एशिया की समस्याओं के बारे में रूसी प्रस्ताव अब रूस सरकार से प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). यह दस्तावेज गोपनीय है अतः भारत सरकार की प्रतिक्रिया को खुले रूप से नहीं बताया जा सकता। जहाँ तक वे सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर 1967 के प्रस्ताव के क्रियान्वयन को समर्थन करते हैं वहां तक हम सामान्य रूप से उनसे सहमत हैं।

भारत में से होकर नेपाल जाने वाली पाकिस्तान की एक रेलवे लाइन की मरम्मत

*740. **श्री विश्वम्भरन :** **श्री बंश नारायण सिंह :**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से मिलने वाली पूर्वी पाकिस्तान के राधिकापुर की पुरानी रेलवे लाइन की पाकिस्तान द्वारा मरम्मत की जा रही है जिससे उसको भारत होकर नेपाल से मिलाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान रेलवे लाइन को भारत से होकर नेपाल से मिलाये जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार इस प्रकार के प्रस्ताव से अवगत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क का हल्दिया पत्तन से जहाजों द्वारा भेजा जाना

*741. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने हल्दिया पत्तन से लौह अयस्क को जहाजों द्वारा भेजने का कार्यक्रम हाल ही में स्थगित कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में 10 जनवरी, 1969 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुए एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी हाँ। एस०एस० ओरफीयस नामक जलयान को, जोकि हल्दिया से 11 जनवरी, 1969 को नियत समय पर चला, कलकत्ता में प्रारम्भिक माल से भरा गया और हल्दिया पर पूरा भर दिया गया। सूचना में दिये गये एस० एस० जगदेव नामक द्वितीय जलयान को हल्दिया में लदान के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया।

जापानी इस्पात मिल ने एक अन्य जलयान को हल्दिया पर पूरा भरने के लिये नामांकित किया है और इसके शीघ्र ही पहुंचने की आशा है ।

राष्ट्रमंडलीय सचिवालय में भारतीय कर्मचारी

*742. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडलीय सचिवालय में कितने भारतीय कर्मचारी हैं :

(ख) उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सचिवालय क्षेत्र में यह सामान्य भावना है कि अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों की तुलना में सचिवालय में भारत और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व अधिक है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सोलह ।

(ख) अधिकांश राजनयिक कर्मचारी सदस्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर होते हैं । अवर कर्मचारियों की स्थानिक भर्ती, उनकी राष्ट्रीयता का ध्यान रखे बिना यू०के० में ब्रिटिश सिविल सेवा के लिए लागू होने वाली स्थानीय शर्तों के आधार पर की जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

*743. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये लघु उद्योगों के दो सार्थ-समूह स्थापित करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो वे एक वर्ष में कुल कितने टेलीविजन सेटों का निर्माण करेंगे ; और

(ग) इसके लिये कुल कितनी धनराशि के आयातित पुर्जों की आवश्यकता होगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). छोटे पैमाने की फर्मों की दो कन्जोर्टियों को प्रतिवर्ष 5000 टी०वी० सेट निर्माण की स्थापना के लिये अनुमति दे दी गई है ।

(ग) इस समय प्रति टी०वी० सेट के लिए आयात अंश लगभग 250 रुपये है । 19,000 सेटों के लिए आवश्यक कुल विदेशी मुद्रा लगभग 25 लाख रुपये वार्षिक होगी । दो वर्षों के दौरान कि जब चित्त की ट्यूबों समेत कई टी०वी० संघटकों के लिए देशीय निर्माण स्थापित हो जाएगा, विदेशी मुद्रांश लगभग 30 प्रतिशत कम हो जाने की आशा है ।

अवास्तविक निर्यात

*744. **श्री श्रीनिवास :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत और बम्बई की निर्यात करने वाली बहुत सी फर्में अवास्तविक निर्यात दिखा रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) जी, नहीं, केवल एक मामला सरकार के ध्यान में आया है और उसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है ।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर

*745. **श्री स० कुण्डू :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान को अमरीकी विमानों की सप्लाई

*746. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि अमरीका सऊदी अरब या ईरान के माध्यम से पाकिस्तान को फैंटम लड़ाकू विमान देगा ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिये कोई जाँच कराई गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार के पास क्या जानकारी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) भारत सरकार को जो सूचना मिली है उसके अनुसार इस प्रकार का कोई करार नहीं किया गया है जिसमें पाकिस्तान को फैंटम लड़ाकू विमान देने की बात हो ।

भारत और पूर्वी जर्मनी के बीच व्यापार समझौता

*747. **श्री क० अनिरुद्धन :** **श्री अ० कु० गोपालन :**

श्री गणेश घोष : **श्री उमानाथ :**

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री 12 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2713 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने भारत और पूर्वी जर्मनी के बीच हाल में हुए व्यापार समझौते का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे पटसन की बिक्री

*748. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने लागत मूल्य से 100 प्रतिशत से अधिक मूल्य पर उद्योगों को पटसन बेच कर दो करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया ;

(ख) क्या उद्योगों को इतने अधिक मूल्य पर पटसन बेचने की सरकार की नीति से पटसन की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और वे विश्व की मंडियों में जहां भारत में बनी पटसन की वस्तुओं की पहले से ही कड़ी होड़ का सामना करना पड़ रहा है, होड़ नहीं कर सकते हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा इतना अधिक मूल्य लिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने निगम द्वारा उद्योगों को सप्लाई करने के लिये विदेशों से आयातित कच्चे माल की सप्लाई पर अधिकतम मुनाफा लिये जाने के लिये कोई माप दण्ड निर्धारित किये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं । राज्य व्यापार निगम का निवल लाभ केवल 49 लाख रु० था ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । निगम का विक्रय मूल्य प्रचलित बाजार भाव पर आधारित था ।

(घ) जी, नहीं । विक्रय मूल्य प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर विचार करके निर्धारित किया जाता है ।

पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति के दावेदारों को मुआवजा

*749. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री 12 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2733 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त की गई वस्तुओं, सम्पत्तियों तथा आस्तियों के बारे में सरकार को भारतीय नागरिकों से दावे प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा जिन भारतीय नागरिकों को उनकी सम्पत्तियों से अवैध रूप से वंचित कर दिया गया है, उनकी हानि को पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने निरन्तर नोट भेज कर पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि 1965 के संघर्ष के सिलसिले में पाकिस्तान और भारत द्वारा जो सम्मत्तियां और आस्तियां अधिगृहीत की गई हैं, उन्हें लौटाने के बारे में बातचीत की जाए जैसी कि ताशकन्द घोषणा में व्यवस्था है । दुर्भाग्य से अभी तक पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई रचनात्मक उत्तर नहीं आया है । लेकिन सरकार इस बारे में अपने प्रयत्न जारी रख रही है ।

भारत का लिपजिग मेले में भाग लेना

*756. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए लिपजिग मेले में भारत ने पहले की अपेक्षा छोटे पैमाने पर भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कुछ राजनीतिक कारण थे ; और

(ग) क्या यह सच है कि लिपजिग मेले में भारत की ओर से कोई व्यापार प्रतिनिधि मण्डल इस बार नहीं गया था और यदि हां, तो इसके कारण क्या थे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं । मेले में गत वर्ष के स्तर पर भाग लिया गया ।

(ख) प्रश्न रहीं उठता ।

(ग) विगत वर्षों की भांति, मेले के समय लिपजिग में भारत से कोई सरकारी व्यापार प्रतिनिधिमण्डल नहीं भेजा गया । किन्तु, जैसे कि विगत में प्रथा रही है, प्रदर्शनी में भाग लेने वालों के प्रतिनिधियों को विदेशी मुद्रा देने के रूप में आवश्यक सुविधाएं दी गई ताकि वे मेले में आने वाले खरीददारों के साथ व्यवसायिक बातचीत करने हेतु मेले में उपस्थित हो सकें ।

गुजरात में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

4409. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन करके उन्हें गुजरात में बसाने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) भूमि के आवंटन के लिये भूतपूर्व सैनिकों में राज्य सरकार को कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) उनमें से कितने प्रार्थी 15 अगस्त, 1947 से पहले सेवा निवत्ति हो चुके हैं ;

(घ) चीन तथा पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के दौरान घायल हुए सैनिक कर्मचारियों तथा इन आक्रमणों में मारे गए सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों से पृथक-पृथक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ङ) कितने प्रार्थियों को इस बीच भूमि आवंटित की गई है और कितने प्रार्थियों को भूमि नहीं दी गई है और ऐसे प्रार्थियों को कब तक भूमि दी जायेगी ; और

(च) इन मामलों में, वर्ग-वार क्या प्राथमिकता निर्धारित की गई है और उनमें भूमि किस अनुपात से आवंटित की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से **(ख)**. अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से माँगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छिपे हुए नागाओं द्वारा सैनिक अधिकारियों की हत्या

4410. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सैनिक अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या-क्या हैं, जिन्हें 8 दिसम्बर, 1968 को कोहिमा के समीप रंगाजूमी में छिपे हुए नागाओं ने घेर कर मार दिया था ; और

(ख) क्या यह सच है कि स्थानीय बैप्टिस्ट गिरजाघरों के पादरियों ने इन बहादुर अधिकारियों को छापामार युद्ध का चीनियों से प्रशिक्षण प्राप्त नागाओं को पकड़ने के लिए बीहड़ स्थान में जाने के लिए प्रेरित किया था, और इन अफसरों को घेर कर गोली से मार डालने का षड्यन्त्र रचा गया था ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर में 20 नवम्बर, 1968 को सभा में दुर्घटना का ब्यौरा दिया गया था। निम्नलिखित अधिकारियों की मृत्यु हो गई ; कैप्टन बी० सुब्रमनियम, नायब सुबेदार छेदी लाल लिम्बू और नायब सुबेदार बालकृष्ण मोहन

(ख) जी नहीं। अधिकारी उस क्षेत्र में काम पर तैनात थे।

यूनाईटेड प्राविसेज कामर्शियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड

4411. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनाइटेड प्राविसेज कामर्शियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड ने किस प्रकार की तथा कितनी राशि की धोखाधड़ी की थी, जिन निदेशकों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई उनके नाम और पदनाम क्या हैं कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये तथा इन मुकदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गिरफ्तार किये गए तथा जमानत पर छोड़े गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और यदि हां, तो उन पर किन धाराओं के अन्तर्गत अभियोग चलाये गये हैं ;

(ग) उस निदेशक का नाम क्या है जिसने जमानत की परवाह न करके बिना सूचना दिए कलकत्ता से भागने का प्रयत्न किया था तथा उसका क्या परिणाम रहा ;

(घ) सरकार ने यूनाइटेड प्राविसेज कामर्शियल कारपोरेशन को कितनी राशि देनी है तथा किस मद की देनी है तथा क्या वे राशियां जब्त कर ली गई हैं ; और

(ङ) फौजदारी के मामले किस अवस्था में हैं तथा उनके बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 508/69] ।

(ग) केन्द्रीय जांच विभाग को जिस निदेशक के बारे में जानकारी मिली है कि वह शायद अग्रतला से पाकिस्तान चला गया हो उसका नाम एस० एम० वाई है। सुरक्षा नियंत्रण, कलकत्ता, गोहाटी तथा अन्य स्थानों को श्री एस० एम० वाई को पाकिस्तान सीमा पार करने से रोकने के बारे में सन्देश भेज दिया गया था। उसको ले जाने वाले विमान को सुरक्षा नियंत्रण, कलकत्ता पुलिस द्वारा 21-10-69 को वापस बुला लिया गया था और श्री एस० एम० वाई को गिरफ्तार करके स्पेशल जज के समक्ष पेश किया गया जिसने उसे इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वह न्यायालय से अनुमति लेकर उसके क्षेत्राधिकार के बाहर जा सकता है।

(घ) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के विभिन्न ठेकों की लगभग 26,97,000 रुपये की राशि रोक ली गई है।

(ङ) तीन मामलों में जिनमें केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा आरोप पत्र फिर दायर किए गये थे जांच कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है और इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि न्यायपाल द्वारा अब तक निर्णय कर दिया जायेगा।

श्रीलंका से नारियल के तेल की तस्करी

4412. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री रणजीत सिंह : **श्री हरदयाल देवगुण**:

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्रीलंका से नारियल का तेल बड़े पैमाने पर चोरी छिपे भारत लाया जा रहा है ;

(ख) क्या नारियल का तेल भारत की अपेक्षा श्रीलंका में सस्ता है ; और

(ग) क्या भारत में नारियल के उत्पादन को बढ़ाने तथा इसकी अधिक क्षेत्र में खेती करने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। 1967 तथा 1968 में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने श्रीलंका के केवल 31 किग्रा नारियल के तेल को पकड़ा था।

(ख) जी हां।

(ग) जी हाँ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किये गये सूती कपड़े का पुनर्निर्यात

4413. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा हमारा निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से हानि होने पर भी

किन देशों को सूती कपड़े का निर्यात किया जाता है और गत पांच वर्षों में इसमें अब तक प्रति-वर्ष कितनी हानि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि हंगरी कम मूल्य पर हमसे कपड़ा खरीदता है जिससे हानि होती है और हंगरी उसी कपड़े को पश्चिम यूरोप के देशों को बेच देता है और बिचौलिए काफी लाभ कमाते हैं ;

(ग) हंगरी की अर्थ-व्यवस्था की सहायता करने के लिए घाटे के इस सौदे को जारी रखने तथा पश्चिम यूरोप के देशों को सीधे माल बेच कर हंगरी द्वारा कमाये जा रहे लाभ को स्वयं नहीं कमाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या लागत से कम मूल्य पर माल बेचना और घाटा उठाना निर्यात सफलता है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इस गलत व्यापार प्रणाली को अपनाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) हंगरी, सोवियत संघ, लेबनान, इराक, जौर्डन तथा कनाडा को सूती कपड़े तथा सम्बद्ध मदों के निर्यात में हानि हुई है । गत पाँच वर्षों में इन देशों को इन मदों के निर्यात पर हुई वार्षिक हानि की मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 509/69]

(ख) सरकार का ध्यान भारतीय कोरे कपड़े की पश्चिमी यूरोप को पुनः विक्री के कतिपय समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है परन्तु अभी तक कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है । किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि हंगरी को बिक्री प० यूरोप में प्राप्त मूल्यों से अधिक मूल्यों पर की गई हैं ।

(ग) से (ङ). वर्षों के निरन्तर संवर्धन कार्य-कलापों के उपरान्त भारतीय वस्त्रों द्वारा पूर्वी यूरोप तथा अन्य देशों में प्राप्त की गई स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य व्यापार निगम ने इस मद का ऐसे मूल्यों पर निर्यात किया जिससे कई मामलों में हानि हुई । यह कार्य देश के निर्यातों को बढ़ाने, देश के उत्पादों के लिए नए बाजार खोजने और कठिन लेकिन भावी संभावनाओं से पूर्ण बाजारों को बनाए रखने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये प्रयासों का एक अंग था ।

भारतीय माल को लोकप्रिय बनाने के लिये जहाजों में प्रदर्शनियों का आयोजन

4414. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों में भारतीय माल का प्रदर्शन करने और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भारतीय जहाजों में प्रदर्शनियां लगाने की सम्भावना पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया ;

(ग) क्या हाल ही में कोई ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई थी ; और

(घ) यदि हां, किन-किन देशों में तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) और (ख). कुछ समय पूर्व विदेशों में भारतीय निर्यात उत्पादों के प्रदर्शनार्थ एक भारतीय जहाज में एक चल-प्रदर्शनी आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेने आदि प्रकार के विभिन्न माध्यमों की तुलना में वित्तीय दृष्टि से अधिक खर्चीली होने के करण उसका इरादा छोड़ दिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दार्जिलिंग में निवास भूमि के अधिग्रहण के लिये मुआवजा

4415. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री 20 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1085 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए 19 फरवरी, 1968 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 92 परिवारों की दूसरी टोली को असैनिक अधिकारियों ने उनकी अधिगृहीत निवास भूमि का मुआवजा दे दिया है ; और

(ख) क्या 58 परिवारों की तीसरी टोली को मुआवजे की देय राशि के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है और उन्हें मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । अधिग्रहण का मुआवजा अदा कर दिया गया है ।

(ख) जी हां । अधिग्रहण मुआवजा निर्धारित करके अदा कर दिया गया है ।

विदेशी भाषाओं के स्कूल में प्राध्यापकों की सेवा की शर्तें

4416. **श्री सिद्दय्या** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत चल रहे विदेशी भाषाओं के स्कूल में प्राध्यापकों की सेवा की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या सेवा की शर्तों के बारे में कोई नियम निर्धारित किये गये है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ). विदेशी भाषाओं के स्कूल के प्राध्यापक प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी होते हैं ; केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी सेवा लाभ (सामान्य भविष्य निधि, उप-दान, पेंशन आदि) उनको दिये जाते हैं । जहां तक उनकी छुट्टी का सम्बन्ध है यह स्कूल व्यवसायिक विभाग है और प्राध्यापकों को आकस्मिक छुट्टियों तथा काम्यूटिड छुट्टियों के अलावा, जोकि सरकारी कर्मचारियों को मिलती है 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां (मई के मध्य से जौलाई के मध्य तक) प्रत्येक को दी जाती है । यदि किसी प्राध्यापक को पुरी छुट्टी लेने से रोक दिया जाता है तो उसको उसके स्थान पर अर्जित

छुट्टी दी जाती है जैसाकि नियमों में दिया गया है। एक अवधि विशेष के लिए ठेके पर नियुक्त किया गया, प्राध्यापक पेंशन के लाभों का हकदार नहीं है।

प्राध्यापक प्रारम्भिक तथा अग्रिम (अशंकालिक) तथा द्विभाषिये का काम भी सिखाते हैं। सुबह की ड्यूटी के अतिरिक्त जो प्राध्यापक शाम को भी क्लास लेने के लिए आते हैं उनको आने जाने के लिए सरकार की ओर से परिवहन सुविधायें दी जाती हैं। प्राध्यापकों का काम प्रतिदिन 5 घन्टे से अधिक नहीं है।

प्राध्यापकों को इन्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज़ जैसी सस्थाओं में अध्यापन कार्य करने तथा आल इन्डिया रेडियो में नैमित्तिक कलाकारों का काम करने तथा विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने और द्विभाषियों तथ परीक्षकों के रूप में काम करने की अनुमति है यदि वह कार्य उनके सामान्य कार्य में हस्तक्षेप न करे।

प्राध्यापकों की काम करने की शर्तों के बारे में कोई पृथक नियम नहीं है क्योंकि उनपर केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के (राजपत्रित) कर्मचारियों के नियम ही लागू होते हैं।

विदेशी भाषाओं के स्कूल में पुस्तकालय

4417. **श्री सिद्दय्या :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन विदेशी भाषाओं के स्कूल में कोई पुस्तकालय है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक भाषा में कुल कितनी पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों को खरीदने के लिये प्रतिवर्ष कितना अनुदान मंजूर किया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ग) विभिन्न विदेशी भाषाओं में 6,067 पुस्तकें पुस्तकालय में है जैसाकि नीचे दिया गया है :

अरबी	769
बर्मी भाषा	125
चीनी भाषा	626
फ्रांसीसी	915
जर्मन	683
जापानी भाषा	477
मलय और भाषा इन्डोनेशिया	10
फारसी	471
रूसी	778
स्पेनिश	215
तिब्बती	121
इटली भाषा	95
अंग्रेजी	782
कुल	6067

पुस्तकों की खरीद के लिए पृथक अनुदान नहीं दिया जाता है। स्कूल को पुस्तकों पत्रिकाओं, अनुदेशात्मक उपकारणों और सहायता उपकरणों की खरीद के लिए 4000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है।

विदेशी भाषाओं के स्कूलों के प्राध्यापक

4418. **श्री सिद्दय्या :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत विदेशी भाषाओं के स्कूल में प्राध्यापकों के पदों का दर्जा बढ़ाने सम्बन्धी आदेश जारी कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो आदेशों की तिथि क्या है और क्या उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 16-11-1964।

आदेश कार्यान्वित हो चुके हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में माओवादी साहित्य

4419. **श्री मधु लिमये :**

श्री भारत सिंह चौहान :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी राजदूतावास भारत में माओवादी साहित्य बांटता रहता है ;

(ख) चीनी राजदूतावास माओवादी साहित्य को बाँटने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाता है ;

(ग) भारत सरकार इसे रोकने में कहां तक सफल रही है ; और

(घ) चीनी दूतावास द्वारा अपनाये गये तरीकों, जिनमें सादे लिफाफों में इस साहित्य को डाक द्वारा दिल्ली से बाहर के स्थानों से भेजना और संपर्क व्यक्तियों द्वारा बाँटना आदि सम्मलित हैं ; रोकथाम के लिए क्या-क्या नये उपाय अपनाने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ). अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार कोई भी राजनयिक मिशन अपने देश से संबद्ध सूचना और प्रचार सामग्री का वितरण तभी तक कर सकता है जब तक कि वह सामग्री आतिथेय देश के आंतरिक कानूनों के विरुद्ध न हो। चीनी राजदूतावास का ध्यान कई मौकों पर, जब कि उन्होंने आपत्तिजनक प्रचार साहित्य प्रचारित किया है, इस ओर आकर्षित किया गया है।

उत्तर कोरिया को निर्यात किये गये अयस्कों का भुगतान

4420. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कम्पनियों द्वारा वर्ष 1968 में सप्लाई किये गये अयस्कों का भुगतान करने में उत्तर कोरिया असफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो बकाया धनराशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं । संविदा के नियमों के अनुसार कोरिया के प्रजातन्त्रीय जनवादी गणराज्य के खरीदार को कतिपय दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर 95 प्रतिशत का अनन्तिम भुगतान तथा शेष 5 प्रतिशत का भुगतान बाद में करना था । फलतः वर्ष 1968 में संविदा का अनन्तिम भुगतान प्राप्त हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सीरिया के साथ व्यापार करार

4421. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और सीरिया के बीच एक व्यापार करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत सीरिया को मुख्य रूप से किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा और वहां से किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). भारत तथा सीरिया के मध्य किसी व्यापार करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं । परन्तु गत दिसम्बर में दोनों देशों के परस्पर व्यापार का विस्तार करने हेतु उपाय करने के लिये दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और उन्होंने व्यापार करार के सम्मत मसौदे पर छोटे हस्ताक्षर कर दिये और यह आशा की जाती है कि उस पर दोनों देशों के विदेशी व्यापार मन्त्रियों द्वारा औपचारिक रूप से निकट भविष्य में हस्ताक्षर कर दिये जायेंगे ।

Use of Space by Russia and USA for Spying Purposes

4422. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item that Governments of USSR and U.S.A. are making use of the space for spying purposes ; and

(b) if so, the reaction of the Government of India in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) Howsoever much Government of India may deplore espionage conducted by nation States by one means or another, nevertheless recourse to it persists. However, we hope that so far as outer space is concerned, it will be used exclusively for peaceful purpose. It was with this object in mind that the Government of India supported the

treaty coucluded under the auspices of the United Nations which came into force in October 1967.

भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि का आवंटन

4423. **श्री क० लकप्पा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में 4 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 511 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार से इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). महाराष्ट्र, नागालैंड, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली प्रशासन, अन्दयान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पाण्डिचेरी, त्रिपुरा, मनीपुर, चण्डीगढ़ और गोआ दमन और दीप की राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त हो गई है। वह संलग्न विवरण में दी गई है, [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये** संख्या एल०टी० 510/69] अन्य राज्यों के बारे में जानकारी फिर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

इण्डियन रेअर अर्थ्ज लिमिटेड

4424. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन रेअर अर्थ्ज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तब उसके निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन थे और उस बोर्ड ने कब तक कार्य किया ; और

(ख) अब निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं तथा कम्पनी का चेयरमैन अथवा प्रबन्ध निदेशक कौन है उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 511/69]

General Managers and Othcr High Officers Appointed in Ordnance Factories, Etc.

4425. **Shri Om Prakagh Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Kumari Kamala Kumari :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the names of factories, ordnance depots, gun and shell manufacturing and such other factories engaged in defence production where non-technicians, non-sclentists, I.A.S., I.C.S. and Civilian Officers have been appointed on the post of the General Managers and other High posts and the number of such officers ;

(b) whether it is proposed to appoint scientists and technicians in place of these officers ; and

(c) if not, the academic and technical qualifications of each of the said persons ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) No non-technician, non-scientist, I.A.S. or I.C.S. officer has been appointed as General

Manager of any Ordnance Factory or as Head of any EME Workshop. General Manager of Ordnance Factories are, however, civilians while higher posts in EME Workshops are not held by civilians.

Ordnance Depots are not engaged in Defence Production.

(b) and (c). Do not arise.

Identity Cards for Officers Working in Defence Force

4426. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether any identity cards are issued to Officers working in the Defence forces ;

(b) if so, the purpose thereof ;

(c) whether a duplicate identity card is issued to an Officer in case his identity card is lost or stolen ; and

(d) if so, the conditions on which a duplicate identity card is issued ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Identity cards are issued to establish the identity of the officers.

(c) and (d). Where an identity card is reported to be lost or stolen, it is replaced only after the matter has been investigated by a Court of Inquiry. If the investigation shows that the loss was due to the negligence of the officer, suitable disciplinary/administrative action is taken against him on the merits of the case.

Identity Cards for Retired Army Officers

4427. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether identity cards are issued to those Officers who retire from the army ;

(b) whether duplicate identity cards are issued in case the original cards are lost or stolen ;

(c) if so, the conditions on which such cards are issued ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defcnce (Shri Swaran Singh) : (a) All officers retiring with pensionary benefits are allowed to retain their identity cards.

(b) to (d). Duplicate identity cards are not issued to retired officers. This is mainly for security reasons and to discourage the loss of identity cards.

Correspondence with Naval Headquarters

4428. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1373 on the 20th November, 1968 and state :

(a) whether the position in regard to sending replies to letters seeking information regarding recruitment in the Naval Headquarters in the language in which they are received has since been reviewed ;

(b) if so, the action proposed to be taken in this regard ; and

(c) the total strength of staff proposed to be recruited for replying all letters in the languages concerned ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). Yes Sir. All letters received in Hindi are being replied to in Hindi now. The number of letters being received in languages other than Hindi and English is insignificant. Efforts are being made to reply to those letters also in the same language wherever possible. No special staff at present is proposed to be recruited.

हिन्द महासागर में रूसी नौ बेड़े की मौजूदगी

4429. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्विटजरलैंड के एक दैनिक समाचार पत्र "नीवी ग्रर्चर येतुग" में प्रकाशित इस लेख की ग्रोर दिलाया गया है कि 'हिन्द महासागर में रूसी बेड़े की मौजूदगी बढ़ रही है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने ग्रखबार में यह खबर देखी है ।

(ख) ग्रखबार में जो यह खबर छपी है, वह पूर्ण रूप से निराधार है ।

Nehru Memorial Lectures Delivered by Lord Mountbatten

4430. Shri Molahu Prashad : Will the Prime Minister be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4945 on the 18th December, 1968 and state :

(a) whether all the 'Nehru Memorial Lectures' delivered by Lord Mountbatten will be laid on the Table ; and

(b) if so, when ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Government are aware of only one such public address delivered by Lord Mountbatten. The address was widely reported in the Press and the printed text is readily available.

Appointment of Heads of Indian Diplomatic Missions

4431. Shri Molahu Prashad : Shri Bal Raj Madhok : Shri S. R. Damani :

Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4950 on the 18th December, 1968 and state :

(a) the names of the 11 persons who have been appointed as Heads of Indian Diplomatic Missions ;

(b) the particulars of their qualifications, political experience and party affiliations; and

(c) the number out of them who were defeated during the last General Elections or were elected on the Congress Party tickets ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The names are given below :

(1) Shri T. Swaminathan

(2) ,, Y. D. Gundevia
(3) ,, K. L. Mehta
(4) ,, A. M. Thomas
(5) ,, Raj Bahadur
(6) ,, S. S. Dhavan
(7) ,, Nawab Ali Yavar Jung
(8) ,, O. V. Alagesan
(9) Dr. K. S. Shelvankar
(10) Shri P. S. Naskar
(11) Shri D. P. Dhar

(b) Their educational and other qualifications are given in the enclosed sheets, [*Placed in Lidrary, See* No. LT—512/69]. Four of them viz. Sarvashri Raj Bahadur, A. M. Thomas, O. V. Alagesan and P. S. Naskar were members of the Congress Party Shri D. P. Dhar was a member of the National Conference in Jammu and Kashmir. The others have no political affiliation.

(c) Four were defeated at the last General Election and one was successful.

Applications Received in Naval Headquarters in Gujarati and Marathi

4434. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Bal Raj Madhok : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1374 on the 20th November, 1968 and state :

(a) the total number of applications received in Gujarati and Marathi in Naval Headquarters in regard to recruitment from July, 1968 to December, 1968 ;

(b) the number of applications to which replies were sent ; and

(c) the number of applications which could not be replied due to absence of address thereon ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Gujarati 2
Marathi 4

(b) Five.

(c) One.

Tarapore Atomic Power Station

4435. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the project to manufacture fuel for Tarapure Atomic Power Station has been completed ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The detailed design and lay-out of the plant are still being worked out.

पश्चिमी एशिया के देशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों का सम्मेलन

4436. **श्री रा० कृ० सिंह :**

श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी एशिया के देशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों का एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के कब होने की सम्भावना है ;

(ग) कौन सी मुख्य बातों पर विचार किया जायेगा ; और

(घ) क्या अन्य क्षेत्रों में नियुक्त राजदूतों का सम्मेलन भी बुलाया जा रहा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका स्थित भारतीय राजदूतों का एक सम्मेलन 20-23 मई, 1969 से होगा ।

(ग) पश्चिम एशिया की स्थिति और अन्य मामले जैसे व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों का विकास, जिनमें भारत की दिलचस्पी है, पर बातचीत होने की आशा की जाती है ।

(घ) विभिन्न देशों में स्थित मिशन प्रमुखों के सम्मेलन समय-समय पर किए जाते हैं ।

ट्रांसमिटरों का निर्माण

4437. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य देशों के सहयोग से ट्रांसमिटरों के निर्माण के लिये कोई कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके कहां स्थापित किये जाने की सम्भावना है और उसका निर्माण कब तक शुरू हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं । ट्रांसमिटरों के निर्माण के लिए किसी नई यूनिट की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

हज यात्री

4438. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा हज के लिये कितने हज यात्रियों को अनुमति दी गयी है ;

(ख) वर्ष बार कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ;

(ग) कितने हज यात्री वापिस नहीं आये ; और

(घ) इसके क्या कारण है और ऐसे मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क)	1967	15,200
	1968	15,000
	1969	15,000
(ख)	1967	2,38,84,205 रु०
	1968	2,34,13,315 रु०
	1969	2,36,25,000 रु०

का प्राधिकार किया गया था। यात्रियों को ठीक-ठीक कितनी रकम की विदेशी मुद्रा जारी की गई, इस बारे में पक्का पता लगाया जा रहा है।

(ग) सिवाय उन यात्रियों के जो जहाज पर अथवा सऊदी अरब में वृद्धावस्था या बीमारी के कारण मर जाते हैं, बाकी सब यात्री वापिस आते ही हैं—कुछ यात्री कुछ महीने बाद अथवा दूसरे मार्गों से अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए लौटते हैं। लेकिन, ऐसे यात्रियों की संख्या का पक्का पता लगाने का कोई निश्चित तरीका नहीं है जो हज के बाद भारत वापिस नहीं आते क्योंकि वे जिस यात्री पास पर यात्रा करते हैं वह एक वर्ष के लिए वैध होता है और वे उस अवधि में कभी भी भारत वापिस लौट सकते हैं। जो सऊदी अरब में अवधि से ज्यादा देर ठहरता है, वह अगर सऊदी अरब प्राधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है तो जेद्दा-स्थित हमारा राजदूतावास उसे भारत प्रत्यावर्तित करने के लिए कौंसिली सहायता देता है।

(घ) ऊपर (ग) में बताई गई स्थिति को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

रेडियो पेकिंग द्वारा भारत विरोधी प्रचार

4439. **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो पेकिंग द्वारा अभी हाल से भारत विरोधी प्रचार और अधिक किया जाने लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) 1968 के उत्तरार्द्ध में चीनी सरकार को कितने पत्र भेजे गये ; और

(घ) भारत विरोधी प्रचार का खंडन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हालांकि रेडियो पीकिंग के भारत विरोधी प्रचार की तीव्रता समय-समय पर थोड़ी बहुत घटती-बढ़ती रहती है, किन्तु संपूर्ण रूप से पिछले कुछ वर्षों में इसने काफी उग्र रूप धारण कर लिया है।

(ख) भारत सरकार ने ऐसे प्रकार की भर्त्सना की है और उसने चीन सरकार से कहा है कि वह इस प्रकार का प्रचार बंद करे और सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का मार्ग अपनाए।

(ग) 1968 के उत्तरार्द्ध में इस विषय पर चीन सरकार को कोई लिखित पत्र नहीं भेजा गया था।

(घ) चीनी प्रेस, रेडियो और अन्य प्रकार के माध्यमों से होने वाले झूठे और विरोधी प्रचार का खंडन करने के लिए, भारत सरकार और उनके विदेश स्थित मिशन प्रत्येक प्राप्त अवसर का प्रयोग कर रहे है।

इसराइल द्वारा परमाणु शस्त्र बनाये जाना

4440. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इसराइल ने परमाणु शस्त्र बना लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस वर्ष जनवरी के प्रारम्भ में, कुछ अखबारों में, इस आशय की खबरें छपीं कि इसराइल के पास या तो नाभिकीय बम है या निकट भविष्य में हो जाएगा, किन्तु इसराइल के सूत्रों ने इन खबरों का खंडन किया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कच्छ और भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मारे गये गुजरात के सैनिक

4441. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 में कच्छ और भारत-पाकिस्तान संघर्ष में गुजरात के सैनिकों ने अपने जीवन की आहुति दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनके परिवारों को दी जाने वाली पेन्शन का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ, (2 अफसर, 1 जे० सी० ओ० और 1 ओ० आर०) गुजरात के 4 सेना सेविवर्ग भारत-पाक संघर्ष में मारे गये थे। कच्छ संघर्ष में गुजरात का कोई नहीं मारा गया था।

(ख) उनके कुटुम्बों को दिये गए पेन्शनी लाभों के सम्बन्ध में विस्तार पेन्शन देने वाले अधिकरणों से इकट्ठे किए जा रहे हैं और यथा समय सभा के पटल पर रख दिए जाएंगे।

Irregularities Detected by Audit Department in Indian High Commission, U. K.

4442. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that irregularites involving thousands of pounds were detected by the Audit Department during the course of audit of the acconnts of the Consular Department of the Indian High Commission, London ;

(b) if so, the names of the officers held responsible therefor and the action taken against them ;

(c) whether it is also a fact that the accounts of the said Department had not been audited for the last three years : and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) An irregularity occurred, not in the Consular Department but in the Mails Branch, and was detected in November, 1966 by the High Commission of India and was reported by them to the Director of Audit, London. The amount involved is $ 5,240.

(b) The two locally recruited officials involved, Sarvashri Jugar Singh and N. C. Bose, were after due enquiry dismissed from service without penson or gratuity in March, 1968.

(c) and (d). The information is being collected.

श्री त्रिलोक चन्द गुप्त की रिहाई

4443. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में निरुद्ध 17 वर्षीय त्रिलोक चन्द्र गुप्त का मामला उठाने में, इनके मंत्रालय द्वारा अत्यधिक विलम्ब करने की परिस्थितियों की उच्च स्तरीय जांच कराने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने श्री त्रिलोकचन्द गुप्ता के परिवार को प्रतिकर देने के मामले पर विचार किया है ; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों में तुरन्त सहायता करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। त्रिलोक चन्द गुप्त का मामला उठाने में सरकार की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) भारत सरकार की ऐसी कोई स्थायी योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत ऐसे मामलों में मुआवजा दिया जा सकता हो। लेकिन, सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि उनके पुनर्वास में कैसे सहायता दी जा सकती है।

(ग) भारत सरकार की जानकारी में पाकिस्तान में भारतीय राष्ट्रिक की नजरबन्दी के जो भी मामले आते हैं उन सब में वह पहले से ही तत्काल सहायता कर रही है।

1965 में पाकिस्तान का आक्रमण

4444. **श्री रणजीत सिंह** :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में भारत सरकार पर पाकिस्तान के आक्रमण का कोई विश्लेषण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) मुख्याधिकरणों के कार्यों में एक है विभिन्न सैनिक संक्रियाओं का विश्लेषण और अध्ययन तथा उनमें पहुंचे निष्कर्षों की रोशनी में सरकार को

सलाह देना जिन में रक्षा सेनाओं को भाग लेने को कहा गया। अगस्त-सितम्बर, 1965 की सैनिक सक्रियाएँ कोई इसका अपवाद नहीं थीं। जैसा कि सदस्य महोदयों के लिये परिचालित 1966-67, 1967-68 की रक्षा मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में पहले बताया जा चुका है। वर्तमान जन-शक्ति को बढ़ाये बिना सेना संघात शक्ति को अधिक प्रभावशील बनाने के लिए ऊपर से नीचे तक सुधार करने के उद्देश्य से कुछ आन्तरिक संगठन बनाए गए हैं और यूनिटों को दोष रहित बनाया गया है। सशस्त्र सेनाओं को अधिक आधुनिक और प्रभावशील आयुधों और साजसामान से सुसज्जित करने का कार्य समक्ष रहता है, और इस ओर सारात्मक प्रगति हुई है, राशियों के विचार से भी और गुणस्वरूप के विचार से भी। स्टेटेजिक संचार में भी सुधार किये गये हैं।

1965 के अनुभव ने ही बताया कि रक्षा साजसामान के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता कम की जानी चाहिये, और इसलिए आयुधों के आधुनीकरण और रक्षा साजसामान और स्टोर के निर्माण के लिए देश में औद्योगिक अपरेटस को व्यापक तौर पर बढ़ाने और नई क्षमता को स्थापित करते आत्म निर्भरता, दोनों मार्गों पर साथ-साथ प्रयास जारी रहने चाहिए थे।

Ordnance Factory

4445. Shri Bharat Singh Chauhan : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the capital invested by Government in Ordnance Factories and the annual production thereof during the last three years ;

(b) whether it is a fact that certain items of civilian use are also manufactured by them ; and

(c) if so, the value of such items of civilian use manufactured in the ordnance factories during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Reimbursement of Pay to I.N.A. Soldiers

4446. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2331 on the 27th November, 1968 and state the number of applications received so far by Government from ex-Indian Army personnel who joined I.N A. for reimbursing their pay and allowances which were forfeited by Government and the time by which the said amount will be reimbursed ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : The number of ex-INA personnel, who have applied for restoration of their forfeited pay and allowances upto 31st January 1969 is 13825 Out of these, 8644 personnel have actually been paid In addition, 3307 claims have been passed by audit and these will be paid shortly. The remaining claims are under scrutiny and it is expected that they will be disposed of soon.

उत्तर कोरिया के साथ व्यापार समझौता

4447. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरिया का एक व्यापार-प्रतिनिधिमंडल 25 नवम्बर, 1968 को श्री किम सुक जिनके नेतृत्व में भारत आया था और यदि हाँ, तो व्यापार-वार्ता में भाग लेने वाले अधिकारियों समेत भारतीय दल के सदस्यों के नाम क्या थे ;

(ख) क्या उत्तर कोरिया को उच्च श्रेणी के 10,000 टन मेंगनीज अयस्क का निर्यात करने के लिए भारत सहमत हो गया है और यदि हाँ, तो सरकार ने उनसे ऐसी क्या गारन्टी ली है कि मेंगनीज अयस्क चीन न जा सके, जिस प्रकार पहले भारतीय माल चीन चला गया था ;

(ग) हमारे अयस्क के बदले में क्या-क्या और कितनी-कितनी मात्रा में माल भारत को मिलेगा और भुगतान किस तरीके से करना स्वीकार किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार इस बात को अनुभव करती है कि वह इस प्रकार के छिपे समझौतों से अपने शत्रुओं के हाथ मजबूत कर रही हैं और देश की प्रतिरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हाँ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों, जिन्हों कोरिया के प्रजातन्त्रीय जनवादी गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापार वार्ता में भाग लिया था, के नामों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल०टी 513/69]।

(ख) 9 दिसम्बर, 1968 को पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा सम्पन्न किए गए व्यापार तथा भुगतान करार के अन्तर्गत मेंगनीज अयस्क भारत से कोरिया के प्रजातन्त्रीय जनवादी गणराज्य को निर्यात योग्य मदों में से एक है। कोरिया के प्रजातन्त्रीत जनवादी गणराज्य को मेंगनीज अयस्क की जो मात्रा निर्यात की जायेगी वह उन संविदाओं पर निर्भर करेगी जो कि दोनों देशों के सम्बद्ध उपभोक्ताओं के बीच सम्पन्न होनी है। करार में यह विशिष्ठ रूप से उल्लेख किया गया है कि दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान की गई मदें अपने-अपने देशों में खपत के लिए होंगी और उनका पुनर्निर्यात नहीं किया जायेगा।

(ग) दोनों देशों के बीच निर्यात योग्य और आयात योग्य जिन मदों का आदान-प्रदान करना तय हुआ था उनकी सूचियां उपर्युक्त व्यापार करार के साथ संलग्न हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) कोरिया के प्रजातन्त्रीय जनवादी गणराज्य के साथ हुआ व्यापार करार उसी सुनिश्चित स्वरूप का है जो उन सभी देशों के साथ, जिनके साथ भारत ने द्विपक्षीय रुपये में भुगतान प्रबन्ध किये हैं, किये गये व्यापार तथा भुगतान करारों में अपनाया गया है। सरकार को ऐसे करार से देश की प्रतिरक्षा को कोई खतरा नहीं दिखाई देता।

आजाद हिन्द सरकार का रजत जयन्ती समारोह

4448. **श्री समर गुह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 7 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 372 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच आजाद हिन्द सरकार के स्थापना दिवस की रजत जयन्ती समारोह मनाने सम्बन्धी अभ्यावेदन में दिये सुझावों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन सुझावों को स्वीकार कर लिया है और किन को स्वीकार नहीं किया है ;

(ग) कुछ सुझावों को स्वीकार करने और अन्य को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा स्वीकृत सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). विभिन्न सुझावों पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 514/69]

Chinese Supply Posts near Sino-Burmese Border to help Naga Rebels Stranded in Burma

4449. Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri P. C. Adichan :
Shri Valmiki Chaudhary :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has established some supply posts on China-Burma border with a view to help Naga rebels stranded in Burma on their way back to India ;

(b) if so, the steps taken by Government to secure help and co-operation of the Burma Government in this connection ; and

(c) the Burmese Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Underground Nagas have been receiving supplies and training from centres established in the Yunnan province of China, close to the Burmese border.

(b) and (c). Attention of the Hon'ble Member is invited to the reply given in the Lok Sabha on March 27, 1968 to Starred Question No. 877 as also the reply given in the Rajya Sabha on August 1, 1968 to Unstarred Question No. 580. The Governments of India and Burma consult with each other on all matters of mutual interest. Such consultations are held on a continuing basis and have proved satisfactory.

मध्यावधि चुनावों के दौरान मंत्रियों द्वारा प्रयोग में लाये गये भारतीय वायु सेना के विमान

4450. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री अथवा किसी अन्य मन्त्री द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल में मध्यावधि चुनावों के दौरान वायु सेना के विमानों का प्रयोग किया था ;

(ख) यदि हां, तो ये विमान कितनी बार प्रयोग में लाये गये और उनका उपयोग किन शर्तों के अन्तर्गत किया गया ;

(ग) क्या सरकार चुनाव के प्रयोजनों के लिए सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को इन विमानों के प्रयोग की अनुमति देने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). मध्यावधि चुनावों में चुनाव अभियान में 25 अवसरों पर आई० ए० एफ० विमानों का प्रधान मन्त्री द्वारा प्रयोग किया गया था । सरकारी उद्देश्यों के अतिरिक्त भी उद्देश्यों के लिए, प्रधान मन्त्री सरकार की मुख्य के तौर पर इन विमानों के प्रयोग की अधिकारिणी हैं । ऐसी उड़ानों के किराये वाणिज्य दरों पर निर्धारित किये जाते हैं, अगर लक्ष्य स्थान नियमित वाणिज्य हवाई सेवा से सम्पर्क बद्ध हों, या प्रति यात्री

के लिए प्रति सांविधिक मील के लिए 0.33 पैसे की दर से। इस के अतिरिक्त 150 रुपये प्रति घण्टा या उसके अंश के लिए, पहले 48 घण्टों से अधिक ठहरावों के लिए विमान रोक खर्च भी वसूल किया जाता है।

(ग) और (घ). जी नहीं। सरकार की मुख्य के तौर पर प्रधान मन्त्री ही केवल इस सुविधा की अधिकारिणी हैं।

लोह अयस्क का निर्यात

4451. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में अब तक भारत से लोह अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है ; और

(ग) इस अवधि में प्रत्येक पत्तन से कितना-कितना लोह अयस्क बाहर भेजा गया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 1968-69 में (1 अप्रैल, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक) भारत से 110.26 लाख मे० टन लोह अयस्क का निर्यात हुआ।

(ख) उपर्युक्त अवधि में भारत से लोह अयस्क के पत्तन-वार निर्यातों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 515/69]।

बर्मा को कपड़ा मशीनों की सप्लाई

4452. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बर्मा की कपड़े की मशीनों तथा सहायक उपकरणों की सप्लाई के लिए एक टैण्डर भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो बर्मा को इन वस्तुओं की अनुमानत: कितनी आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या टैण्डर स्वीकार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम ने बर्मा सरकार को एक सूती कताई तथा बुनाई एकक की स्थापना के लिए टैण्डर भेजा है।

(ख) आवश्यकता अद्योपान्त आधार पर 40,000 तकुओं तथा 600 करघों वाले एक सम्पूर्ण सूती कताई तथा बुनाई संयन्त्र के लिए है।

(ग) और (घ). टैण्डर बर्मा सरकार के विचाराधीन है।

भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए कार्यकर्ता

4453. **श्री हेम राज** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिवारों के कल्याण कार्य के लिए कितने कार्यकर्ताओं की मंजूरी दी गई है ;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राक्य क्षेत्रों के लिए इन कार्यकर्ताओं को किन नियमों के आधार पर नियत किया जाता है ; और

(ग) जिला सैनिक बोर्ड नौ सेना बोर्ड और वायु सेना बोर्डों में राज्यवार और संघ राज्यवार उन्हें कितनी-कितनी संख्या में तैनात किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्णा) : (क) विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिए स्वीकृत कल्याण के कार्यकर्ताओं की संख्या इस प्रकार है :—

असम	5	महाराष्ट्र	8
बिहार	20	मैसूर	7
हरियाणा	20	उड़ीसा	2
हिमाचल प्रदेश	6	पंजाब	25
केरल	6	राजस्थान	8
जम्मू तथा काश्मीर	9	पश्चिमी बंगाल	7
तमिलनाडु	12	दिल्ली	1

(ख) कल्याण कार्यकर्ताओं की नियुक्ति राज्य सरकार की प्रार्थना पर की जाती है। उनकी संख्या सम्बन्धित जिले में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या, उसके क्षेत्र और भूप्रदेश पर निर्भर होती है ।

(ग) भिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत कल्याण कार्यकर्ता राज्य के सैनिक, नाविक, वैमानिक बोर्डों द्वारा जैसे आवश्यक समझा जाए, जिला बोर्डों को बांटे जाते हैं ।

Production of Fast Computers

4454. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Defence be pleased to state the time by which the production of fast computors on commercial scale in India is proposed to be started and the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : One firm is already manufacturing analogue computers in Madras. They have a licensed capacity of 50 such computers per year. Production of both analogue and high speed digital computer is being set up in a Public Sector undertaking in Hyderabad, with a capacity of 10 computers of each type per annum. These would be developed within two years. Another firm is setting up manufacture of computers using integrated circuits in collaboration with a public sector undertaking in Bangalore. They would manufacture 56 such computers during the next four years commencing from 1969-70. A fourth firm has also applied for undertaking the manufacture of modern computers.

दक्षिण वियतनाम में भारतीय सैनिक दस्ता

4455. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी वियतनाम में भारतीय सैनिक दस्ते के सदस्यों की संख्या में बहुत कमी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हिन्द चीनी में सुपरवियन और नियंन्त्रण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की सदस्यता के फलस्वरूप दायित्वों के कारण भारतीय सेना सेविवर्ग 1954 से हिन्द चीनी में प्रतिनियुक्त होते रहे हैं। चूंकि कई देशों ने, कि जिन्होंने पहले आयोग को वित्त के लिए निधिएं देना स्वीकार किया था, अपना अंशदान प्रदान करने में पहलूथी की थी, आयोग अपना खर्च कम करने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों में अपने क्रियाकलाप में कमी करने को विवश हो गया था। इसके अतिरिक्त वियतनाम में इस समय प्राप्य स्थितियों ने आयोग के प्रभावशीलता से कृत्य में कमी कर दी है।

Pakistani Military Aircrafts flown via India

4456. Shri Ranjit Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani Military Aircrafts which have flown via India since July last ;

(b) the number of aircrafts among them which had overflown ; and

(c) whether it is a fact that not a single Indian military aircraft has flown over Pakistan since these flights were resumed, whereas many Pakistani military aircrafts have flown over our territory with due permission ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) 24.

(b) None.

(c) No, Sir. During the same period 23 IAF aircraft have transmitted through Pakistan.

तारापुर अणु बिजली घर

4457. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर अणु बिजली घर अप्रैल, 1969 से अणु बिजली सप्लाई कर सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो सप्लाई लाइन क्या होगी ;

(ग) क्या महाराष्ट्र तथा गुजरात दोनों की बीच औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए इस बिजली के वितरण के लिये योजनाएं बनाई गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). आशा है कि तारापुर परमाणु बिजलीघर में मई 1969 से कभी-कभी थोड़ी मात्रा में बिजली मिलने लगेगी और जुलाई, 1969 से बिजलीघर पूरी क्षमता से बिजली पैदा करने लगेगा।

(ग) और (घ). इस बिजलीघर से महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को बिजली मिलेगी। इसके वितरण की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दोनों राज्यों की होगी।

गैर-सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारी

4458. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के उन सेवा निवृत्त अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों में गैर-सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र में तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय को छोड़ कर अन्य सरकारी विभागों में नियुक्ति मिली है और

(ख) उन अधिकारियों में से प्रत्येक का वेतन तथा अन्य उपलब्धियां क्या-क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) प्राप्य सूचना के अनुसार सभा पटल पर रखी गई सूचियों में दिए गए रिटायर हो चुके अफसरों को निजी क्षेत्र में या राजकीय क्षेत्र में या रक्षा मन्त्रालय के अतिरिक्त सरकार के अन्य विभागों में 1966 से 1968 वर्षों में उपयुक्त रोजगार दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये**। संख्या एल० टी० 516/69]

(ख) सूचना सहज प्राप्य नहीं है।

वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

4459. **श्री स० कुण्डू** :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री पी० विश्वम्भरन
श्री क० लकप्पा:
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन करने का विचार है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य देशों के माध्यम से पाकिस्तान के पास अमरीकी टैंकों का पहुंचना

4460. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी शीघ्र ही अमरीका में बने 1000 एम-47 तथा एम-74 टैंक इटली को बेच रहा है ;

(ख) क्या गत वर्ष पश्चिम जर्मनी द्वारा बेचे गये इसी प्रकार के टैंक पाकिस्तान में चले

गये थे और इसी प्रकार पश्चिमी जर्मनी का यह वचन झूठा सिद्ध हुआ कि वह ऐसे हथियार तनाव वाले देशों को नहीं बेचेगा ;

(ग) क्या इटली द्वारा इन नये टैंकों में से कुछ टैंक पाकिस्तान को बेच निये जाने की कोई सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने इस विषय की समाचारपत्रों में रिपोर्ट देखी है कि जर्मनी की फीड्रल रिपब्लिक शायद लगभग 800 एम०-47 और 300 एम०-74 टैंक बेचे, जो एक इटेलियन कम्पनी के काम के नहीं रहे। तदपि, सरकार को इस सम्बन्ध में कोई विश्वस्त सूचना नहीं है।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार, ऐसा नहीं हुआ।

(ग) और (घ). पाकिस्तान को सप्लाई किए गए आयुधों के प्रश्न पर सरकार के विचार, इटली समेत सभी मित्र देशों को बता दिए गए हैं। सरकार को आशा है कि वह हमारे निर्धारण से सहमत होंगे।

इण्डोनेशिया के साथ सम्बन्ध

4461. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया के साथ भारत के सम्बन्धों को सुधारने के लिए कोई सक्रिय कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इण्डोनेशिया के साथ भारत के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को सुधारने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ). सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

इन्डोनेशियाई विदेश मन्त्री के हाल के दौरे के बाद जो सम्मिलित विज्ञप्ति जारी की गई, उसमें भविष्य में भारत और इन्डोनेशिया के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों की रूपरेखा तैयार की गई ;

(1) दोनों विदेश मंत्रियों ने फिर से इस बात की पुष्टि की कि वे राजनीतिक आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सम्बन्ध बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे।

(2) दोनों देशों ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने और आपसी लाभ के व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यावहारिक उपाय निर्धारित एवं ग्रहण किए जाएं।

(3) इन्डोनेशिया के विदेश मन्त्री ने इन्डोनेशिया की पंचवर्षीय विकास योजना में भारतीय निवेश तथा सम्मिलित औद्योगिक उद्यम तथा तकनीकी सहायता से होने वाले भारतीय सहयोग का स्वागत किया।

(4) यह निश्चय किया गया कि अगले वर्ष में जकार्ता में दो सरकारों के बीच, सरकारी स्तर पर, द्विपक्षीय विचार विमर्श होंगे।

(5) दोनों विदेश मन्त्रियों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि दोनों देशों के नेताओं के द्वारा एक दूसरे देशों का दौरा करने से, आपसी संबंध बेहतर और मजबूत होंगे।

(6) दोनों देशों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने, जिसमें पण्य वस्तु प्रबन्ध भी शामिल हैं तथा व्यापार बढ़ाने के विशिष्ट पक्षों का अध्ययन करने के लिए, और विचार-विमर्श हों।

(7) यह भी निश्चय किया गया कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक करार को पुनः क्रियाशील बनाया जाए।

पटसन का निर्यात

4462. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने ऐसा संकेत दिया है कि वर्ष 1969-70 में भारत के विश्व के पटसन बाजार से बाहर निकल जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हाँ, तो पटसन की फसल को सुधारने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में कितने पटसन का निर्यात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) भारत की फसल की सम्भावनाओं की रोशनी में 1969-70 की सम्भावनाओं का पुनर्विलोकन करते समय एफ० ए० ओ० की पटसन, मेनध और सम्बन्धित फाइबर सम्बन्धी अध्ययन ग्रुप ने जनवरी 1969 की अपनी बैठक में संकेत दिया था कि भारत आशा करता है कि वह 1969-70 तथा इसके पश्चात् कच्ची पटसन में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेगा।

(ख) खादि आद डालकर, कृषि की सुधरी हुई प्रथाओं को लागू कर, अधिक क्षेत्रों में कृषि करके फसल को दुगुना करके, अधिक उत्पादन देने वाले चीजों को लगाकर, पटसन के बीजों का वितरण कर, हवाई जहाज द्वारा दवाई छिड़क कर तथा उर्वरक डालकर फाइबर के उपज को बढ़ाकर पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन भी दिया जायेगा।

(ग)	1966-67	32,777 टन
	1967-68	12,449 टन

भारत और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के बीच आर्थिक सहयोग

4463. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या भारत को जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से आर्थिक सहयोग संधि के विषय में कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें वाणिज्यिक व्यापार के अतिरिक्त तकनीकी सहयोग वित्तीय ऋण और औद्योगिक सहयोग के विषय भी सम्मिलित हैं ;

(ख) क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य ने ऐसे समझौते करने के लिये राजनयिक मान्यता की शर्तों पर जो नहीं दिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो भारत द्वारा उनकी पेशकश को अस्वीकार कर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

नेपाल से आयात

4464. **श्री सीताराम केसरी** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि कुछ वस्तुओं का भारत को निर्यात वर्ष 1967-68 की सीमा से नहीं बढ़ना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के नाम क्या है ; और

(ग) नेपाल से इन वस्तुओं का आयात न बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). नवम्बर, 1968 में काठमंडू में भारत तथा नेपाल के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरूप, नेपाल की सरकार भारत को संश्लेषित धागे के वस्त्रों तथा वेदाग इस्पात के निर्यात को 1967-68 के स्तर पर सीमित करने के लिये सहमत हो गई है । यह कार्यवाही, दोनों देशों की आयात तथा राजस्व नीतियों में अन्तर होने के कारण करनी पड़ी, नेपाल में, आयातित कच्चे माल से निर्मित इन मदों के भारत में निर्बाध आने से कठिनाइयां पैदा हो रही थीं ।

सीलोन इकनामिक लाइब्रेशन मूवमेंट का भारतीय राष्ट्रजनों पर कुप्रभाव

4465. **श्री सीताराम केसरी** :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि श्रीलंका में

'इक्नामिक लाइब्रेशन मूवमेंट' नामक एक नया संगठन बनाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को श्रीलंका से निकालने का है ;

(ख) क्या इस संठगन की गतिविधियों से वहाँ के भारतीय राष्ट्रजनों पर और इस संबंध में भारत-श्रीलंका समझौते को क्रियान्वित करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में सरकार ने अखबारी खबरें देखी हैं, लेकिन इस प्रकार के आन्दोलन के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना नहीं है । परन्तु सरकार का विश्वास है कि जहां तक भारत-श्रीलंका के सम्बन्धों का प्रश्न है वे सद्भावना एवं दोनों देशों के बीच वर्तमान गहरी सूझ-बूझ और दोनों के बीच सम्पन्न हुए करारों के द्वारा संचालित और शासित होंगे ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हानि

4466. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम को वर्ष 1967-68 में कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ख) निर्यात व्यय को कम से कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1967-68 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कोई हानि नहीं हुई ।

(ख) सरकार ने खनन, परिवहन तथा पत्तनों के क्षेत्र में अनेक विकास योजनाएं आरम्भ की हैं। इन योजनाओं में विशाखापत्तनम, पारादीप, मद्रास, मरमागोआ तथा हल्दिया के पतनों पर यांत्रिक लदान की सुविधाओं सम्बन्धी समेकित प्रायोजनाएं शामिल हैं । इन प्रायोजनाओं के पूरा होने पर खनिज अयस्कों के निर्यात की लागत में काफी बचत होने की संभावना है ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड का दूसरा कारखाना

4467. **श्री मु० न० नाधनूर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड का दूसरा कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उत्पादन लागत कम करने तथा मितव्ययता की दृष्टि से इसे बंगलौर में लगाने की संभाव्यता तथा वांछनीयता पर विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हाँ ।

(ख) उपयुक्त स्थान के सम्बन्ध में निर्णय करने से पहले सभी सबद्ध पहलुओं पर पूरा विचार किया जाएगा ।

जापान को व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

4468. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री वेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के साथ व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मंडल जापान भेजा गया था और

(ख) यदि हां, तो यह दल किन निष्कर्षों पर पहुंचा है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं, हाल ही में कोई व्यापार प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दार्जिलिंग चाय बागानों में बाढ़ और भू-स्खलन से क्षति

4469. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1968 के प्रथम सप्ताह में दार्जिलिंग चाय बागनों में अभूतपूर्व बाढ़ तथा भू-स्खलन के परिणामस्वरूप भारी क्षति हुई थी, और कुछ चाय बागनों की चाय की उपज वाली 25 प्रतिशत तक भूमि नष्ट हो गई थी ;

(ख) उस क्षेत्र में चाय एस्टेटों को हुई क्षति का अनुमान लगाने के हेतु स्थल पर अध्ययन करने के लि क्या चाय बोर्ड ने अपने कुछ अधिकारी वहां भेजे थे ;

(ग) क्या चाय एस्टेटों को अपना कार्य फिर से आरम्भ करने के लिये अस्थायी तौर पर कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है तथा क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी कोई सहायता दी है ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक ने कितनी सहायता दी है तथा किस रूप में दी है ; और

(ङ) क्या चाय बोर्ड द्वारा स्थल पर अध्ययन पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा इन निष्कर्षों के आधार पर इन एस्टेटों को और क्या सहायता देने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). चाय पुनर्रोपण उपदान योजना का विस्तार खोये बदलाव क्षेत्रों तक कर दिया गया है । क्षति पहुंची एस्टेटों को, कारखानों की इमारतों, क्षति पहुंचे संयंत्री तथा मशीनों की मरम्मत । पुनर्निमाण की लागत पूर्ति करने की दिशा में ऋणों की मंजूरी दिये जाने पर विचार हो रहा है । चालू वित्तीय वर्ष में प्रभावित क्षेत्र में श्रमिकों के मकानों के पुनर्निमाण के लिये ऋणों तथा उपदानों के रूप में 16 लाख रु० की वित्तीय सहायता देने की सहमति दे दी गई है ।

इस राशि में से 31-3-69 क पश्चिमी बंगाल द्वारा 4 लाख रु० की राशि का आवंटन किये जाने की आशा है। क्षति पहुंची चाय एस्टेटों को आवास ऋणों की मंजूरी के लिये, पश्चिम बंगाल सरकार का विचार है कि भारतीय जीवन बीमा निगम से हाल में मिले 10 लाख रु० के ऋण आवंटन की राशि का, उस सम्बन्ध में विहित शर्तों के अनुसार प्रयोग किया जाये।

(ङ) एस्टेटों को पहुंची हानि/क्षति का पता लगाने के लिये चाय बोर्ड के अधिकारी द्वारा अभी भी स्थल अध्ययन किया जा रहा है।

व्यापारिक फसलों की जिन्सों का निर्यात

4470. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय व्यापारिक फसलों की जिन्सों का कितना वार्षीक निर्यात किया जाता है ; और वर्ष 1970-71 में निर्यात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): 1966-67 तथा 1967-68 के वर्षों में भारतीय व्यापारिक फसलों तथा उसके उत्पादों के वार्षिक निर्यात क्रमशः 732·46 करोड़ रु० तथा 740·94 करोड़ रु० के लगभग थे। इन उत्पादों के निर्यातों के स्तर में आगामी वर्षों में वृद्धि होने की सम्भावना है जो के अनुकूल जलवायु की अवस्थाओं तथा अन्य कारणों पर निर्भर करेगी। अतः संभावित वृद्धि की ठीक ठीक मात्रा बताना संभव नहीं है।

समुद्रजन्य पदार्थों का निर्यात

4471. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में कुल कितनी मात्रा में समुद्रजन्य पदार्थों का निर्यात किया गया ;

(ख) इस अवधि में इन के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 (जनवरी, 1969 तक) में निर्यातित समुद्री उत्पादों का कुल परिमाण तथा निर्यातों से उपार्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नलिखित है : —

	परिमाण	मूल्य
वर्ष	(मे० टन)	(करोड़ रु०)
1967-68	21907	19.72
1968-69 (जनवरी, 1969 तक)	20330	18.19

(ग) (1) डिब्बाबन्द/जमाई हुई श्रिम्पों का निर्यात बढ़ाने के लिए हाल ही में सं० रा० अमरीका, मेक्सिको, कनाडा, ब्रिटेन फ्रांस तथा बेल्जियम के बाजारों का अध्ययन करने के लिए एक समुद्री खाद्य प्रतिनिधिमंडल इन देशों को भेजा गया था।

(2) मछली तथा मछली उत्पादों के पंजीयित निर्यातकों हेतु निर्धारित आयात नीति के अन्तर्गत उद्योग की आयात सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्यातों के जहाज पर मूल्य के 10 प्र० श० तक आयात लाइसेंस दिये जाते हैं।

(3) निर्यातित उत्पादों के गुण-सुधार हेतु समुद्री उत्पादों का अधिकांश मदों पर अनिवार्य गुण नियंत्रण तथा पोतलदान पूर्व निरीक्षण लागू किया गया है।

एशियाई आर्थिक समाज बनाना

4472. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1969 में भारत और श्रीलंका के प्रतिनिधियों के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में हुई बातचीत के दौरान एशियाई आर्थिक समाज बनाने की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में एशियाई देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। वार्ता के उपरान्त जारी की गई विज्ञप्ति की एक प्रति 12 मार्च, 1969 को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० 450 के भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर में पहले ही सभा-पटल पर दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका द्वारा निर्मित औद्योगिक माल के लिये बाजार

4473. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया में सहयोग बढ़ाने की दिशा में प्रथम कार्यवाही के रूप में श्रीलंका के उस औद्योगिक माल के लिये एक सीमित बाजार उपलब्ध कराने की वांछनीयता के बारे में विचार कर लिया गया है, जो श्रीलंका अपने प्राकृतिक साधनों, रबड़ आदि के द्वारा बना सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). इस मामले पर, अन्य बातों के साथ, भारत-श्रीलंका की आर्थिक सहयोग सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा जनवरी, 1969 में कोलम्बो में हुई उसकी पहली बैठक में सामान्यतः विचार किया गया था। इस सम्बन्ध में समिति ने कुछ ऐसी वस्तुओं पता लगाया जिनमें पारस्परिक व्यापार के विस्तार की संभावना है तथा एक छोटे कार्यकारी दल की स्थापना का निर्णय किया गया, जिसमें

दोनों सरकारों के प्रतिनिधि हों और जो इन वस्तुओं में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये, जहां कहीं भी उपयुक्त हो, व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दें।

अखिल भारतीय औषध तथा भेषज निर्माता संघ

4474. **श्री तेन्नटि विश्वनाथम्** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय औषध तथा भेषज निर्माता संघ ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि उनके ऊपर लगाई गई अनिवार्य निर्यात की शर्त को पांच वर्षों के लिए स्थगित किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) दिए गए सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

भारत-नेपाल व्यापार संधि

4475. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने नेपाल सरकार को कहा है कि दोनों देशों के बीच स्मारक-पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से दोनों देशों के बीच जिस ढंग से व्यापार होना चाहिये था वैसे नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या दोनों के बीच की गई व्यापार सन्धि में समुचित संशोधन करने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). भारत तथा नेपाल के बीच ऐसे किसी स्मारक-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। माननीय सदस्यों के ध्यान में संभवत: वे करार हैं जिन पर दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच नवम्बर, 1968 में काठमांडू में हुई व्यापार वार्ताओं के समय हस्ताक्षर हुए थे। वार्ता के अन्त में जारी की गई संयुक्त प्रेस रिपोर्ट की एक प्रति 19 नवम्बर, 1968 को सभा-पटल पर रखी जा चुकी है। भारत सरकार तथा नेपाल की महामहिम सरकार के बीच हुई व्यापार तथा पारवहन सन्धि 31 अक्टूबर, 1970 तक वैध है। इस समय संधि उपबन्ध में कोई संशोधन करने का विचार नहीं है।

Export of Iron-bearing Manganese to Japan

4476. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to export iron-bearing manganese to Japan ; and

(b) if so, the quantity thereof and the details of the agreement arrived at in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Manganese are exported from India contains iron in varying proportions depending upon the grade of ore. Following quantities of Manganese ore have been sold to Japan for delivery during 1969 :—

(1) Ferruginous Manganese Ore (30% Mn with 16-18% Fe) including Sandur 'C' (30/32% Mn with 20-22% Fe — 4 lakh tons

(2) Maganiferrous ore (27/28% Mn. with 23-25% Fe) — 2 lakh tons (approximately)

(3) Black iron ore (5-8% Mn. with 38-52% Fe) — 1 lakh tons (approximately)

विशाखापत्तनम में दूसरा नौसैनिक बेड़ा

4477. **श्री लोबो प्रभू :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में स्थापित किये जाने वाले दूसरे नौसैनिक बेड़े में नये जहजों तथा संस्थाओं की व्यवस्था की जायेगी, और यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(ख) कितने नये पद बनाये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कितना और व्यय होने का अनुमान है ;

(ग) इस से ऐसे और क्या लाभ प्राप्त होंगे जो विशाखापत्तनम में वर्तमान अड्डे से नहीं प्राप्त होते हैं ; और

(घ) इसके निर्माण में किस देश से सहायता मिल रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). विशेषज्ञों के एक रूसी दल ने विशाखापत्तनम में नौसैनिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता की थी। निर्माण कार्य भारतीय इंजीनियरों को सौंपा गया है। इन नौसैनिक सुविधाओं का विकास भारतीय नौसेना को सशक्त बनाने के कार्यक्रम का अंशभूत है, और अपने पूर्वी तट के साथ साथ नौसेना को तैनात करने में विशेषतौर पर सहाय्य होगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कमाया गया लाभ

4478. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारियों तथा उद्योग को बेचने के लिये आयात की जाने वाली वस्तुओं की लागत निश्चित करने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ;

(ख) इस में सेवा प्रभार अथवा लाभ के रूप में कितनी गुंजाइश रखी जाती है ; और

(ग) इस में कितनी बार परिवर्तन किया जाता है और किया गया है और इनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित माल का विक्रय मूल्य पत्तन पर माल के उतरने पर लागत में उपयुक्त लाभ जोड़ कर निगम द्वारा दिया जाता है, लाभ नियत करते समय निकासी, भंडारण पर व्यय, निवेश पर ब्याज तथा कतिपय मामलों में आयातित माल के पतन पर उतरने पर लागत तथा स्वदेश में उपलब्ध माल के आन्तरिक मूल्य में अन्तर को ध्यान में रखा जाता है।

उपरोक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए लाभ की दर प्रत्येक मद के लिए भिन्न भिन्न होती है।

(ग) लाभ के बारे में तथा मूल्यों में परिवर्तन की समयावधि के बारे में कोई कड़ा नियम नहीं है। वस्तुओं के मूल्यों में यथावश्यक परिवर्तन होते रहते हैं जो ऊपर गिनाये गये तत्वों के वास्तविक क्रियान्वयन पर निर्भर करते हैं।

विकास दशाब्दि समिति में पश्चिमी जर्मनी को शामिल करना

4479. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की द्वितीय विकास दशाब्दी के लिये प्रारंभिक कार्य समिति में पश्चिमी जर्मनी को शामिल करने का कोई प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या किसी बड़े राष्ट्र ने इसका विरोध किया है और इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालल में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने जर्मन संघीय गणराज्य को द्वितीय विकास दशाब्द की तैयारी समिति के लिए मनोनीत किया था।

(ख) इस समिति में सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ, पोलैंड, बल्गारिया, रूमारिया और बाइलोरसा भी मनोनीत किए गए थे ; वे देश जर्मन संघीय गणराज्य को सम्मिलित करने के खिलाफ है और इसीलिए इसकी बैठकों में भी हिस्सा नहीं ले रहे।

भारत भी इस समिति का सदस्य है और इसके काम में हिस्सा ले रहा है। सरकार ने यह आशा व्यक्त की है कि द्वितीय विकास दशाब्द के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समाजवादी वर्ग के देशों के लिए आगामी दशाब्द के वास्ते एक अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना तैयार करने में और उसे क्रियान्वित करने में सहयोग देना सम्भव होगा।

भारतीय परामर्शदातृ सेवायें

4480. **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरिंग संघ ने सुझाव दिया है कि भारतीय तकनीकी जानकारी के निर्यात को सुगम बनाने के लिये निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम की सुविधायें भारतीय परामर्शदातृ सेवाओं को दे दी जायें ;

(ख) क्या यह सच है कि इस देश में परामर्शदातृ संगठन इस लिये नहीं पनप रहे हैं क्योंकि जिन सेवाओं की वे व्यवस्था कर सकते हैं उनकी किस्म तथा उनके दायरे की सामान्य रूप से सराहना नहीं की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) परामर्शदातृ सेवाओं का देश में हाल ही में विकास हुआ है और अपने थोड़े से ही कार्यकाल में परामर्शदातृ संगठनों ने काफी मात्रा में व्यापार सम्भालना शुरू कर दिया है । विदेशों में भारतीय निर्यातकों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आद्योपांत प्रयोजनाओं के अंग के रूप में भी इन सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है ।

(ग) परामर्शदातृ सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने पहले ही अनेक उपाय किये हैं :—

(1) स्वदेशी तकनीकी परामर्शदातृ सेवाओं का इस्तेमाल उत्तरोतर बढ़ता जा रहा है ।

(2) विदेशी तकनिशियनों को नियुक्त करने की तथा विदेशी तकनीकी जानकारी को काम में लाने की अनुमति तभी दी जाती है जब तक कि उसी प्रकार के तकनीकी व्यक्ति तथा जानकारी देश में उपलब्ध न हो ।

(3) सेवाओं के निर्यात के सम्बन्ध में बीमा तथा गारंटी सुविधाएं देने के सुझाव पर निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(4) तकनीकी जानकारी तथा तकनीकी सेवाओं के निर्यात द्वारा प्राप्त लाभांश, रायल्टी तथा फीसों की आय आयकर से पूर्णतः मुक्त है ।

अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ की कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा अनिश्चित भूख हड़ताल का निर्णय

4481 **श्री उमानाथ :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री के० एम अब्राहम :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ की कार्यकारी समिति द्वारा किये गये इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि इस के सदस्य 24 मार्च, 1969 से संसद भवन के समक्ष अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल आरम्भ करेंगे ;

(ख) यदि हां तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं०रं० कृष्ण) : (क) और (ख) जी हां । समाचार

पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार ए० आई० डी० ई० एफ० की मुख्य मांगें उन कर्मचारियों की बहाली से सम्बन्धित थीं, जिनकी सेवाएं सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण समाप्त कर दी गई हैं। अदालती मामलों के लौटाए जाने से संबंधित थीं, और संघों की मान्यता रद करने के लिए कारण बताओ नोटिसों को रद करने से सम्बन्धित थीं।

(ग) 19 सितम्बर, की गैरकानूनी हड़ताल में भाग लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में दो नीति निर्णय अक्तूबर, 1968 और जनवरी 1966 में क्रमशः घोषित किए गए थे। इन दोनों नीति निर्णयों के कार्यान्वित न करने सम्बन्धी सरकार के ध्यान में लाए गए तथा काथत सभी मामलों का पुनर्रक्षण किया गया है, और सरकार विश्वस्त है कि सरकार निर्णयों का अनुसरण करते हुए की जाने वाली आवश्यक सभी कार्यवाही इन मामलों में की गई है। सरकार ने मार्च में एक और छूट की घोषणा की थी जिस के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित संस्थानों को शीघ्र कार्यान्विति के लिए निदेश भेजे जा चुके हैं।

सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को बहाल करना

4482. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्री नम्बियार : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने पर कुल कितने प्रतिरक्षा कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा नरमी बरतने की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप कितने कर्मचारियों को फिर से रख लिया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रखी जायेगी।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

4483. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में कुल कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का आयात किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या वर्ष 1968-69 के लिए दिये गये लाइसेंसों के अंतर्गत कुछ रबड़ का आयात अभी किया जाना बाकी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो पहले दिये जा चुके लाइसेंसों के अंतर्गत बाकी कितना आयात किया जाना शेष है ?

वैदशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 1969-70 में प्राकृतिक रबड़ के आयात के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी हाँ ।

(ग) प्राकृतिक रबड़ के 15,500 मे० टन आयात के लिये जारी किये गये लाइसेंसों के आधार पर मार्च, 1969 के अंत तक लगभग 10,500 मे० टन का निर्यात हो चुका होगा । 5,000 मे० टन की शेष मात्रा का आयात मार्च, 1969 के बाद किये जाने की आशा है ।

Import of Fertilizers

4484. **Shri Nitiraj Singh Chaudhary ;**
Shri Lakhan Lal Gupta :

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(aj whether Government do not propose to send their representatives abroad for arranging import of fertilizers to meet the future requirements of the country in this regard ; and

(b) if so, the manner in which fertilizers would be procured ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). It has been decided that where negotiations are not ruled out on terms of the credits obtained, as in the case of the United Kingdom, Western Europe and Japan, the negotiations in respect of the purchase of fertilisers from those sources should normally be held in India. However, exceptions may have to be made depending on the circumstances of each case of purchase. Purchases against credits from USA and Canada will continue to be made by a call of tenders as negotiations are not allowed under the AID regulations of those countries. Purchase of fertilisers against free foreign exchange are to be made by a call of global tenders.

Backward Areas of Madhya Pradesh

4485. **Shri G. C. Dixit :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether some new areas have been declared backward in Madhya Pradesh during 1968-69 ;

(b) if so, whether some schemes are likely to be included in the Fourth Five Year Plan for the development of these areas ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No new areas in Madhya Pradesh have been declared by the State Government as backward during 1969-69.

(b) and (c). Do not arise.

Powerlooms in M. P.

4486. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) the number of powerlooms sanctioned by Government for installation in Madhya Pradesh during the last three years and the details of allotment thereof by the State Government ;

(b) whether Government have sanctioned such looms to other States also :

(c) if so, the names thereof and the number of powerlooms allotted to each State ;

(d) whether powerlooms have been provided to co-operative societies also in Madhya Pradesh ; and

(e) if so, the names of these co-operative societies and the number of powerlooms allotted to each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Madhya Pradesh has been allotted 4,700 powerlooms. The details of allotment by the State Government are being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Yes, Sir.

(c) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT.—517/69]

(d) Yes, Sir.

(e) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

थाईलैण्ड के साथ व्यापार

4487. **श्री मयाबन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाईलैंड के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये कोई करार किया गया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो थाईलैंड को किन-किन मुख्य स्तुओं का निर्यात किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) भारत तथा थाईलैंड के मध्य व्यापार करार 3 दिसम्बर, 1969 को किया गया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल तथा भारत आये हुए थाई प्रतिनिधि-मण्डल के मध्य 21 तथा 22 फरवरी को व्यापार वार्ताएं भी हुई थी जिन में भारत और थाई लैण्ड के मध्य पारस्परिक व्यापार विनिमय के विस्तार के लिये संभाव्यता वाली वस्तुओं तथा मदों का पता लगाया गया था।

(ख) वर्ष 1967-98 में थाईलड को हुए भारत के प्रमुख निर्यातों में लोहे तथा इस्पात की मदें तथा पेट्रोलियम उत्पादन शामिल थे।

निपुण शिल्पियों को पेंशन के लाभ

4488. **श्री बलराज मधोक** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निपुण शिल्पियों को पेंशन देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन थी ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) उसे लागू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). योजना उन मास्टर शिल्पियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की है जो निर्धनता की परिस्थितियों में हैं। यह सरकार के विचाराधीन है।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में इतिहास अनुभाग

4489. **श्री बलराज मधोक** : **श्री वेणीशंकर शर्मा** .
श्री रणजीत सिंह : **श्री दी० चं० शर्मा** :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय में एक इतिहास अनुभाग काम कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इतिहास सम्बन्धी यह अनुभाग कब खोला गया था ;

(ग) इतिहास सम्बन्धी इस अनुभाग ने (क) जनता के उपयोग के लिये तथा (ख) सशस्त्र सेनाओं में वितरण के लिये क्या-क्या दस्तावेज प्रकाशित किये ; और

(घ) क्या इस अनुभाग ने काश्मीर अभियान का कोई इतिहास लिखा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मुख्यालयों के अन्तर्गत जुलाई, 1945 में एक संयुक्त अन्तस्सेवा ऐतिहासिक अनुभाग स्थापित किया गया था, तदनु उस का पुनस्संगठन किया गया था, और अप्रैल, 1948 में उसे सौधे रक्षा मन्त्रालय के अधीन कर दिया गया था।

(ग) द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सरकारी इतिहास के 24 ग्रन्थ तैयार किए गए हैं और प्रकाशित किए गए हैं तथा बिक रहे हैं।

तीन और पुस्तकें अर्थात इंजीनियर कोर का इतिहास, हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही तथा गोवा की विमुक्ति, एतिहासिक अनुभाग द्वारा सम्पूर्ण कर लिए गए हैं, और उनके मुद्रण के प्रबन्ध हस्तगत हैं। यह पुस्तकें सामान्य जनता को भी प्राप्य होंगी। इस के अतिरिक्त "मिलिटरी "इवेकुएशन आर्गेनाईजेशन" और विभिन्न विषयों पर 28 मोनोग्राफ सीमित दस्तावेज के तौर पर केवल सरकारी प्रयोग के लिए प्रकाशित किए गए हैं।

(घ) जी हां। जम्मू तथा काश्मीर संक्रियाओं (1947-48) पर प्रारूप संपूर्ण हो चुका है, और इस समय निरीक्षणाधीन है।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष में कमांडरों की कार्य-कुशलता

4490. **श्री बलराज मधोक :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी स्तर से लेकर डिवींजन स्तर के अनेक कमाण्डरों पर यह आरोप था कि वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनका कार्य असन्तोषजनक था ;

(ख) ऐसे कितने अधिकारी नौकरी से निकाले गए थे अथवा दण्डित किये थे ;

(ग) क्या इन संक्षिप्त कार्यवाहियों के विरुद्ध बाद में अभ्यावेदन दिये गए हैं ; और

(ख) क्या इस सारे मामले की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) की गई अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप 11 अफसरों को या तो डि मस कर दिया गया था, या उन्हें त्याग पत्र देने रिटायर

होने को विवश किया गया था। कार्यवाहक ले० कर्नल और उससे उच्च पदों के 24 अफसरों को अपने स्थायी पदों में पदावनत कर दिया था। उससे कम के पदों के पदावनत अफसरों के सम्बन्ध में सूचना सहज प्राप्य नही हैं।

(ग) और (घ) कुछ अफसरों द्वारा अपीलें और अभिवेदन भेजे गये थे, और उन पर साधारण प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गई हैं। इस मामले में कोई अधिक जांच करने का विचार नहीं है।

यूरोप में नये निर्बाध व्यापार क्षेत्र के बारे में सोमेस-डी-गोल वार्ता

4491. **श्री मधु लिमये** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान युरोप में एक नये निर्बाध व्यापार क्षेत्र के बारे में जिसकी, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली की एक आतरिक राजनैतिक परिषद होगी सोमेस-डी-गाल वार्ता की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का अध्ययन किया है कि इस प्रस्ताव का भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) एक ओर साझा बाजार के सदस्य देशों को और दूसरी ओर यूरोपीय निबांध व्यापार क्षेत्र को भारत का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित वार्ता के सम्बन्ध में सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है परन्तु उसे यूरोप में नये निर्बाध व्यापार क्षेत्र के बारे में किसी औपचारिक प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यूरोपीय साझा बाजार तथा यूरोपीय निर्बाध व्यापार क्षेत्र (एफ्टा) के देशों में भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दो प्रकार की है :—

(1) आयोग और मंत्रि परिषद तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई०ई०सी०) तथा एफ्टा देशों की सरकारों के साथ हमारे राजनयिक संपर्कों तथा भाव, अंक्टाड तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हम चाय, काजू गिरी, उष्णवलयिक मसालों, ईस्ट इंडिया किप्स, हथकरघा वस्त्रों आदि के लिये बेशकीमती रियायतें प्राात कर सके हैं।

(2) ई०ई०सी० तथा एफ्टा को हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिये निरमोक्त व्यापार संवर्द्धनात्मक कार्यवाही की गई है :—

(1) इन देशों में हुए व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना और भारतीय उत्पादों की विभिन्न कोटियों तथा गुण को दिखाने के लिये भारतीय सप्ताहों का आयोजन करना।

(2) भारतीय उत्पादकों की विक्रयशीलता का अध्ययन करने तथा व्यवसायिक संविदाएं करने के लिये व्यापार प्रतिनिधि मंडलों तथा विक्रय दलों को भेजना।

(3) इन देशों से व्यापार प्रतिनिधि मंडल क्रय दलों को भारत आने के लिये आमंत्रित करना।

(4) विभिन्न प्रचार साधनों के माध्यम से भारत के उत्पादकों का प्रचार।

(5) निर्यात संवर्द्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों तथा साथ ही गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशों में कार्यालय खोलना।

(6) निर्यात संवर्द्ध क्षेत्र में भारत में निर्यात-अधिमुख क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के प्रतिनिधियों की गतिविधियां

4492. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि "लाओशियन पेट्रियोटिक फ्रन्ट" ने भारत और कनाडा के प्रतिनिधियों द्वारा फरवरी, 1969 में वियतनाम के अनुरोध पर लोअर लाओस के थाटेंग गांव में एक जाँच सम्बन्धी दौरे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय लाओस आयोग की शक्ति के गैर-कानूनी प्रयोग के प्रति विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) लाओस स्थित अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग ने जनवरी, 1969 में थाटेंग का दौरा किया था। यह दौरा इस क्षेत्र में बढ़ते हुए तनाव का अध्ययन करने के लिए किया गया था, जिसके बारे में शाही लाओस सरकार ने रिपोर्ट की थी। निओ लाओ हस्कत ने यह कहा कि आयोग की यह कार्यवाही जेनेवा नयाचार के 19वें अनुच्छेद के प्रतिकूल थी जिसमें लाओस की तटस्थता की घोषणा निहित है। बहरहाल, आयोग के बहुमत की यही धारणा थी कि आयोग ने जो निर्णय लिया है वह लाओस से सम्बद्ध 1962 के जेनेवा नयाचार के अनुसार ही है। भारत सरकार इस विचार को स्वीकार करती है।

माल वाहक और यात्री विमानों का निर्माण

4493. **श्री क० लकप्पा** : **श्री जुगल मण्डल** :
श्री ए० श्रीधरन : **श्री सुशील नैयर** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में माल वाहक और यात्री विमानों का निर्माण निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश में माल वाहक और यात्री विमानों की कुल वार्षिक मांग कितनी है ; और

(घ) इन विमानों के निर्माण के मामले में देश कब तक आत्म निर्भर हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). इन पहलुओं पर 1968 में सरकार द्वारा नियुक्त की गई एरोनाटिक्स कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। विमानों के देशीय निर्माण के लिए भविष्य में अपनाई जाने वाली नीति के सम्बन्ध में फैसला एरोनाटिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर विचार के पश्चात किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भारतीय अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

4494. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री समरगुह :**
श्री जार्ज फरनेण्डीज :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भारतीय अध्यक्ष के व्यवहार और रवैये के बारे में गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इन शिकायतों की कोई जांच की गई है और यदि हाँ, तो यह जाँच किसके द्वारा की गई ; और

(ग) जांच के निष्कर्ष क्या हैं और यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग, वियतनाम में काम करने वाले भारतीयों के रहन-सहन के स्तर के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं जो शरणार्थियों के बहुत बड़ी संख्या में आ जाने तथा रहने के लिए अच्छी जगह मिलने में कठिनाई के कारण और कुछ अंशदायी देशों द्वारा अपना अंशदान न देने के परिणामस्वरूप इस आयोग की वित्तीय कठिनाइयों के कारण पैदा हुई है। इसलिए, आयोग के वित्त का अध्ययन करने के लिए और कर्मचारियों की संख्या में जरूरी कमी करने के लिए कए अंतरमन्त्रालयी दल जुलाई 1968 में नियतनाम गया था। इस दल की मुख्य सिफारिशों पर अमल किया जा चुका है।

भारतीय चाय उद्योग पर बरुआ समिति का प्रतिवेदन

4495. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री 25 फरवरी, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 163 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पाला में खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वाधान में आयोजित चाय उत्पादक देशों के सम्मेलन की कार्यवाही में भारतीय चाय उद्योग के बारे में बरुआ समिति का प्रतिवेदन चर्चा का मुख्य विषय बना रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए उसने क्या मुख्य टिप्पणी और सिफारिशों की और उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या निर्णय/कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) सम्मेलन में बरुआ समिति के प्रतिवेदन में समाविष्ट अनेक बातों पर विचार किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नकली धागे के आयात के लिए वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों का हस्तांतरण

4496. **श्री मधु लिमये :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कृत्रिम धागे के आयात के लिए वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों में गैर-कानूनी संशोधन तथा उनके हस्तांतरण के बारे में लोक-लेखा समिति द्वारा अपने पचासवें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर की गई अपनी कार्यवाही लोक-लेखा समिति को प्रस्तुत कर दी है ;

(ग) क्या इस सौदे से सम्बन्धित अधिकारियों तथा फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त 27 मिलों के विरुद्ध तथा भागीदारों/मैसर्स मधुसन गोवर्धनदास एण्ड कम्पनी और मैसर्स धन राज मिल्स प्राइवेट (लिमिटेड के विरुद्ध बम्बई न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं । इसके अतिरिक्त भागीदारों/मैसर्स मधुसन गोवर्धनदास एन्ड कम्पनी और मैसर्स धनराज मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध भारतीय दल संहित की धारा 120-बी के साथ धारा 420 के अन्तर्गत भी आरोप लगाये गये हैं । सरकारी अधिकारियों के डील के मामले की जाँच की जा रही हैं ;

प्रागा टूल्स लिमिटेड में बेकार पड़ी आयातित मशीनें

4497. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रागा टूल्स लिमिटेड द्वारा 1 जनवरी, 1964 से 31 दिसम्बर, 1968 तक आयात की गई कितने प्रतिशत मशीनें एक वर्ष से अधिक समय से बेकार पड़ी है ;

(ख) क्या उचित आयोजन न होने के कारण ये मशीनें बेकार पड़ी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1 जनवरी, 1964 से 31 दिसम्बर, 1968 की अवधि में प्रागा टूल्स द्वारा आयात मशीनों की कुल संख्या 49 थी, जिनमें से 4 अर्थात 17 प्रतिशत एक बर्ष से अधिक बेकार रहीं

(ख) और (ग). तीन मशीनों की हालत में ये उचित तौर प्रायोजित न किया गया था । यह पोलिश ऋण के अन्तर्गत प्रागा टूल्स द्वारा एक प्रसारण प्रायोजना के लिए प्राप्त की गई थीं, जो अन्त में कार्यान्वित नहीं गई थी । शेष में 2 मशीनें ऐसे कार्यों के लिए खरीदी गई थीं जो बाद में प्रागा टूल्स की सहायक यूनिटों को सौंप दिए गए थे । इन मशीनों को तब से

वैकल्पिक कामों के लिए कमीशन किया जा चुका है। प्रैट लैंथ चुक प्रायोजना के लिए 1967 में खरीदी गई 3 मशीनें इसलिए बेकार रहीं कि इस प्रायोजना के कमीशन किए जाने में विलम्ब हो गया।

यात्री विमानों के पुर्जों का निर्माण

4498. **श्री जुगल मंडल** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमानों के ऐसे पुर्जे बनाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है जिनका इस समय विदेशों से आयात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). उत्पादन की मितव्ययता से संगत, यथासम्भव हद तक विमानों के फालतू पुर्जों का निर्माण किया जा रहा है। उड़ान तथा व्यापक औजारों, पहियों तथा ब्रैकों, हाइड्रालिक साजसामान और अन्य व्यापक सहायकों के लिए हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स द्वारा एसेसरीज डिवीजन स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारत का कुल क्षेत्र

4499. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1934 में और 1 नवम्बर 1947 को भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था और अब भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है ;

(ख) यदि तीनों आँकड़ों में अन्तर है तो यह कितना और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत का कितना क्षेत्र चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 1934 में भारत का कुल क्षेत्रफल, उस समय के सर्वे के कार्यक्रम के अनुसार, 48,81,339.3 वर्ग किलोमीटर था। भारत के विभाजन के बाद क्षेत्रफल का फिर से हिसाब लगाना पड़ा। क्षेत्रफल के आँकड़े 1 नवम्बर 1947 को तैयार नहीं किए गए थे। भारत का वर्तमान क्षेत्रफल 32,68,090 वर्ग किलोमीटर है। यह अन्तर 1934 में भारत के क्षेत्र में परिवर्तन हो जाने और सर्वेक्षण की बेहतर तकनीकों की वजह से है।

(ग) लगभग 14, 500 वर्गमील चीन के गैर-कानूनी कब्जे में हैं और करीब 32,500 वर्ग मील पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में।

रबड़, पटसन और चाय के उत्पादन में आत्म-निर्भरता

4500. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रबड़, पटसन और चाय के उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर होने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : विस्तृत

क्षेत्रों में दोहरी फसलें उगाकर, अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग शुरू करके तथा गहन कृषि के तरीके अपना कर पटसन तथा मेस्टा का उत्पादन बढ़ाने का विचार है ।

चाय के उत्पादन में वृद्धि गहन कृषि, अधिक उपज देने वाली रोपण सामग्री के प्रयोग तथा उर्वरकों का अधिक उपयोग करके की जायेगी । उद्योग का, पुराने पौध-क्षेत्रों में पुनर्रोपण कार्य करने में सहायता देने हेतु हाल में घोषित पुनर्रोपण उपदान योजना से भी उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने की आशा है । जहाँ तक रबड़ का सम्बन्ध है इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, परन्तु चौथी योजना के अन्त तक आत्म-निर्भरता प्राप्त किए जाने की आशा नहीं है । एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों को दिखाया गया है ।

विवरण

प्राकृतिक रबड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये रबड़ बोर्ड द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :

(1) सभी रबड़ उत्पादकों को 1000/-रुपये प्रति एकड़ की दर पर पुनर्रोपण उपदान का दिया जाना ;

(2) छोटे उत्पादकों को खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ऋण दिया जाना जिससे वे उत्पादन बढ़ा सकें तथा अपनी जोतों को लाभप्रद बना सकें ।

(3) छोटे उत्पादकों को अनुरक्षण ऋण मंजूर किये जाते हैं जिससे वे अपरिपक्व क्षेत्रों में अधिक उपज के पौधे लगाकर उनका उचित अनुरक्षण कर सकें ।

(4) छोटे उत्पादकों को उपदान-प्राप्त लागत पर अधिक उपज देने वाली पौध-सामग्री दी जाती है ।

(5) बोर्ड प्रादेशिक पौध-शालाएं चला रहा है तथा वह अपनी पौधशालाओं से अथवा स्वीकृत साधनों से लेकर उत्पादकों को अधिक उपज देने वाली सामग्री दे रहा है ।

(6) बोर्ड सहकारी समितियों के माध्यम से छोटे उत्पादकों को उर्वरक, फफूंदनाशी दवाएं तथा छिड़काव यंत्र दिलाने की व्यवस्था करता है तथा साथ ही वायु से छिड़काव की व्यवस्था करता है । बोर्ड द्वारा रबड़ उगाने वालों को निःशुल्क तकनीकी सलाह दी जाती है । छोटे उत्पादकों को उपदान-प्राप्त दरों पर उर्वरक दिये जाते हैं ।

(7) बोर्ड ने अंडमान तथा निकोबार द्वीपों में एक रबड़ प्रायोगिक प्रायोजना शुरू की है, जो एक परीक्षण-सह-प्रदर्शन बागान के रूप में है तथा जो रबड़ उगाने की तकनीकी शक्यता स्थापित करेगा तथा अन्य उद्यमियों के लिए आदर्श रूप में होगा ।

(8) बोर्ड रबड़ की खेती के लिये नये क्षेत्रों की उपयोगिता की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है । जहाँ रबड़ की खेती के लिये कुछ क्षेत्रों को उपयुक्त पाया गया, वहाँ बोर्ड ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे ऐसे क्षेत्रों को रबड़ के पौधे लगाने के लिये मुक्त कर दें ।

(9) उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त रबड़ की खेती करने के विचार से केरल सरकार ने केरल बागान निगम लि० की स्थापना की है। भारत सरकार ने इसे केन्द्रीय प्रायोजित प्रायोजना के रूप में स्वीकार किया है तथा वह निगम की अंश पूंजी में निवेश के लिये राज्य सरकार को 100% ऋण सहायता दे रही है। निगम रबड़ के अन्तर्गत लगभग 15,000 एकड़ क्षेत्र में पौधे लगा चुका है तथा उसके पास चौथी योजना अवधि में रबड़ के अन्तर्गत कुछ और क्षेत्रफल लाने की योजनाएं हैं।

आयात/निर्यात लाइसेंसो का दिया जाना

4501. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों में निर्यात लाइसेंस दिये गये थे तथा ये लाइसेंस किन-किन वस्तुओं के लिए दिये गये थे ;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने निर्यात लाइसेंसों के लिये आवेदनपत्र दिये थे ;

(ग) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें लगातार गत तीन वर्षों से लाइसेंस दिये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ग). प्रदत्त निर्यात लाइसेंसों के ब्यौरे 'वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज ; इम्पोर्ट लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज़, (औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों का साप्ताहिक बुलेटिन) में प्रकाशित किये जाते हैं।

(ख) आवेदकों की संख्या एक लाख से अधिक है और जानकारी के संकलन से होने वाला लाभ उस में लगने वाले समय और श्रम के अनुरूप नहीं होगा।

इसरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध

4503. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इसरायल से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में पुनः विचार किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ताशकंद घोषणा की क्रियान्विति

4504. **श्री क० प्र० सिंह देव** :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ताशकंद घोषणा को धीरे धीरे क्रियान्वित करने के बारे में

सुप्रीम सोवियत यू०एस०ए०स०आर० के अध्यक्ष द्वारा हाल ही में प्रैस सम्मेलन में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसे 21 फरवरी, 1969 के पैट्रियट में प्रकाशित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सदन को यह मालूम है कि भारत सरकार, ताशकन्द घोषणा के क्रियान्वयन के लिये पाकिस्तान के सामने कई प्रस्ताव रख चुकी है। इस मामले में प्रगति न होने का कारण यह है कि पाकिस्तान सरकार ने हमारे प्रस्तावों के प्रति रचनात्मक रवैया नहीं अपनाया है।

लाख बोर्ड

4505. **श्री सुशीला नैयर** : **श्री बाल्मीकि चौधरी** :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश में लाख बोर्ड स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बोर्ड की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) इस पर कितना व्यय होगा ; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

रूस, इटली, फ्रांस और जापान के साथ व्यापार वार्ता

4506. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस, इटली, जापान और फ्रांस के साथ भारत व्यापार के सम्बन्ध में बातचीत कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन देशों के साथ कोई व्यापार करार करने से पहले व्यापारियों तथा उद्योगपतियों से परामर्श लेने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). इस समय सोवियत संघ जापान तथा इटली के साथ व्यापार सम्बन्धी कोई बातचीत नहीं चल रही है। 7 मार्च से 11 मार्च, 1969 तक फ्रांस के साथ व्यापार-वार्ताएं हुई थीं जिनको संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वार्ताओं को अंतिम रूप देने से पूर्व साधारणतया निर्यात संवर्द्धन परिषदों तथा वस्तु बोर्डों से परामर्श लिया जाता है।

भारत-फ्रांसीसी व्यापार करार मूलतः 1959 में किया गया था तथा समय समय पर इसका पुनः नवीकरण किया गया था इसका अब 1 जनवरी, 1969 से एक वर्ष की और अवधि के लिये पुनः नवीकरण कर दिया गया है।

इसमें भारतीय उत्पादों के लिये, जो प्रकार परिमाणात्मक प्रतिबंधों के अधीन हैं, बढ़े हुए कोटों की व्यवस्था की गई है जैसा कि नीचे दिखाया गया है

मद	कोटों में वृद्धि (दस लाख फ्रांसीसी फ्रैंक में)	
	1968 से	1969 तक
सूखी खुंभियां	1.500	2.000
ऊनी हौजरी	0.200	0.220
कपड़ा, सूती को छोड़कर	0.650	0.720
टेनिस तथा बास्केटबाल जूते	0.660	0.800
मेले तथा प्रदर्शनियां	0.750	0.800
विविध उत्पाद	0.600	0.650

1 मार्च, 1969 से 15 मई, 1969 तक की अवधि के लिये भारत से फ्रांस में प्याज के आयात पर सभी परिमाणात्मक प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं।

इस पर भी सहमति हो गई है कि आगे से भारत से नारियल जटा निर्मित वस्तुओं के फ्राँस में आयात के लिये पेरिस में भारतीय राजदूतावास द्वारा विसा दिये जायेंगे।

पटसन का उत्पादन

4507. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भारत में कितना पटसन पैदा होने की संभावना है ;

(ख) भारत में पटसन मिलों द्वारा अनुमानतः कितने पटसन का उपयोग किया जायेगा ; और

(ग) खपत तथा उत्पादन के अन्तर को कैसे पूरा करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). इस वर्ष अत्यन्त कम फसल होने के कारण पटसन उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 1968-69 में पटसन तथा मेस्टा का अनुमानित उत्पादन 48-50 लाख गांठों से अधिक होने की संभावना नहीं है। गत मौसम के बचे स्टाक और कच्चे पटसन के आयातों के होते हुए भी रेशे की प्राप्यता तथा सामान्य आवश्यकताओं में पर्याप्त अन्तर होगा। सामान्य खपत लगभग 72 लाख गांठों की है। किन्तु कमी के कारण, नवम्बर, 1968 से रेशे की प्राप्यता के अनुसार उस की खपत को आयोजित ढंग से नियंत्रित किया जा रहा है।

थुम्बा राकेट सैंटर से छोड़ा गया सेंटौर राकेट

4508. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 फरवरी, 1969 को थुम्बा राकेट सैंटर मे भारत में बना एक सेंटौर राकेट से छोड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस राकेट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) राकेट विद्या में भारत में अब तक कितनी प्रगति की है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हां ।

(ख) भारत में बनाया गया सेंटोर राकेट एक द्विखण्डीय साउंडिंग राकेट है । थुम्बा से छोड़े गये राकेट में 32 किलोग्राम बजन का आयभार लगा था तथा वह 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया । राकेट यान का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की केन्द्रीय प्रयोगशाला में किया गया था । यान में ईंधन भरने तथा उसमें आयभार जोड़ने का कार्य थुम्बा में किया गया था ।

(ग) सेंटौर राकेट यानों और उनको छोड़ने के लिये प्रणोदकों का नियमित रूप से उत्पादन करने की व्यवस्था की गई है । सेंटौर राकेटों के निर्माण के लिए आयात की जाने वाली सामग्री को देश में ही तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

छावनी बोर्डों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

4509: **श्री एस०एम० जोशी :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री सूरज भान :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना, किरकी, देहू, औरंगाबाद, अहमदनगर और जबलपुर छावनी बोर्डों के निर्वाचित सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण इन बोर्डों से त्याग पत्र दे दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी माँग यह है कि भारत सरकार के कुछ पत्र, जिनके द्वारा निर्वाचित सदस्यों के अधिकार कम कर दिये गये हैं, वापस लिये जायें ;

(ग) क्या इन पत्रों को वापस न लिए जाने के कारण असैनिक क्षेत्रों में निर्माण कार्य रुका पड़ा है ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने गत जनवरी में हुए अखिल भारतीय छावनी बोर्डों

के निर्वाचित सदस्यों के सम्मेलन के प्रस्तावों की, जो सरकार को भेजे गये थे, प्राप्ति की भी रसीद नहीं दी है ; और

(ङ) क्या कुछ सदस्यों ने साक्षात्कार के लिये निवेदन किया था, परन्तु प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). छावनी बोर्ड पूना, किरकी, देहू-रोड, औरंगाबाद, अहमदनगर और जबलपुर के निर्वाचित सदस्यों में से अधिकतम द्वारा त्यागपत्रों के सरकार को पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पत्रों में दिये गये मुख्य कारण है, पहला छावनी अधिनियम में संशोधन होना चाहिए, विशेषतः निर्वाचित सदस्यों की अवधि बढ़ा कर 3 से 5 वर्ष कर देना चाहिए, और दूसरे, असैनिक क्षेत्रों में पुरानी ग्राँट धारण करने वालों को नये भवनों के निर्माण, पुनः निर्माण, उद्देश्य में परिवर्तन, विभाजन इत्यादि करने से पहले पट्टा लेने की आवश्यकता सम्बन्धी 23 मार्च, 1968 के सरकारी पत्र में दिये गये निर्देशन वापस लौटा लिये जायें।

(ग) जी नहीं।

(च) और (ङ) अखिल भारत छावनी निर्वाचित सदस्यों के सम्मेलन के मुख्य सचिव से प्राप्त हुई प्रार्थना के उत्तर में 1 अप्रेल, 1969 को रक्षा मंत्री से भेंट आयोजित की गई है।

छावनी वार्ड अधिनियम, 1924

4510. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 पुराना हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकार इसका कब तक संशोधन करने का विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). छावनी अधिनियम में कई संशोधन आवश्यक हैं। आवश्यक संशोधनों को समाविष्ट करने वाला एक विधेयक संसद में पुरस्तवित करना प्रस्तावित है।

इंडियन मिलिटरी अकादमी परीक्षा में बैठने के लिये पात्रता

4511. **श्री बाल्मीकि चौधरी** :

श्री निहाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है जामिया रुरल इंस्टीट्यूट, दिल्ली के प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले छात्र इंडियन मिलिटरी अकादमी में प्रवेश पाने की परीक्षा में बैठ सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पोलिटेक्निक के प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को इस परीक्षा में न बैठने देने के क्या कारण हैं, जबकि इन दोनों संस्थाओं के पाठ्यक्रमों तथा उनकी अवधि में कोई अन्तर नहीं है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, जहां तक देहाती सेवाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है ।

(ख) ऐसा होता है कि अब तक निर्धारित की गई योग्यताओं में यह योग्यता स्थान नहीं पाती । तदपि समस्त प्रश्न पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला है, जिसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए योग्यताओं तथा अन्य संबंधित मामलों में सिफारिशें करने के लिए स्थापित की गई कमेटी की प्रत्याशित सिफारिशों के पश्चात् सरकार हस्तगत करने का विचार रखती हैं ।

Medium of instruction in School of Foreign Languages

4512. **Shri Chandra Shekhar Singh : Shri Jageshwar Yadav : Shri N. R. Patil :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the medium of instructions in the school of foreign languages, run by this Ministry, is only English ; and

(b) if so, the reasons for not making Hindi as the medium of instruction for teaching foreign languages, when Hindi has been introduced as a medium of instructions for higher studies even in various universities and instructors and books are also available therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) Yes, Sir.

(b) It has not yet been possible to introduce Hindi as the medium of instruction for teaching foreign languages in the school for the following reasons :

(i) A number of students undergoing training in foreign languages are yet to acquire sufficient knowledge of Hindi ; and

(ii) some of the posts of Lecturers are filled by foreigners due to non-availability of suitably qualified Indians.

Guns Manufactured in Ordnance Factories

4513. **Shri Shashi Bhushan** , Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the 315 and 12 bore guns being mauufactured by the Ordnance Factories are available for the public ;

(b) if so, their respective prices ;

(c) whether Government's attention has been drawn to the fact that 315 bore guns are being sold at rates higher than their fixed prices ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) The 12 bore Double Barrel Breech loading shotguns manufactured in Ordnance Factories are available for sale to the public through registered Arms and Ammunition dealers.

Manufacture of ·315 rifles was suspended during the 1962 Emergency but has been recently resumed in the Ordnance Factories and these rifles are expected to be sold in the market in the near future.

(b) The prices fixed for sale of 12 bore DBBL guns in the market are as follows :—

1. Non-Ejector Pattern 2.$\frac{3}{4}$" Chamber (Non-engraved)	Rs. 950 each
2. Non-Ejector Pattern 2.$\frac{3}{4}$" Chamber (Endgrave)	Rs. 1,150 ,,
3. Ejector Pattern 2.$\frac{3}{4}$" Chamber (Non-Engraved)	Rs. 1,150 ,,
4. Ejector Pattern 2.$\frac{3}{4}$" Chamber (Engraved)	Rs. 1,350 ,,

As regards ·315 rifles, their sale price will be fixed in due course when they are ready for sale.

(c) and (d). Do not arise.

सैनिक कृषि फार्म

4515. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री सैनिक कृषि फार्म के बारे में 13 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 546 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब उपलब्ध हो जायेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 518/69]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आयुध कारखानों में तकनीकी कर्मचारी

4516. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री आयुध कारखानों में तकनीकी कर्मचारियों के बारे में 21 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4773 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ;

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 519/69]**

प्रतिरक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों-अनुसूचित आदिम-जातियों के असैनिक प्रशिक्षु

4517. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री प्रतिरक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों-आदिम जातियों के असैनिक प्रशिक्षुओं के बारे में 21 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4775 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकरी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एम० आर० कृष्ण) : (क) जी हां ।

(ख) आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 520/69]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सेवाओं का गठन

4518. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री उनके मन्त्रालय में केन्द्रीय सेवाओं के गठन के बारे में 21 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 4 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 521/69]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करना

4519. **श्री किकर सिंह** :
श्री देवेन सेन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में इंग्लैंड के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर राष्ट्रमंडलीय प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) ऐसे सम्मेलन के लिये किन किन देशों ने अनुरोध किया है।

(ग) इस मामले में भारत का दृष्टिकोण क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार का सम्मेलन भारत में करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अधिवेशनों के लिये भारतीय प्रतिनिधियों का चयन

4520. **श्री किकर सिंह** :
श्री देवेन सेन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अधिवेशनों में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों का चयन करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ;

(ख) इन प्रतिनिधि मंडलों के लिये गत तीन वर्षों में कितने सदस्य चुने गये, उनके नाम क्या हैं तथा वे किस किस दल के थे ; और

(ग) क्या वे सभी कांग्रेस दल के थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अधिवेशनों में भाग लेने वाला प्रतिनिधिमंडल, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है अतः प्रतिनिधि के रूप में उन्हीं लोगों का चुनाव होता है, जो सरकार की नीतियों से सहमत होते हैं। अन्य योग्यताओं के अतिरिक्त, इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि सम्बन्धित व्यक्ति महासभा में सरकार की नीतियों को उचित रूप से प्रस्तुत करके उनका पूर्ण रूप से समर्थन कर सकते हैं या नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में महासभा के अधिवेशनों में जिन संसद सदस्यों ने भाग लिया है, उनके नाम नीचे दिए गए हैं। वे सभी कांग्रेस दल के सदस्य थे।

1966	1967	1968
श्री डी० पी० रिमरकर	श्री डी० एन० तिवारी	श्री शांति लाल कोठारी
श्री ब्रह्म प्रकाश	श्री राम निवास मिरधा	कुमारी मैरी नायडू
श्री भगवत झा आज़ाद	श्रीमती ललिता राजगोपालन	श्री के० आर० गणेश
डा० अनूप सिंह	श्रीमती देवकी गोपी दास	श्री एम० एन० नवनूर
श्री आर० पी० सिन्हा	श्री सन्त बक्श सिंह	श्री टी० एच० सोनवने
	श्री आ० डी० मंडारी	

(ग) जी हां, क्योंकि वे सरकार की नीतियों से सहमत थे।

सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया वैदेशिक व्यापार

4521. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री 10 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3943 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र द्वारा किये गये वैदेशिक व्यापार के बारे में इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो यह व्यापार किन-किन क्षेत्रों में बढ़ाया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में लोगों को आयातित कारों की बिक्री

4523. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री 17 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4933 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जनता को बेची गई आयातित कारों के बारे में इस बीच कोई जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह जानने का कोई प्रयास किया गया था कि ये कारें उसी प्रयोजन के लिये काम में लाई गई थीं जिसके लिये वे खरीदी गई थीं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां। एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें राज्य व्यापार निगम द्वारा मध्य प्रदेश की पार्टियों को बेची गयी कारों के ब्यौरे दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 522/69]

(ख) जी, नहीं।

हीरों, कीमती पत्थरों, आदि का विक्रय

4524. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री 3 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3074 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों तथा विदेशी यात्रियों को भारत में विदेशी मुद्रा के बदले में हीरों, कीमती पत्थरों तथा आभूषणों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिये किये जा रहे उपायों के बारे में इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी लोक सभा में 3-12-1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3074 के भाग (ग) के उत्तर में दे दी गई थी। उसे दोबारा नीचे दिया जा रहा है तथा साथ ही तब से किया गया एक अन्य उपाय उत्तर की मद (4) में दिया गया है।

(1) 1-4-1968 से विदेशी पर्यटकों को रत्न तथा जवाहिरात की बिक्री प्रतिपूर्ति योजना शुरू की गई है। योजना में निर्धारित उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल हुई विदेशी सामग्री के आयात की व्यवस्था की गई है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिपूर्ति को, सभी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी बैंक लेन-देनों पर आधारित, विदेशी पर्यटकों को की गई जवाहिरात की सभी बिक्रियों पर लागू कर दिया है, उदाहरण के लिये उन लेन-देनों में विदेशी मुद्रा के यात्री चैक, क्रास किये हुए विदेशी बैंक ड्राफ्ट तथा विदेशी बैंकों के नाम व्यक्तिगत चैक भी शामिल हैं, और केवल यात्री चैक ही नहीं हैं।

(3) उपर्युक्त (1) तथा (2) के अतिरिक्त रत्न तथा जवाहिरात निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा विदेशों में बिक्री। अध्ययन दलों तथा प्रतिनिधिमंडल भेजने और प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधाएं दी जाती हैं।

(4) अब विदेशी पर्यटकों को किसी मूल्य सीमा के बिना भारतीय जवाहिरातों को भारत से बाहर ले जाने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। (पहले विदेशी पर्यटकों को रत्न तथा जहाहिरात पदों की बिक्री योजना में 10,000 रु० की सीमा निर्धारित थी)।

(5) लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3074 के उत्तर में जानकारी एकत्र करने के लिए दिया गया आश्वासन विदेशी पर्यटकों को जवाहिरात की बिक्री द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में था। इसमें विभिन्न व्यक्तिगत स्रोतों से जानकारी एकत्र की जानी है अतः यह अभी भी एकत्र की जा रही है।

कांगड़ा जिले में कांद्रोरी रेलवे स्टेशन के निकट अर्जित की गई भूमि का मुआवजा

4525. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, नूरपुर तहसील के अन्दौरा खण्ड में कांद्रोरी रेलवे स्टेशन के निकट कितनी भूमि अर्जित की गई है ;

(ख) इसका प्रभाव कितने किसानों पर पड़ा है और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया गया है ; और

(ग) उनसे कितनी भूमि ली गई है और उनकी आजीविका के लिये कितनी भूमि छोड़ दी गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला, नूरपुर तहसील के अन्दौरा ब्लाक में कान्द्रौरी रेलवे स्टेशन के निकट कोई भूमि अर्जित नहीं की गई है। 1966 और 1967 वर्षों में कान्द्रोरी में रक्षा उद्देश्यों के लिए 39,585 एकड़ भूमि क्षेत्र अधिग्रहीत किया गया है जिससे लगभग 53 भूस्वामी प्रभावित हुए।

1966 में अधिग्रहीत 19.349 एकड़ों के सम्बन्ध में रबी 1968 तक कुल 1754.71 रुपये प्रति वर्ष पुनरावृत्त मुआवजा अदा कर दिया गया है।

1966 में अधिग्रहीत 20.24 एकड़ के सम्बन्ध में मार्च 1969 में सक्षम अधिकरण द्वारा पुनरावृत्त मुआवजा 2779 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है और राशि की अदायगी के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्थानीय राजस्व अधिकरणों को किराया मुआवजा शीघ्र अदा करने को कहा गया है।

यह ज्ञान नहीं है कि प्रभावित भूस्वामियों के पास शेष कितनी भूमि रह गई है।

भूमि, श्रमिकों तथा कारखानों की क्षमता का अप्रयोग

4526. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रधान** मन्त्री 19 और 26 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 348 और 1267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भूमि, श्रमिकों तथा कारखानों की क्षमता के अप्रयोग से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र कर लिये हैं ;

(ख) क्या किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों या सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के उपायों तथा परियोजनाओं के साथ इन आंकड़ों को सम्बद्ध करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, समुचित विकास कार्यक्रमों को तैयार कर उनके द्वारा मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के भरभूर उपयोग की अपेक्षा की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मलयेशिया और सिंगापुर के साथ व्यापार समझौते

4528. **श्री मयावन** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने पूर्वी देशों अर्थात मलयेशिया, सिंगापुर आदि के साथ व्यापार के लिये द्विपक्षीय व्यापार समझौते किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सुपारी या पानी की सुपारी का आयात भी व्यापार समझौते में सम्मिलित वस्तुओं में है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी रामसेवक) : (क) मलयेशिया अथवा सिंगापुर के साथ अभी तक हमने कोई व्यापार करार नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात के लिये प्रोत्साहन

4529. **श्री मयावन** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन के लिये निर्यात-प्रोत्साहन इसलिये दिये जाते हैं कि उससे विदेशी मुद्रा की आय होती है जिसकी हमारे देश को अत्यधिक आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुराने आयातकों के अतिरिक्त नये व्यापारियों को भी तदर्थ आधार पर इसके लिये प्रोत्साहन देने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हाँ ।

(ख) जहां तक निर्यात संवर्धन का सम्बन्ध है, उसमें सुस्थापित आयातक नहीं आते । निर्यातों पर आयात पूर्ति तथा नकदी सहायता जैसे सहायक उपायों से सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्तु बोर्डों के साथ पंजीकृत निर्यातक ही लाभान्वित होते हैं । पंजीकरण, निर्यात में अनुभव प्राप्त फर्मों के लिये ही नहीं अपितु इस क्षेत्र में आने वालों के लिये भी, जिनके पास निर्यात शुरू करने के साधन हैं, खुला हुआ है ।

Per Capita Income According to National Sample Survey Findings

4530. Shri Deorao Patil : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the findings of National Sample Survey, one-third of the total population of the country lives on one rupee per day ;

(b) whether it is also a fact that according to the said survey, seventy per cent of the population in the villages earn rupees fifteen per month and 70 per cent of the urban population earn rupees twenty-four per month ; and

(c) if so, the effective steps being taken by Government to eradicate poverty and mal-nutrition from the country ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Some figures, collected by the National Sample Survey, are available in respect of the year 1963-64. From those figures it was estimated that 78 per cent of the population of the country spent Re. 1/- or less per day. No latter estimates are available.

(b) Data on per capita earnings indicating the break up as between rural and urban areas are not available.

(c) Eradication of poverty and mal-nutrition is one of the important objectives of the developmental programmes embodied in our Five Year Plans. This objective is also being realised gradually. Since 1950-51-per capita income in real terms has increased by about 30 per cent. A co-ordinated nutrition programme covering schemes such as feeding of pre-school children, school meals, prophylacsis against nutritional anaemia for mothers and children, prevention of blindness among children due to Vitamin-A deficiency, etc. has been formulated and will find a place in the Fourth Plan. The emphasis laid in our Plans on expansion of facilities for education, general and technical, should also contribute progressively to eradication of poverty by improving the skills of the poorer sections of the population.

नेपाल द्वारा भारतीय अभ्रक का पुनः निर्यात

4531. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 के बीच नेपाल को कितने अभ्रक का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या नेपाल द्वारा आयात किया गया अभ्रक उसकी आन्तरिक खपत के लिये है अथवा अन्य देशों को आगे निर्यात करने के लिये है ; और

(ग) यदि हां, तो किन अन्य देशों को नेपाल द्वारा भारतीय अभ्रक का आगे निर्यात किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) प्राप्य प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 1967-68 और 1968 69 में नेपाल को अभ्रक का कोई निर्यात नहीं किया गया । किन्तु, नेपाल में विदेशी मुद्रा बोनस वाउचर प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय मूल के अभ्रक का नेपाल से तीसरे देश को निर्यात किये जाने की अपुष्ट सूचनाएँ हैं । सीमा पर चौकसी मजबूत करने के अतिरिक्त ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये, जो कि भारत-नेपाल व्यापार तथा परिवहन संधि की भाषा तथा भावना के विपरीत है, नेपाल सरकार का सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

Per Capita Income in Rural and Urban Areas

4532. **Shri Deorao Patil** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the number of persons spending less than one rupee per day at present according to the findings of the National Sample Survey ;

(b) the *per capita* per month income in the rural and urban areas in the country and

(c) the percentage of such persons as spend less than one rupee per day in each State ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Relevant data, collected by the National Sample Survey, are available for the year 1963-64 ; no later estimates are available. According to the information collected, the number of persons spending less than one rupee per day was estimated for the year 1963-64 to be approximately 363 million out of an estimated mid-year population of 465 million.

(b) Data on *per capita* monthly income separately for rural and urban areas are not available.

(c) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—523/69.]

Price of Cotton

4533. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the price of cotton fixed for the current year ;

(b) whether Government had also ascertained the views of the cotton-growers in this regard, before fixing the price ;

(c) whether it is a fact that the growers have suggested an increase in the price ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). Statutory price control on cotton was withdrawn from the cotton year 1967-68. Since then controlled prices of cotton have not been fixed, though minimum support prices have been announced from year to year. Minimum support prices have been announced for the cotton year 1968-69 also. The Cotton Advisory Board, on which growers are represented, was consulted before announcing the minimum support prices. Since then no suggestion to increase the minimum support prices has been received.

भारत-तिब्बत सीमा पर चीनी सेना की लामबंदी

4534. **श्री शिवचन्द्र झा** : **श्री शिवकुमार शास्त्री** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री क० पि० मधुकर** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के रूस-चीन संघर्ष के कारण भारत-तिब्बत सीमा पर चीनी सेनाओं की अधिक लामबंदी की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय क्षेत्र की रक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) चीनी सैनिक हमारी उत्तरी सीमा के उस पार अब भी भारी शक्ति में विद्यमान हैं । तदापि, ऐसा कोई इंगित नहीं कि उन सेनाओं में हाल में कोई वृद्धि हुई हो । अपने भूक्षेत्र की समग्रता की सुरक्षा के हितों में अपनी सीमाओं के पार सतर्कता से ध्यान रखा जाता है ।

सुनाबेडा, जिला कोरापुट (उड़ीसा) में मिग विमान कारखाने में स्थानीय लोगों को रोजगार देना

4535. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) ने अपने एक भाषण में गत जनवरी में उड़ीसा के कोरापुट जिले में सुनाबेडा में मिग विमान कारखाने में वहाँ के लोगों को रोजगार देने के विरुद्ध भाषण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वकतव्य सरकारी उपक्रमों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने सम्बन्धी सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति के अनुसार है ;

(ग) क्या यह सच है कि सुनाबेडा स्थित मिग विमान कारखाने में संस्थापना अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी उड़ीसा संवर्ग के हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 2-1-1969 को पहले इंजन के वितरण पर रक्षा मंत्री (रक्षा उत्पादन) ने अपने वक्तव्य में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटिड फैक्टरी कोरापुर में स्थानीय लोगों को काम पर लगाए जाने के विरुद्ध कोई बात नहीं कही ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता । एच०ए०एल० कोरापुट में भर्ती कम्पनी के निर्धारित नियमों के अनुसार तथा एम्पलायमेन्ट एक्सचेंजिज (कम्पलसरी नोटिफिकेशन आफ वेकेन्सीज) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) नियुक्ति स्थान कम्पनी के नियमों के अनुसार है । यह आवश्यक नहीं कि सेविवर्ग और सुरक्षा अफसर उस राज्य के हों कि जिस में फैक्टरियां स्थित हों ।

नेपाल द्वारा भारतीय कपड़े का पुनः निर्यात

4536. **श्री यशदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 और 1968 में अलग-अलग नेपाल को 'ग्रे' किस्म के कपड़ों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य कितना था ;

(ख) क्या निर्यात में असाधारण वृद्धि को देखते हुए सरकार ने नेपाल के साथ हुए व्यापार तथा परिवहन करार में त्रुटियों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) सरकार ने नेपाल को कपड़े का निर्यात बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की है क्योंकि उनको अन्य देशों को पुनः निर्यात किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री **चौधरी राम सेवक**): (क) वर्ष 1967 तथा 1968 में भारत से क्रमश: 142 लाख रु० मूल्य के 109.5 लाख वर्ग मीटर तथा 389 लाख रु० मूल्य के 268.5 लाख वर्ग मीटर कोरे कपड़े का नेपाल को निर्यात किया गया।

(ख) और (ग) : भारत-नेपाल व्यापार की व्यवस्था व्यापार तथा परिवहन संधि (1960) के उपबन्धों के अधीन की जाती है जो कि 31 अक्तूबर, 1970 तक वध है। संधि के अनुच्छेद 2 के उपबन्धों के अधीन दोनों में से किसी भी देश के उद्भव का माल, जो कि दूसरे देश के रांज्य क्षेत्र में खपत के लिये हो, अन्य बातों के साथ-साथ, मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों से मुक्त होता है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों से पता चला है कि नेपाल ने कलकत्ता पतन द्वारा किसी कोरे कपड़े का निर्यात नहीं किया है। व्यापार की दिशा परिवर्तन की समीक्षा होती रहती है। नवम्बर, 1968 में काठमंडू में महामहीम नेपाल सरकार के साथ हुई वार्ताओं में इस पर बातचीत की गयी थी। व्यापार की दिशा परिवर्तन के विरुद्ध-निवारक उपाय करते र ने के लिये दोनों सरकारें सहमत हो गयी।

नेपाल तथा अन्य देशों को व्यापार प्रतिनिधि मंडल

4537. **श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल तथा विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये अधिकारियों का तथा मंत्री स्तर के कितने प्रतिनिधि मंडल विदेशों में गये हैं तथा 1967 और 1968 में ऐसे दौरों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई हैं और उसमें से विदेशी मुद्रा कितनी है ;

(ख) क्या इन दो वर्षों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिये व्यय की गई राशि को ध्यान में रखते हुए निर्यात के रुख के बारे में उन मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) हमारे निर्यात रुखों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और ऐसे अध्ययनों के परिणामस्वरूप विभिन्न निर्यात संवर्धन उपाय किये जाते हैं। किन्तु विदेशों में भेजे गए व्यापार प्रतिनिधि मंडलों अथवा किसी एक निर्यात संवर्धन उपाय से प्राप्त परिणामों का पृथक रूप से अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

विवरण

967 और 1968 में विदेशों में भेजे गये सरकारी/मंत्री स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल और उन पर दिया गया व्यय।

	1697	1968
(1) विदेशों में भेजे गये व्यापार प्रतिनिधि मंडलों की संख्या।	13	15
(2) किया गया कुल व्यय	1,24,000 रु०	2,47,600 रु०
(3) विदेशी मुद्रा मे किया गया व्यय	37,160 रु०	78,500 रु०

स्कूलों में सैनिक अध्ययन लागू करने का प्रस्ताव

4538. **श्री वृजराज सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर चीन और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा को निरन्तर खतरे को देखते हुए सभी स्कूलों में सैनिक अध्ययन को अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में लागू करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) स्कूलों के स्तर तक पठ्यचर्या का मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है । जहां तक सरकार को ज्ञान है, स्कूलों में अनिवार्य या स्वैच्छिक आधार पर सैनिक अध्ययन पुरस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तदपि, एन० सी०सी० योजना के अन्तर्गत स्कूलों और कालिजों में छात्रों को कुछ सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, और 1968 के अन्त में एन०सी०सी० में लगभग 13 लाख छात्र थे । सभी सैनिक स्कूलों में एन०सी०सी० प्रशिक्षण अनिवार्य है, और विश्वविद्यालयों में से 9 में वह अभी अनिवार्य तौर पर जारी है ।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दुर्गापुर इस्पात संयत्र के सुरक्षा कर्मचारियों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"केन्द्रीय रक्षित पुलिस द्वारा दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के सुरक्षा कर्मचारियों पर गोली चलाया जाना और जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्तियों को गहरी चोटें आई" ।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : राज्य सरकार के अनुसार दुर्गापुर में घटी घटना का ब्यौरा पुलिस के कथन अनुसार इस प्रकार है ।

24-3-1969 को लगभग 11 बजे दुगापुर इस्पात सयन्त्र के सुरक्षा स्टाफ के लगभग 150 सदस्य डायरक्टर-इन-चार्ज के समक्ष अपनी शिकायतों के बारे में एक ज्ञापन रखने के लिए प्रशासन भवन गये थे, संयन्त्र पर तैनात उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्मड कान्सटेब्लरी के एक सैक्शन ने उनको निदेशक के कार्यालय में जाने से रोका । इसके फलस्वरूप सुरक्षा स्टाफ और उत्तर प्रदेश आर्मड कान्स्टेब्लरी के बीच जिसपर लोहे की कुर्सियां तथा लोहे के चिप्स से आक्रमण किया गया, मुठभेड हो गई, सुरक्षा स्टाफ को तित्तर-बित्तर करने के लिए लाठी चलाई गई ।

इस समाचार के फैलने से इस्पात संयन्त्र के मजदूर प्रशासन भवन में जमा हो गये । भवन के सामने 3000 मजदूर जमा हो गये और उन्होंने कार्यालय के कमरे को नष्ट करना आरम्भ कर दिया, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिये 5 कारों 2 जीपों और 2 स्कूटरों का आग लगा दी । उत्तर

प्रदेशआ र्म्ड कान्स्टेबुलरी के जवानों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। चार अथवा पाँच गोलियां चलाई गई। इसके परिणामस्वरूप भीड़ और जमा हो गई और उन्होंने उत्तर प्रदेश आर्मड कान्स्टेब्लरी पर पुनः आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में पटाखों का प्रयोग किया गया। एक 'विकट' के एक जवान ने आत्म रक्षा में हवा में दो गोलियां चलाई।

सरकार को इस्पात संयन्त्र के प्रबन्धकों से प्राप्त रिपोर्ट राज्य पुलिस द्वारा घटना सम्बन्धी दिये गये ब्यौरे के समान है। प्रबन्धकों ने जिनको प्रदर्शन के बारे में पूर्व जानकारी थी, विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए 10 बजे स्थानीय पुलिस से पर्याप्त प्रबन्ध करने का अनुरोध किया था। स्थानीय आफिसर-इन चार्ज ने पहले किये गये वचनों को देखते हुए अपनी कठिनाई व्यक्त की थी। डायरेक्टर-इन चार्ज मेजर जरनल बडेरा ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से 11.30 बजे तथा 12 बजे दोपहर जिला मजिस्ट्रेट से भी सम्पर्क स्थापित किया था।

राज्य सरकार को इस बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उत्तर प्रदेश आर्मड कान्स्टेबुलरी ने बिना किसी भड़काने वाली कार्यवाही के गोली चलाई थी। उन्होंने आगे कहा है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सुपरिटेंडन्ट आफ पुलिस, आसनसोल, स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये घटनास्थल पर गये थे। मुख्य सुरक्षा अधिकारी और कुछ अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उनके विरुद्ध दण्डनीय अपराध करने के और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत भी उनके विरुद्ध आरोप है। उत्तर प्रदेश आर्मड कान्स्टेबुलरी के 35 और कारखाने के स्टाफ के 24 सदस्य घायल हुए। स्टाफ कर्मचारियों में तीन व्यक्तियों को गोली लगी है। उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश आर्मड कान्स्टेबुलरी के पांच अथवा छः व्यक्तियों को थी जिनको गम्भीर चोटें आई हैं अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है।

राज्य सरकार के अनुसार पूरे तथ्य अभी उपलब्ध नहीं हैं। और उन्होंने गृह-विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच करने के लिए कहा गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : कुछ समय पूर्व जब 19 सितम्बर की हड़ताल के समय केरल के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को राज्य में दाखिल होने से मना कर दिया था तो इस सभा में प्रश्न पुछे गये थे, माननीय मन्त्री ने मुख्य मन्त्री श्री नम्बूदरीपाद को उत्तर में अपने पत्र में आश्वासन दिया था कि केरल में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को राज्य सरकार के कहने पर ही इस्तेमाल किया जायेगा और वह राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार ही कार्य करेगी।

समाचारपत्रों में स्वतन्त्ररूप से यह छपा है कि 'सुरक्षा कर्मचारी अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगें रखने के लिए एक जलूस के रूप में प्रशासन भवन गये थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनका मार्ग रोक रखा है।

तर्क वितर्क हुआ और फिर प्रदर्शनकारियों पर उनके द्वारा कोई भड़कने वाली कार्यवाही किये जाने के बिना तथा उनको चेतावनी दिये बिना ही उनपर लाठी चलाई गई।

जलूस जैसे ही तित्तर बित्तर हो रहा था पुलिस द्वारा उन पर गोली चलाई गई।

पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर श्री ज्योतिबसु ने बताया "कि एक सप्ताह पूर्व मैंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को हटाने को कहा था।

स्थानीय पुलिस को विधि का व्यवस्था को खतरे के बारे में सूचित नहीं किया गया था, विधि व्यवस्था को बनाये रखना हमारी समस्या है। विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए कोई अन्य समान एजन्सी नहीं हो सकती"

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वहां से न हटाने के क्या कारण हैं ? क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वहां से हटाने के आदेश दे दिये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस दुर्घटना में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : माननीय मन्त्री हमें बताये कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वहाँ पर हैं अथवा नहीं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वहां पर है और वह वहां पर रहेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनको दुर्गापुर से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस हटाने के बारे में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्थिति यह है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुछ बटालियन अथवा कम्पनियों को पश्चिम बंगाल तब भेजा गया था जब पश्चिमो बंगाल के इन्स्पैक्टर जरनल पुलिस ने हमें ऐसा करने को कहा था। इसके तुरन्त पश्चात उप-मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वहां से हटाने का सुझाव दिया। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार अपने काम के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नहीं चाहती। हमने उनको तुरन्त सूचित कर दिया कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस उनको उपलब्ध नहीं की जायेगी। अतः पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मन्त्री द्वारा किये गये अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। परन्तु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को सामान्यरूप से देश के विभिन्न भागों में रखा गया है। अतः इसको पश्चिम बंगाल में भी रखा गया है और यह वहां पर रहेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : उत्तर प्रदेश आर्मड कान्स्टेब्लरी के बारे में उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक उसको वहां से हटाने के लिए नहीं कहा है। यदि वह हटाने के लिए कहेंगे तो हम उसको वहां से वापस बुला लेंगे।

डा० करणी सिंह (बीकानेर) : दुर्गापुर में गोली चलने का मामला एक गम्भीर मामला है। इससे पता लगता है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बिगड़ने से देश में किस प्रकार की प्रवृति उत्पन्न हो रही है। पिछले दस वर्षों में जितनी बार गोली चली है उस पर कोई भी स्वतंत्र देश गर्व नहीं कर सकता। राजस्थान में दो वर्षों में तीन बार गोली चली। बेरी आयोग ने इनमें एक को भी उचित नहीं ठहराया है। अभी दो दिन पूर्व हनुमान गढ़ में गोली चली थी, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे अवसरों पर किस प्रकार का बारुद प्रयोग किया जाता है ? लोगों ने मुझे बताया है इस बारुद के चलने से शोर नहीं होता है और लोगों को पता भी नही लगता कि गोली चल रही है।

इस मामले की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाया था। यदि गोली चलाना आवश्यक हो तो उसमें उाचत बारुद का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि एक ही गोली चलने से लोग तित्तर बितर हो जायें।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या संसद् सदस्यों द्वारा यह मामला उनके ध्यान में लाये जाने के बावजूद यह बारूद दुर्गापुर में गोली बारी में प्रयोग में लाया गया था ?

केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्बन्धों में सुधार करने के लिए राज्यों में सर्वदलीय सरकारों और केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार का होना जरूरी है। लोगों के जान व माल की सुरक्षा के हित में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को एक गोल मेज सम्मेलन बुलाकर कोई निश्चित निर्णय करना चाहिये। राज्यों में केन्द्रीय पुलिस दलों के कृत्यों की भी परिभाषा की जानी चाहिये। यह इसलिये जरूरी हो गया है कि सरकारी क्षेत्र में बहुत से कारखानों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान बनाया जाता है। यदि दुर्गापुर जैसी घटनाएं घटती रहें तो उनसे उनके उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पुलिस गोलीकाण्ड कोई भी पसन्द नहीं करता। असली बात यह है कि क्या गोली चलाने के उचित कारण थे अथवा नहीं। बहुत से मामलों में आयोगों द्वारा जांच की जाती है और वे अपने सुझाव देते हैं। मैं चाहता हूँ कि सम्बन्धित राज्य सरकारें भी इस तरह कार्यवाही करें।

जहाँ तक किसी विशेष प्रकार के बारूद का सम्बन्ध है, विशेषज्ञों द्वारा उसकी जांच की जानी थी और मैंने किसी समिति को इस मामले की जांच करने के लिये कहा है।

जहां तक केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों का प्रश्न है, सरकार को कुछ मामलों की जानकारी है। राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति में इस मामले पर हाल ही में चर्चा हुई थी। उसमें यह निर्णय किया गया था कि हम फिर बैठक करें और इस मामले पर सभी पहलुओं से विचार करें।

राष्ट्रीय सरकार के निर्माण करने के उनके सुझाव के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह पहले साम्यवादी मार्क्सवादियों के साथ मिली-जुली सरकार बनाने का प्रयत्न करें।

श्री हेम बरुआ : राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस या अन्य राज्यों की पुलिस के तैनात किये जाने के बारे में सरकारी नीति स्पष्ट की जानी चाहिए। आसाम में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के सिपाहियों ने हाल ही में गोहाटी क्रीड़ागंज में एक लड़के को गोली से मार दिया था। ये लोग आते जाते व्यक्तियों से पूछते हैं कि "तुम कौन हो ?" यदि वे अपने को आसामी बतायें तो उनकी पिटाई की जाती है। ऐसे हैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लोग। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो बहुत ही खराब है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : माननीय सदस्य को उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो सब राज्यों की पुलिस से उत्तम है।

श्री हेम बरुआ : श्री मुल्ला ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर टीका टिप्पणी की है और

उसी के आधार पर मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सब से खराब है। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस या किसी अन्य राज्य की पुलिस तैनात करने के मामले में कोई फामू ला बनाया है और क्या उन्होंने निर्णय किया है कि राज्यों में केन्द्रीय पुलिस तब तक नहीं भेजी जायेगी जब तक सीधे राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से इस तरह का अनुरोध न किया जाये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस एक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस है और इसे राज्यों में तभी भेजा जायेगा जब वे इसके लिये अनुरोध करेंगे। राज्यों की स्वायत्तता छीनने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि हम उसे बनाए रखना तथा मजबूत करना चाहते हैं।

चूंकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस एक राष्ट्रीय सशस्त्र बल है, इसलिए इसे देश के विभिन्न भागों में तैनात करना पड़ेगा और इसका काम राज्यों से केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति तथा केन्द्रीय परियोजनाओं की रक्षा करना है।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : केन्द्रीय सम्पत्ति की रक्षा राज्य की पुलिस करेगी। केन्द्रीय उपक्रमों के हितों की रक्षा के लिये औद्योगिक सुरक्षा बल बनाया गया है परन्तु वह ऐसा करने में असफल रहा है। इसलिए क्या सरकार उसका पुनर्गठन करने के लिये कोई कदम उठाएगी ?

माननीय मन्त्री ने कहा है कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार उत्तर प्रदेश रिजर्व पुलिस की आवश्यकता नहीं समझती तो उसे वापिस बुला लिया जायेगा। यह ठीक है। उन्होंने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध नहीं की जायेगी। बंगाल में विस्फोटक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां पर सत्तारूढ़ उत्तरदायी व्यक्ति लोगों को 'घेराव' आदि करने के लिये उकसा रहें हैं क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को केवल केन्द्रीय उद्योगों की रक्षा करने के लिये ही प्रयोग में लाना उचित नहीं होगा अपितु आवश्यकता पड़ने पर पश्चिम बंगाल की गैर-कानूनी सरकार से लोगों की रक्षा करने के लिये भी उसे प्रयोग में लाना उचित होगा ?

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय सदस्य को ये शब्द वापिस ले लेने चाहियें। पश्चिम बंगाल सरकार जनता द्वारा चुनी गई सरकार है।

श्री चेंगलराया नायडू : जब कोई सरकार कानूनी सरकार बनने से इंकार कर देती है और लोगों को 'घेराव' के लिये उकसाती है तो वह उस समय गैर-कानूनी सरकार बन जाती है।

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि पश्चिम बंगाल की सरकार गैर-कानूनी सरकार नहीं है। वह लोगों द्वारा निर्वाचित की गई सरकार है।

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नाणि) : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस या कोई अन्य पुलिस तैनात नहीं कर सकती। उन्होंने केरल तथा अन्य राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य पुलिस दल तैनात किए हुए हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की 19 सितम्बर की हड़ताल को दबाने के लिये उन्होंने केरल में केन्द्रीय रिजर्व

पुलिस तैनात की है। वहाँ के मुख्य मन्त्री ने इसका विरोध किया है। पश्चिम बंगाल तथा केरल में गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं इसलिये केन्द्रीय सरकार का उनके प्रति रवैया अच्छा नहीं है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोली चलाई। कारखाने के अधिकारियों ने राज्य की पुलिस को कारखाने में शांति तथा व्यवस्था भंग होने के खतरे की सूचना तक नहीं दी। मुझे पता लगा है कि इस्पात कारखाने के अधिकारियों ने इस चीज को उकसाया था। क्या सरकार इन सभी पहलुओं की जांच करेंगी। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इन राज्यों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को कब वापस बुलाएगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के योगदान के बारे में मैं सरकार की स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। उन्होंने कहा है कि दुर्गापुर कारखाने के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया था। मुझे जो सूचना दी गई है उसके अनुसार माननीय सदस्य का दावा सही नहीं है। हमें दो सूत्रों से सूचना मिलती थी एक तो स्वयं राज्य सरकार से और दूसरे दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धक से। कारखाने के प्रबन्धक ने हमें बताया है कि उन्होंने एक दम (10 बजे) स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित किया था। 11-30 बजे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया और 12 बजे जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया।

नियम ३७७ के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

श्री नाथपाई (राजापुर) : कल सभा में जो कुछ हुआ उससे कुछ गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हो गये हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिये इस बारे में हम आपके विचार जानना चाहते हैं। मैं नहीं जनता कि इस विधेयक के बारे में जिस पर मतदान किया गया था सभा किस अवस्था पर पहुंच गई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मन्त्री महोदय के त्याग पत्र के बारे में लिखा था परन्तु अब वह और कोई मामला ही उठा रहे हैं।

श्री नाथ पाई : इसका उससे सीधा सम्बन्ध है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : You should hear our procedural point.

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ कि गृह मंत्री प्रस्ताव को वापिस लेने की सूचना देने जा रहे हैं। इसलिये आगे विचार के लिये कुछ रह ही नहीं गया है। माननीय सदस्य संसद् कार्य मन्त्री के त्यागपत्र के बारे में जानना चाहते थे। इस बारे में मैं स्वयं ही नहीं जानता।

श्री नाथ पाई : यदि संसद्-कार्य मन्त्री के त्यागपत्र वाला समाचार सही है और उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो यह एक स्वस्थ परम्परा है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसके लिये संसद् कार्य मन्त्री ही मुख्य रूप से उत्तरदायी नहीं हैं। सारा मंत्रिमंडल इसके लिये उत्तरदायी है। उन्हें प्राथमिक प्रक्रिया नियमों की भी जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने को मंत्री महोदय के त्यागपत्र तक ही सीमित रखें

श्री नाथ पाई : त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य कब दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यहां पर यह जानकारी देने वाला कोई दिखाई नहीं देता। मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं और प्रधान मन्त्री भी मौजूद नहीं हैं।

श्री नाथ पाई : यह जानकारी कौन दे सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री।

श्री नाथ पाई : तो उन्हें बुलवाइये.....।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं व्यापार तथा व्यापारिक माल चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 134 के अधीन व्यापार तथा व्यापारिक माल चिन्ह (न्यायिक कार्यवाहियाँ, मद्रास) नियम, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4327 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल०टी० 499/69]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : मैं भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन भारतीय तारयंत्र (पांचवां संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 22 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 417 (अंग्रेजी संस्करण) और जी०एस०आर० 418 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 500/69]

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : मैं रबड़ अधिनियम, 1948 की धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) रबड़ (तीसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 546 में प्रकाशित हुए थे।

(2) रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 547 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 501/69]

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन पारपत्र (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति सभा-

पटल पर रखता हूँ, जो दिनाँक 28 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 212 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 502/69]।

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य-सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूँ कि लोक-सभा द्वारा 22 मार्च, 1969 को पारित किये गये दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपन (संशोधन) विधेयक, 1969 के बारे में राज्य-सभा की लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करती है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

46वाँ प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 46वाँ प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

78वां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं गृह-कार्य मंत्रालय-केन्द्रीय जाँच ब्यूरो - के बारे में प्राक्कलन समिति का 78वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) : मैं सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्रवाई के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपलब्ध करने के लिये विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

साक्ष्य

श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) : मैं सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्रवाई के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारि ों

की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति तथा उस विवरण की एक प्रति जिसमें संयुक्त समिति के समक्ष अपने साक्ष्य में साक्षियों द्वारा कही गई मुख्य बातों का सारांश दिया गया है, सभा-पटल पर रखता हूँ ।

ज्ञापन/अभ्यावेदन

श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) : मैं सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्रवाई के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति को प्राप्त ज्ञापनों/अभ्यावेदनों की प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूं।

———

सामान्य आय-व्ययक-अनुदानों की मांगें
GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANT

गृह-कार्य मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सब गृह-कार्य मंत्रालय के सम्बन्धी माँग संख्या 43 से 57, 119 और 120 पर चर्चा और मतदान करेंगी । कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इच्छुक सदस्य 14.15 बजे से पहले अपनी पर्चियां भेज दें ।

वर्ष 1969-70 के लिये गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित माँगें

प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
43	गृह मंत्रालय	1,45,96,000
44	मन्त्रिमण्डल	55,57,000
45	न्याय प्रशासन	2,04,000
46	पुलिस	48,30,12,000
47	जनगणना	1,31,53,000
48	अंक संकलन	3,10,15,000
49	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	1,36,000
50	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	15,77,000
51	दिल्ली	36,08,25,000
52	चण्डीगढ़	4,90,67,000
53	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	6,53,55,000
54	आदिम जाति क्षेत्र	21,20,38,000
55	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	53,54,000

56	लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	1,00,82,000
57	गृह मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	9,33,65,000
119	संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	20,71,83,000
120	गृह मन्त्रालय का अन्य पूंजी की व्यय	40,00,000

गृह-कार्य मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				100 रुपये
43	5	श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्	देश में हिंसा का बढता हुआ वातावरण और शान्ति और व्यवस्था के क्षेत्र में तथा सामाजिक क्षेत्र में भी स्थिति का सामना करने के लिए कारगर उपाय खोजने में सरकार की असफलता ।	,,
43	6	,,	आंध्र प्रदेश में बढ़ता हुआ तनाव जो कि देश में विभाजन की नीति की अवांछनीय प्रवृत्ति का प्रतीक है और शिकायतों और असंतोष के करणों को दूर करके परस्पर लगाव का वातावरण पैदा करने में सरकार की असफलता ।	,,
43	67	श्री इरास्को डी० सेक्वीरा	पेंशनों की शीघ्र अदायगी सुनिश्चित करने में असफलता ।	राशि घटा-कर 1 रु० कर दी जाये
43	68	,,	गोआ, दमन और दीव संघ राज्य-क्षेत्र में कर्मचारियों का समावेश पूरा करने में असफलता ।	,,
43	69	,,	गोआ में उर्वरक कारखाने के लिए भूमि के पट्टे की मजूरी के सम्बन्ध में जांच करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
42	70	श्री इरास्को सेक्वीरा	कर्मचारी-संघ के नेता डी० आर० क्रुज की पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए ही मृत्यु के बारे में न्यायिक जांच को सुनिश्चित कराने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
43	71	,,	संग-राज्य क्षेत्रों को आवश्यक प्रशासकीय तथा वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने में असफलता ।	,,
43	72	,,	गोआ, दमन और दीव संघ-राज्य क्षेत्र में वित्तीय कुप्रबन्ध की जांच करने में असफलता ।	,,
43	73	,,	समुदायों के बीच दुर्भावनायें उत्पन्न करने का प्रयत्न करने के लिए गोआ में सरकारी प्रशासकीय तंत्र उपभोग को रोकने में असफलता ।	,,
43	74	श्री कंवर लाल गुप्त	विभिन्न परिस्थितियों में राज्यपालों की शक्तियों के बारे में अधिकृत स्पष्टीकरण देने में असफलता ।	,,
43	75	,,	भारत में विदेशी ईसाई मिशनरियों की सहायता के लिए विदेशी धन और सामग्री आने को रोकने असफलता ।	,,
43	76	,,	शासन को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए दिल्ली प्रशासन को अधिक शक्तियां प्रदान करने में असफलता ।	,,
43	77	,,	दिल्ली में शान्ति और व्यवस्था का स्थिति में सुधार करने में असफलता ।	,,
43	78	,,	देश में राष्ट्र-विरोधी और विघठनकारी गतिविधियों को रोकने असफलता ।	,,
				100 रुपये
43	79	श्री इरास्को डी० सेक्वीरा	गोआ, दमन और दीव के सन्दर्भ में संक्रमण की समस्याओं के सम्बन्ध में की गई शासकीय कार्यवाही की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
				राशि घटा-कर 1 रु० कर दी जाये
43	126	श्री श्रीनिवास मिश्र	हिमालय की सम्पूर्ण सीमा पर समान प्रशासन की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
43	127	,,	आसाम में आकिस्तानी घुसपैठ को रोकने में असफलता ।	,,
43	128	,,	देश में विदेशी एजेन्टों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने में असफलता ।	,,
43	129	,,	भारत में चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने में असफलता ।	,,
43	130	,,	देश में सैनिक सेना जैसी सेनाओं को समाप्त करने में असफलता ।	,,
43	131	,,	शेखअबदुला के राष्ट्र-विरोधी उद्गारों के सम्बन्ध में कारगर कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
46	149	,,	साम्प्रदायिक दंगे रोकने में असफलता ।	,,
46	150	,,	मिजो नेशनल फ्रंट की गतिविधियां रोकने में असफलता ।	,,
50	154	,,	ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई पेंशनों को कम करने तथा समाप्त करने में असफलता ।	,,
51	155	,,	प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में उड़िसा के माध्यम से शिक्षा का प्रबन्ध करने में असफलता ।	100 रुपये
54	156	श्री श्रीनिवास मिश्र	आदिम जाति क्षेत्रों का विकास करने में असफलता ।	,,
54	157	,,	आदिम जाति क्षेत्रों में यातायात के साधन उपलब्ध करने में असफलता ।	,,
54	158	,,	आदिम जाति क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी ।	,,
57	159	,,	बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश में उड़िया-भाषी अल्प-संख्यकों का योजनाबद्ध दमन ।	,,

1	2	3	4	5
				राशि घटा-कर 1 रु० कर दी जाये
43	160	श्री रामावतार शास्त्री	मंत्रालय की जनता विरोधी नीतियों को बदलने में असफलता ।	,,
43	161	,,	दमनकरी नीतियों का अंत करने में असफलता ।	,,
43	162	,,	दमनकारी कानूनों का बनाना, बन्द करना तथा मौजूदा कानूनों का अन्त करने की आवश्यकता ।	,,
43	163	,,	देश में बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता तथा उसे बढ़ाने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
				100 रुपये
44	164	,,	मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों एवं उप-मन्त्रियों की संख्या में कमी करने में असफलता ।	,,
44	165	,,	मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप-मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते में कमी करने में असफलता ।	,,
44	166	,,	मन्त्रिमंडल के अन्य मदों पर होने वाले व्यय में कमी करने की आवश्यकता ।	,,
44	167	,,	मन्त्रियों की सुरक्षा पर होने वाले व्यय को समाप्त करने में असफलता ।	,,
44	168	,,	मन्त्रियों को छोटे मकान देने की आवश्यकता ।	,,
44	169	,,	मन्त्रियों के मकानों पर होने वाले खर्चों में कमी करने की आवश्यकता ।	,,
44	170	,,	प्रधान मन्त्री के सचिवालय पर होने वाला व्यय घटाने की आवश्यकता ।	,,
44	171	,,	कांग्रेस संसदीय दल के उप-सचेतक को सरकार की ओर से वेतन देना बन्द करने की आवश्यकता ।	,,
45	172	,,	न्याय प्रशासन को जन-सुलभ बनाने में असमर्थता ।	,,

1	2	3	२	5
45	173	श्री रामावतार शास्त्री	न्याय प्रशासन पर होने वाले खर्च में कमी करने में असफलता ।	100 रु० ,,
45	174	,,	न्याय व्यवस्था को सस्ता और गरीबों के योग्य बनाने में असफलता ।	,,
45	175	,,	गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय सुलभ कराने की आवश्यकता ।	
45	176	,,	गरीबों के मुकदमों की बहस के लिए निःशुल्क सरकारी वकील की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
45	177	,,	मुकदमों का फैसला करने की अवधि निश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
45	178	,,	बिना विचार के वर्षों तक कैदियों को जेल में बन्द रखने की नीति का अन्त करने में असफलता ।	,,
45	179	,,	भारतीय दण्ड संहिता का प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
43	197	श्री स० मो० बनर्जी	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाले गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता ।	,,
43	198	,,	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद जिन कर्मचारी संघों की मान्यता वापस ले ली गयी थी उन्हें पुनः मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
43	199	,,	संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के कुछ सदस्यों को 27-12-1968 को हुई बैठक में शामिल न करना ।	,,
43	200	,,	राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक बन्दियों के रूप में मानने में असफलता ।	,,
43	201	,,	शिव सेना से देश को खतरा ।	,,
43	202	,,	देश में साम्प्रदायिक दंगे ।	,,
43	240	श्री लोबो प्रभु	1964 में तांबे की परत से लिपटे लगभग 36.22 लाख रुपये के केबलों का आयात	

1	2	3	4	5
			जिनका कि अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है ।	100 रु०
43	241	श्री स० मो० बनर्जी	दुर्गापुर में लोगों पर सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस द्वारा गोली चलाये की घटना पर चर्चा करना, जो कि राज्य के उप-मुख्य मन्त्री तथा गृह-मन्त्री के इस निदेश के भी विरुद्ध था कि वे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप न करें और यह कि वे अपने को अपनी बैरकों तक ही सीमित रखें ।	,,
46	255	श्री लोबो प्रभु	सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस की इमारतों के बारे में 1963 में चार मालिकों से भूमि का कब्जा ले लेना और पाँचवें मालिक से बातचीत करना जिसके परिणामस्वरूप 1.03 लाख रुपये किराया देने के बाद भी इमारतों का निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ।	,,
53	258	,,	अन्डमान में प्रशिक्षण-एवं-विकास केन्द्र के कार्य का परित्याग जिस पर 1.56 लाख रुपये पहले ही कम किये जा चुके हैं ।	,,
54	259	,,	एक एजेन्ट के द्वारा चीनी खरीदने में नेफा प्रशासन द्वारा 0.63 लाख रुपये अधिक मूल्य देना ।	,,
54	260	,,	131 लाख रुपये वनस्पति घी पर, 30,000 रुपये पैराशूटों पर और 0.89 लाख रुपये शुष्क राशन पर कम, जो कि बचाया जा सकता था जैसा कि लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया ।	,, राशि घटा-कर 1 रु० कर दी जाये
43	261	श्री एस० एम० कृष्ण	अपने राज्य से बाहर रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
43	262	,,	19 सितम्बर, 1968 की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण उत्पीड़ित हुए केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
43	263	श्री एस० एम० कृष्ण	चीन-समर्थक तथा पाकिस्तान-समर्थक तत्वों की गतिविधियों को रोकने में असफलता ।	,,
43	264	,,	राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने में असफलता ।	,,
43	265	,,	महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद सम्बन्धी महाजन आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
43	266	,,	देश के कुछ भागों में बढ़ती हुई अराजकता को रोकने में असफलता ।	,,
43	267	,,	नागाओं तथा सरकार के बीच विवाद को शान्तिपूर्ण वार्ता द्वारा निबटाने में असफलता ।	,,
63	268	,,	महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद को मित्रतापूर्ण ढंग से निबटाने में असफलता ।	,,
63	281	श्री एस० एम० कृष्ण	अनुभाग अधिकारियों के पद-क्रम में पदोन्नति के बारे में समान नीति अपनाने की आवश्यकता ।	100 रु०
43	282	,,	केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अनुभाग अधिकारियों के पदक्रम में पदोन्नति के लिए एक निश्चित नीति अपनाने की आवश्यकता ।	,,
43	283	,,	अनुभाग अधिकारियों के पदक्रम में पदोन्नति के मामले में असमानता को दूर करने की आवश्यकता ।	,,
43	284	,,	केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में अनुभाग अधिकारियों के पदक्रम में पदोन्नति के लिए एक सूची जारी करने में असफलता ।	,, राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
44	285	,,	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार मन्त्रिमंडल का आकार कम करने में असफलता ।	,,
45	289	,,	केन्द्रीय तथा राज्य प्रशासन के बीच अच्छे प्रबन्ध विकसित करने के लिये व्यवस्था कायम करने में असफलता ।	,,
45	290	,,	दिल्ली में अपराधों को रोकने में असफलता ।	100 रु०

1	2	3	4	5
				100 रुपये
45	291	श्री एस०एम० कृष्ण	दिल्ली के लिये एक विधान-मण्डल की आवश्यकता ।	,,
43	320	श्री राम सिंह अयरवाल	300 रुपये मासिक से कम आय वाले व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय दिलाने में असफलता ।	,,
43	321	,,	जनता पर अत्याचार और उसका शोषण रोकने में असफलता ।	,,
43	322	,,	डाकू पीड़ित क्षेत्रों में अधिक संख्या में पुलिस तैनात करने में असफलता ।	,,
43	323	,,	डाकू समस्या हम करने के लिए मूल हल खोजने में असफलता ।	,,
43	324	,,	हरिजनों और आदिवासियों को निर्धारित संख्या में विदेश भेजने में असफलता ।	,,
43	325	,,	सस्ता और शीघ्र मिलने वाला न्याय दिलाने में असफलता ।	,,
43	326	,,	अस्पृशता दूर करने के लिए सरकार की अकर्मण्यता और असफलता ।	,,
43	327	,,	कानून द्वारा जाति सूचक उपनामों का प्रयोग रोकने में असफलता ।	,,
				100 रुपये
43	328	श्री राम सिंह अयरवाल	सरकारी, अर्ध-सरकारी तथा ऐसे गैर-सरकारी धंधों में, जिन्हें अनुदान किया जाता है, हरिजनों और आदिवासियों की, प्रतिशतता के आधार पर नियुक्ति सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
43	329	,,	मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों को देश के शेष भागों के समान लाने में असफलता ।	,,
				राशि घटा-कर 1 रु० करदी जाये
43	332	श्री जार्ज फरनेंडीज	राष्ट्रीय एकता कायम रखने में असफलता ।	,,
43	333		अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के जान-माल तथा धार्मिक स्थानों की रक्षा करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
44	334	श्री जार्ज फरनेंडीज	मन्त्रिमंडल का आकार कम करने में असफलता ।	,,
44	335	,,	मन्त्रियों, विशेषकर प्रधानमन्त्री की विदेश यात्राओं में कमी करने की आवश्यकता ।	,,
44	336	,,	मध्यावधि चुनावों के दौरान मन्त्रियों, विशेषकर प्रधान मंत्री द्वारा सरकारी तंत्र का प्रयोग ।	,,
				5,00,000 रु राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
44	337	,,	मंत्रियों की यात्राओं में कमी ।	,,
46	338	,,	पुलिस के वेतन तथा काम की शर्तों में सुधार करने में असफलता ।	,,
54	339	,,	आदिवासि लोगों के रहन-सहन के स्तर को सुधारने में असफलता ।	,,
54	344	श्री राम सिंह अयरवाल	आदिमजाति क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजनायों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने में असफलता ।	100 रुपये
				,,
,,	345	,,	सामाजिक तथा विकास-कार्य के प्रति उपेक्षा तथा इसके लिये अधिक राशि देने में असफलता ।	,,
,,	346	,,	आदिमजाति क्षेत्रों में बहुप्रयोजनीय नदी-घाटी पयिोजनाओं पर अधिक व्यय करने में असफलता ।	,,
,,	347	,,	आदिमजाति क्षेत्रों में लोक-निर्माण के अन्तर्गत अधिक सड़कें बनाने में असफलता ।	,,
,,	348	,,	आदिमजाति क्षेत्रों में मलेरिया उन्मूलन कार्य पर व्यय में बचत करने की आवश्यकता ।	,,
,,	349	,,	आदिमजाति क्षेत्रों में लोक-निर्माण कार्यों में धन का अपव्यय रोकनें में असफलता ।	,,
43	350	श्री जार्ज फरनेण्डीज	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद जिन कर्मचारी संघों की मान्यता वापस ले ली गई थी उनको पुनः मान्यता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
				,,

1	2	3	4	5
43	351	श्री जार्ज फरनेंडीज	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के दौरान उत्पीड़ित कर्मचारियों को बहाल करने की आवश्यकता ।	100 रु० ,,
44	354	,,	मध्यावधि चुनावों के दौरान प्रधान मन्त्री द्वारा सरकारी तंत्र का दुरूपयोग ।	,,
45	355	,,	सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
46	356	,,	पुलिस के वेतनों और कार्य की शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
54	357	,,	आदिम जातियों के लोगों की जीवन दशा को सुधारने की आवश्यकता ।	,,

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म. प. के लिये स्थगित हुई

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED TILL FOURTEEN OF THE CLOCK

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर चार मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई

THE LOK SABHA REASSEMBLED AFTER LUNCH AT FOUR MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 376 (2) के अन्तर्गत सभा के समक्ष कार्य पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति है, इस समय गृह-कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगें सभा के विचाराधीन हैं ।

13 मार्च, 1969 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रति उदारता दिखाने के बारे में श्री विद्याचरण शुक्ल ने एक वक्तव्य दिया था । जब श्री जार्ज फरनेन्डीज, श्री मधु लिमये और मैंने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों के साथ भी उदारता बरती जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में बाद में आदेश जारी किये जायेंगे । गृह-कार्य मन्त्रालय 15 मार्च, 1969 को पत्र जारी कर चुका है जिसमें अस्थायी कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य से भिन्न है । मैं इसकी प्रति सभा पटल पर रखना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । मैं सभा-पटल पर इस पत्र को रखने की अनुमति नहीं दे सकता । चर्चा के दौरान कोई भी इस बात को पढ़कर सुना सकता है है और आवश्यक हुआ तो सरकार स्पष्टीकरण दे देगी ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं समझता हूँ गृह मन्त्रालय में कुछ मामलों में सुधार करना संभव है। मैं एक अल्पसंख्यक सम्प्रदाय का व्यक्ति हूं। अल्पसंख्यकों का भी उत्तरदायित्व न केवल अल्पसंख्यकों अपितु सरकार और इस देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस देश में विश्व के 1/5 बौद्ध लोग और $\frac{1}{4}$ मुसलमान लोग रहते हैं, इस देश के लगभग शेष विश्व के साथ ईसाइयों के माध्यम से सम्बन्ध है, जो यहां पर दो हजार वर्ष पहले आये थे। अभी तक हम सब यहां पर पूर्ण मैत्री और सहयोग से इस देश के अन्य वासियों के साथ अत्यन्त मैत्रीपूर्ण ढंग से रहते रहे हैं। जब आप अल्पसख्यकों के बारे में कुछ भी करते हैं, उसका शेष विश्व के साथ सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि कुछ सन्देहों को दूर कर दिया जाये।

जब भी विभिन्न धर्मों पर अनुचित आक्रमण हुआ है, तो गृह मन्त्रालय ने कहा है कि अनुच्छेद 25 न केवल ईसाइयों बल्कि सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के पालन और प्रचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता देता है। लेकिन एक बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मंत्री-मंडल के एक निर्णय के अनुसार इस देश में विदेशी धर्म-प्रचारकों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए और ईसाई पादरियों का भारतीयकरण किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि पादरी का चयन एक आन्तरिक मामला है और हमें अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत संरक्षण दिया जाना चाहिए। स्वयं गृह मन्त्री ने एक अवसर पर कहा था कि भारतीय पादरी कुष्ठ रोगियों तथा अन्य रोगियों की सेवा नहीं कर पाते हैं अथवा अनुच्छुक हैं। कैथोलिक चर्च रंगभेद नहीं करता और कहीं देशों के बीच भेद- भाव करता है। हमारे लिए तो सिद्धान्त है और वे सम्मान हैं। इस देश में 58,272 विदेशी हैं, यदि 5000 धर्मप्रचारक हैं, तो क्या हुआ ? गत वर्ष 300 धर्मप्रचारक चले गये क्योंकि उन्हें प्रति वर्ष नया वीजा बनवाने में परेशानी होती थी। जो पादरी 30-35 वर्षों से यहां पर हैं, क्या उनके लिए यह आवश्यक है ? यदि कोई विदेशी इस देश की सुरक्षा में हस्तक्षेप करता है, तो हमें उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं है लेकिन पादरियों को इस प्रकार के आरोप लगाकर देश से निकालने के लिए अपनी सफाई पेश करने का अवसर तो दीजिये। इस देश में अल्पसंख्यकों की देशभक्ति पर सन्देह करना उचित नहीं है किसी एक भी मामले में एक भी अल्पसंख्यक व्यक्ति जासूसी करते हुए नहीं पकड़ा गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की बातों को रोकना चाहिए क्योंकि इससे हमारे अन्दर यह भावना उत्पन्न होती है कि आप हमें स्वीकार नहीं करते हैं।

दूसरी बात मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूँ। इस वर्ष केन्द्रीय पुलिस पर व्यय में लगभग 11 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस पर आज प्रातः चर्चा हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस को सरकार के निदेशों को ध्यान में न रखते हुए कानून और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्य करना होता है। गृह कार्य मन्त्रालय और इस संसद का कर्त्तव्य है कि उन्हें यह स्पष्ट करके कि देश में सत्तारूढ़ सरकार किसकी है, इस बात को ध्यान में न रखते हुए जब वह अपना कर्तव्य निभाते हैं उनका समर्थन किया जायेगा, पुलिस को अपना कर्त्तव्य निभाने के लिए प्रोत्साहित करे। लेकिन जब उनकी पदोन्नति, तबादला आदि सरकार के हाथ में होता है, तो वह किस प्रकार स्वतन्त्र रह सकती है। इस बारे में राजाजी के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि पुलिस और प्रशासन राज्यपाल के संरक्षित विषय बना दिये जायें। यदि वे इस सुझाव को स्वीकार नहीं करते, तो कम से कम पुलिस कर्मचारियों की

पदोन्नति तबादले आदि को लोक सेवा आयोग जैसे स्वतन्त्र प्राधिकार को सौंप दिया जाये। न्यूजीलैंड में ऐसा किया गया है। कानून और व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने का एक कारण यह है कि पुलिस दण्ड प्रक्रिया संहिता के निवारक खण्डों के अनुसार कार्यवाही नहीं करती है। यदि ऐसा किया जाये, तो दंगे हो ही नहीं। मैंने अपने समय में कोई दंगे नहीं होने दिये। न केवल राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा करने वाले लोगों से अपितु श्रमिक कार्यक्रमों की घोषणा करने वाले लोगों से भी धारा 107 के अन्तर्गत मुचलके (बांड) लेने चाहिएं। पुलिस के बारे में तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुलिस के लिए आधुनिक उपकरण होने चाहिए। बड़े शहरों में थानेदारों को मोटर साइकिले दी जानी चाहिए ताकि वे घटना स्थल पर तुरन्त पहुँच सकें। जहां हम इतने करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, वहां एक दो करोड़ रुपये और सही।

गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित तीसरा मुख्य विषय केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध हैं। इस वर्ष चार राज्यों में सरकारें बदली हैं, इन चारों राज्यों में मध्यावधि चुनाव हुए हैं परन्तु स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा है। आपने दल बदल के बारे में एक समिति बनाई है। प्रश्न यह है कि क्या आप इस समिति में विश्वास करते हैं और क्या आप इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करेंगे ? आज भी आप दल बदल के आधार पर मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। हम सभी दल-बदलुओं पर निर्भर करते हैं। आप कानून में परिवर्तन करके इसे नहीं रोक सकते हैं। नगरपालिकाओं के अध्यक्ष साधारण बहुमत से चुने जाते हैं, परन्तु उन्हें दो-तिहाई बहुमत के बिना नहीं हटाया जा सकता जिसके कारण वहां पर स्थायित्व हैं आप मुख्य मन्त्रियों के मामले में भी यह साधारण सा परिवर्तन क्यों नहीं कर देते ?

राज्यपालों के बारे में स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में तो राज्यपाल मन्त्रालय द्वारा तैयार किये अभिभाषण के अपने विरुद्ध अंश को पढ़ने से इन्कार कर देते हैं, दूसरी ओर पंजाब के राज्यपाल प्रसन्नता से ऐसा करते हैं। आप श्री धर्मवीर से जाने के लिए कहकर राज्यपाल की स्वतन्त्रता को समाप्त कर रहे हैं। राज्यपाल स्वयं नहीं जानते कि वे किसमें निष्ठा रखें, केन्द्रीय सरकार में अथवा राज्य सरकार में। इस सम्बन्ध में राजाजी के सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए कि राज्यपाल के पद को वृत्तिमूलक बना दिया जाना चाहिए। यदि आप राज्यपाल को पुलिस और प्रशासन की आरक्षित शक्तियां प्रदान कर देते हैं, तो आप पायेंगे कि वे पहले से अच्छा कार्य करते हैं।

चौथी बात मैं प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं। इस देश का प्रशासन अधिकांशतः आपके कार्यालय में केन्द्रित है। 21 वर्ष हो जाने पर भी लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों और उनके अधिकारों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है यदि आप चाहते हैं कि वे स्वतन्त्र होकर निष्पक्ष रूप से काम करें, तो सेवा कर रहे अधिकारियों अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सदस्य बनाना चाहिए।

इस समय उच्च न्यायालयों में 3.33 लाख से अधिक मुकदमें अनिर्णीत पड़े हैं। विधि आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि इतना अधिक विलम्ब होता रहा है और दीवानी मुकदमों में दस वर्ष से अधिक लगते रहे, तो कानून का कोई लाभ नहीं रह जायेगा। गृह मन्त्रालय को विलम्ब के इस प्रश्न पर गभीरता से विचार करना चाहिए और अकारण मुकदमों को स्थगित नहीं किया

जाना चाहिए। सतर्कता आयुक्त के स्थान पर आप लोकपाल बनाने जा रहे हैं। 1963 में सतर्कता आयुक्त को लगभग 6,000 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस वर्ष इनकी संख्या केवल 1,000 रह गई है। इसका यह अर्थ नही है कि भ्रष्टाचार कम हो गया है। वास्तविकता यह है कि जनता का उसमें से विश्वास उठ गया है। लोकपाल को भी आप उसकी ही शक्तियाँ देने जा रहे हैं। केवल अन्तर इतना होगा कि वह आपके स्थान पर संसद के अधीन होगा। लेकिन संसद में आपका भारी बहुमत होने के कारण इसका कोई लाभ नहीं है। मैंने अपने कार्यकाल में आदेश दिया था यदि किसी पत्र पर एक हफ्ते में कार्यवाही नहीं की जाती, तो उससे सम्बन्धित टिप्पण लाल स्याही में लिखा जाये ताकि विलम्ब के बारे में उच्च अधिकारियों को स्पष्ट रूप में पता चल जाये। परन्तु मालूम पड़ता है कि अब इसे क्रियान्वित करने की ओर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया है। 80 प्रतिशत शिकायतें विलम्ब के बारे में होती हैं। जब तक व्यक्तिगत जीवन में नियंत्रणों आदि के द्वारा आप हस्तक्षेप समाप्त नहीं करते, भ्रष्टाचार के कारण दूर नहीं हो सकते और लोकपाल सफल नहीं हो सकता। जून 1968 में माननीय मन्त्री ने एक आश्वासन दिया था कि सरकार मन्त्रियों को लोक कर्मचारी बनाने के सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है। न तो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और न ही आश्वासनों सम्बन्धी समिति ने इस बारे में कुछ किया है। यह विधेयक अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जब अत्यावश्यक सेवाओं सम्बन्धी विधेयक सभा के समक्ष आया था तो मैंने कहा था कि सरकार ने संयुक्त सलाहकार समिति तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत मध्यस्थता का उपबन्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं किया है। जब अधिनियम पारित किया जा रहा था तब भी मैंने यही बात कहीं थी। मध्यस्थता की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। मैं सरकारी कर्मचारियों को कहूँगा कि लोगों के जीवन को प्रभावित करने का उनका विशेषाधिकार अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक है। उन्होंने इस मामले में अनुशासन नहीं दिखाया है। उन्होंने अपने हितों की ओर आवश्यकता से कहीं अधिक ध्यान दिया है। उन्हें जनता की सेवा करनी चाहिये। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिये और देशवासी इस बात का निर्णय करेंगे।

Dr. Govind Das (Jabbalpur) : Home Ministry Deals with almost all the important departments of the Government excluding the external affairs, defence and railways. I would like to congratulate Shri Chavan and Shri Vidya Charan Shukla for the manner in which they have been conducting the affairs of this ministry. India of Gandhiji's dream has yet to shape. We have altogether forgotten the spiritual values of life and have become materialistic. That is the root cause of all the troubles that are now confronting us.

I would like to give an instance of fall in moral standards. If you look at the growing tendency of defection, you will find that it is also due to materialistic attitude towards life. For the sake of office, we go too low to change our parties overheight. Such a trend should be stopped forthwith. For that purpose Constitution should be amended so as to provide that if any member of a legislature belonging to any particular party breaks his pledge by leaving his party, his seat should be declared vacant. In this connection Shri Sunjeeva Reddy in his capacity as the President of Congress, had suggested that the Ministers and Members of Parliament should not hold office for more than ten years. Since we had become too materialistic, no heed was paid to such a good suggestion

I would now like to come to the subject of language which has been most

important since the attainment of Independence as I see it. I would like to say something with regard to the Hindi version of the Constitution. On the last day of the Constituent Assembly the late lamented Dr. Rajendra Prasad, who was the President of the Constituent Assembly, certified the authenticity of Hindi version of the Constitution and placed a copy of Hindi version before the House.

[श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए ।]

[Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

Thereafter, Dr. Rajendra Prasad and all of us had signed Hindi version of the Constitution. Now a controversy has been raised about its authenticity and it has been argued that the Articles were not put separately before the Constituent Assembly in Hindi. However, according to the rules of Procedure of the Constituent Assembly there was no necessity of doing so. It depended on the discretion of the President. The President of the Constituent Assembly had formally authenticated the Hindi version of the Constitution. However, if there are any doubts, they should be cleared since the Assemblies of five States have resolved to carry on the entire work in Hindi. It will be difficult for the High Courts of those States to carry on their work in Hindi so long as the Hindi version of the Constitution was not regarded authentic.

I would like to raise a few more question, with regard to Hindi. Hindi has become the official language of the Union of India from 26th January, 1965 in accordance with Article 343 of the Constitution. Still according to Section 3 of the Official Languages Act, 1963 provision for use of English alongwith Hindi has been made. However, can the Minister say that the entire work of the Government is actually being carried on in Hindi alongwith English ? All the work continues to be transacted in English which is clear violation of the Constitution.

The Home Minister should encourage each Ministry to carry on its work in Hindi. Correspondence with Hindi-speaking States should be done in Hindi. The Bills and Resolutions in Parliament should be introduced in Hindi. It will be all the more desirable if a separate ministry is set up for Hindi.

श्री एस० कन्डप्पन (मैदूर) : प्रतिवेदन की 'प्रस्तावना' के आरम्भ में ही कहा गया है कि मन्त्रालय का एक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य साम्प्रदायिक, भाषायी अथवा प्रादेशिक विवादों के कारणों को दूर करना है । परन्तु मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तीनों बातों में गृह-कार्य मंत्रालय सर्वथा असफल रहा है ।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार कम से कम राज्यों की कठिनाइयों को तो समझने का प्रयत्न कर रही है । प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हमें विभिन्न राज्यों की विभिन्न मांगों पर ध्यान देना चाहिए, परन्तु हमें इसके साथ इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि केन्द्र की एकता तथा शक्ति कम न होने पाये परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि केन्द्र की शक्ति कम करने का तब तक प्रश्न ही कैसे उत्पन्न होता है जब तक की राज्यों की सरकार को समाप्त करने तथा राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास है । अब समय आ गया है कि राज्यों को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए अधिक शक्तियां दी जायें । मैं गृह-कार्य मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में स्वस्थ परम्परायें अपनायें ।

सेठ गोविन्द दास ने संविधान सभा में हुए कुछ वाद विवाद का उल्लेख किया है । उन्हें इस बात का खेद है कि सरकार अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी पूरी तरह नहीं ला सकी हैं । संविधान में सरकारी भाषा के सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं, उनके हम पूर्णतया विरुद्ध हैं । परन्तु संविधानिक

उपबन्धों को भी किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में मैं भाषायी अल्पसंख्यकों का उल्लेख करना चाहता हूँ। संवैधानिक उपबन्ध के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक आयुक्त होता है। किसी भी राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यकों को जब भी कोई कठिनाई हो तो केन्द्रीय सरकार इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है कि उन्हें प्राथमिक स्तर पर तथा अन्य स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। कुछ राज्यों में यह व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है परन्तु दिल्ली तथा अन्य केन्द्र प्रशासित अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अहिन्दी भाषा भाषी बच्चों को यह सुविधा नहीं दी जा रही है। मैं 1963 में उन द्वीपों में गया था और तब से मैं गृह-कार्य मन्त्री को इस बारे में लिख रहा हूँ। परन्तु प्रत्येक बार अभिस्वीकृतिपत्र के अतिरिक्त कुछ उत्तर नहीं मिलता है। वहाँ सरकार ने माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है। दुर्भाग्य से उन सभी स्कूलों में शिक्षा हिन्दी में दी जाती है। बंगालियों की बस्ती में बंगला में शिक्षा की कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं परन्तु तमिल, मलायली अथवा तेंलगू बच्चों के लिए कोई भी ऐसा प्राथमिक स्कूल नहीं है जिसमें उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही हो।

पोर्ट ब्लेयर में 500 तमिल भाषा-भाषी बच्चों के लिए एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें तमिल में शिक्षा दी जाये। मैं उनके हिन्दी पढ़ने के विरुद्ध नहीं हूँ परन्तु उन्हें उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने में क्या हानि है। इसका एक मात्र उत्तर यह दिया गया है कि पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु मैंने मुख्य आयुक्त को आश्वासन दिया था और गृह-कार्य मन्त्री को भी मैंने लिखा है कि मैं अध्यापकों की कठिनाई का मामला अपनी राज्य सरकार के पास उठाने के लिए तैयार हूँ और इस बात की व्यवस्था करूंगा कि उस द्वीप को जितने अध्यापकों की आवश्यकता हो, उपलब्ध कराए जाएं। परन्तु मालूम होता है कि सरकार देश के सभी लोगों को किसी न किसी तरह से केवल हिन्दी ही पढ़ाना चाहती है।

संविधान सभा के वाद-विवाद पर एक दृष्टि डालने से ही पता चल जायेगा कि भाषा के प्रश्न पर गहरा मतभेद था। उस पर कोई स्थायी समझौता नहीं हो सका था और केवल काम चलाऊ सूत्र के बारे में सहमति हुई थी। 12 सितम्बर, 1949 को बंगाल से संविधान सभा के सदस्य श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने सुझाव दिया था कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये परन्तु हिन्दी के पक्ष वाले इस बात को नहीं माने थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें पुनः ऐसा अवसर नहीं मिलेगा।

यदि आप संविधान सभा के वाद-विवाद को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अहिन्दी भाषी क्षेत्र के किसी सदस्य ने संविधान में भाषा के प्रश्न पर इस सूत्र का स्वेच्छा से समर्थन नहीं किया था। जब लोग उस समय समझौते वाले संकल्प से सहमत नहीं हो सके थे तो अब भाषा सम्बन्धी संकल्प के बारे में उनकी निष्ठा कैसे हो सकती है जबकि वे जानते हैं कि उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक बनाया जा रहा है। अब तक हमें यह बताया जाता रहा है कि कोई भी भाषा हिन्दी से निम्न स्तर की नहीं है। यदि ऐसी बात तो श्री सेझियान के संविधान (संशोधन) विधेयक में "भाषा" शब्द क्यों नहीं रखा गया है। मैं श्री शुक्ल से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह भाषा को भी इस वर्ग में शामिल करने के लिए तैयार हैं।

आज यदि तमिलनाडु में कांग्रेस भी सत्तारूढ़ हो तो उसे भी खुले आम कहना होगा कि

हम हिन्दी के पक्ष में नहीं हैं ; तमिल भाषा 2500 वर्ष पुरानी है। दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी में तमिल में जो किताबें लिखी गईं, उनमें संस्कृत के विरुद्ध स्पष्ट लिखा हुआ है परन्तु बाद में तमिल में संस्कृत के बहुत शब्द मिलने लगे। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में तथा बीसवीं शताब्दी के शुरू में कई पुरानी पाण्डुलिपियों का पता लगा तथा उन्हें छापा गया आज स्थिति यह है कि जब तक आप दूसरी शताब्दी से पहले का तमिल साहित्य समाप्त न कर दें तब तक तमिल नाडु के लोगों का भाषा तथा हिन्दी के प्रति रवैया नहीं बदला जा सकता। सरकार, को वास्तविकता को समझना चाहिए और इस समस्या के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि लोगों को उत्तेजना न हो।

तमिल नाडु में हमारे सत्तारूढ़ होने से पहले शिक्षा के बारे में त्रिभाषा सूत्र लागू था। जब भाषा अधिनियम में अग्रेतर संशोधन के लिए विधेयक लाया गया था तो पुरास्थापित करते समय हमने उसका समर्थन किया था। उसके बाद उसमें और परिवर्तन कर दिया गया और अंतिम प्रक्रम पर हमने उसका विरोध किया। तब हमने दो भाषा सूत्र अपनाया। हमने राष्ट्रीय छात्रसेना दल के आदेश हिन्दी में होने पर पहले आपत्ति नहीं की थी परन्तु केन्द्र से उत्तेजना मिलने पर विद्यार्थियों का आन्दोलन बढ़ गया और उन्होंने हमें यह आदेशबंद करने पर बाध्य कर दिया। अब यह मामला समाप्त होने नहीं पाया था कि रेडियो का मामला शुरू हो गया। आप अनावश्यक तौर पर उत्तेजना दे रहे हैं और द्रविड़ मुनेत्र कषगम की सरकार को कठिनाई में डाल रहे हैं। कांग्रेसी भी जनता को यही कह रहे हैं कि भाषा के मामले पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम की सरकार ने तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा किया है। या तो आपको तमिल भाषा को सहन करना होगा अथवा वे अंग्रेजी को सहन करेंगे। यदि आप यह मांग स्वीकार नहीं करेंगे तो आप उन्हें देश से पृथक होने पर बाध्य करेंगे। मैं माननीय मंत्री तथा हिन्दी के समर्थक सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार में विश्वास रखें। हमारे नेताओं को विश्वास है कि किसी प्रकार का निर्णय किया जा सकेगा।

श्री राणे (बुलडाना) : मैं गृह-कार्य मन्त्रालय की माँगों का समर्थन करता हूँ। 1950 के बाद 1967 तक ऐसा कोई वर्ष नहीं था जिसमें 4-5 राज्यों में राष्ट्रपति का शासन था। पिछले सितम्बर में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल में भी गृह मन्त्री ने सफलता पूर्वक अपना काम किया। हड़तालियों के साथ सख्ती के रवैये अपनाये जाने की जनता ने प्रशंसा की है।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो य कि केन्द्र को कमजोर करने के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिये। राज्यों की सलाह से राज्यपालों की नियुक्ति की प्रथा समाप्त की जानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चेतावनी दी जानी चाहिये कि यदि वे भविष्य में हड़ताल करेंगे तो उनके साथ ऐसी नर्मी नहीं बर्ती जायेगी। मार्क्सवादी नेता श्री सुंदरैया ने कहा है हमें राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित राज्यपाल नहीं चाहिये, हम राज्यपालों का चुनाव करना चाहते हैं। गृह मन्त्री को उनकी मांगों के आगे झुकना नहीं चाहिये।

जहां तक भाषा के प्रश्न का सम्बन्ध है केवल हिन्दी ही हमारी राष्ट्रभाषा बन सकती है और देश में एकता स्थापित कर सकती है। मैं श्री कंडप्पन के द्वारा तमिलनाडु सरकार से अपील करूंगा कि वह देश की एकता के हित में त्रिभाषा सूत्र को अपनाएं।

मैं श्री लोबो प्रभु के इस सुझाव से सहमत हूँ कि राज्य सरकारों को स्थायी बनाने की दिशा में अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत आवश्यक कर दिया जाना चाहिये। संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो इस सुझाव के विरुद्ध जाता हो।

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk) : I do not agree with Shri Kandappan when he says that the supporters of Hindi want that only Hindi should be taught throughout the country and that no other language should be taught. We want all the Indian languages to prosper. Our opposition is only to a foreign language.

In 1911 the population of Delhi was 2 lakh and 38 thousand and in 1967 it reached to 37 lakhs and in 1981 it is expected to be 67 lakhs. The needed civic amenities were not provided to the increasing population of the Capital The Reddi Commission in its report about the weak financial condition of Delhi Municipal Corporation, had recommended in February, 1967 that to improve the financial condition of the Delhi Municipal Corporation the centre should give a loan of Rs. 5 crores and also a grant of Rs. 2 crores. But the Central Government did not implement those recommendations because the election results were lost to the Congress Party.

Later to forestall the efforts of the Delhi Administration to do some constructive work for the people of Delhi, the Government appointed a Commission headed by Shri R. R. Murarka a Congress Member of Lok Sabha. The main object of this was to suggest heavy taxes and thus bring into disrepute the Ruling Party in Delhi. This Commission recommended that the House Tax small houses should be increased to 15 per cent, but the Delhi Administration on the contrary brought it down from 11 to 10 per cent. The Commission had recommended increase in a number of taxes, but the Municipal Corporation and the Metropolitan Council refused to implement them and had it not been done the people of Delhi would have to pay ten times the taxes.

The Central Government, instead of giving assistance to the Delhi Administration, is finding faults with its plans. The Commission had recommended that the Centre should give the Municipal Corporation Rs. 15 lakhs and also that the Centre should bear the entire expenses of the maintenance of the Central Governments property in the municipal area. These recommendations have not been implemented.

The Delhi Administration had asked for Rs. 400 crores for the development programmes under the 4th Plan, but the Planning Commission has sanctioned only Rs. 155 crores. Even according to this Delhi should get a sum of Rs. 31 crores, but they are giving only Rs. 23 crores. The assurances given by the former Home Minister Shri Gulzari Lal Nanda at the time of the Anti cow-slaughter agitation should be fulfilled. The State Governments should asked to bring legislation banning the cow-s laughter.

I would also urge upon the Government to withdraw cases against Swami Rameshwara Nand and other people in connection with the anti-cow slaughter demonstration some two and a half years ago. These are innocent people and they are unnecessarily being dragged into the Courts. Many of them are from outside Delhi and they have to face great inconvenience in coming to Delhi every now and then.

In a Secular State every individual has liberty to propagate and profess any religion he likes. But the way in which undue advantage is taken of the poverty of tribals and Harijans to convert them had made Shri Jagjivan Ram to say that if conversion goes on at this pace we would again be subjected to foreign domination. The reports of Niyogi Committee and that of Reye Committee have already been received and they have started that the activities of the foreign missionaries are a big danger to the security of the country.

Now I want to say something about Kashmir. When the question of Parmeshwari Hunda had been raised, the Hon. Home Minister had assumed that she would be kept

In the custody of a third party, but she has not so far been produced in the Court. Kohli Commission had been appointed and if that Commission has submitted its report to the Government that should be placed before the House. The minority in Kashmir should be given the same treatment as you wish to meet out to the other people.

Shri Ganga Reddy (Akhilabad) : Till 1928 Congress had been adopting resolutions that there should be linguistic provinces. In 1938 in Wardha Congress took the decision that if after Independence Congress came into power, the provinces would be chalked out on the basis of human values. In 1945-46 this was one of the plambs the Congress manifesto. On 27th November, 1947 Pandit Jawahar Lal Nehru had stated in this very House that under the changed circumstances we would have to fonder over it. Sardar Patel was of the opinion that the Country for which we have shed our blood should not be disintegrated.

I reproduce a few words from the S. R. C. report regarding Hyderabad before the formation of Andhra Pradesh :

> "Hyderabad was an integrated unit with Common geo-political features and it presented a miniature real culture of India and be preserved as a model of other state."

But this was not accepted and proposal was made for greater Andhra. But Hyderabad opposed this proposal for various reasons and protested that if they are dumped in Andhra Pradesh their enterprising areas they would be turned into Colonies. After the Fazal Ali Commission expressed the desirability for the formation of Andhra Pradesh, the matter was discussed with the leaders of Telangana and a gentleman agreement was arrived at with a precon ition that Andhra Pradesh shall remain into being. Now we shall have to admit that injustice has been done to the people there and when their request was not taken into consideration by Government they had to indulged into agitation and Subersine acts. The agitation in Andhra Pradesh was peaceful. The Government was informed of each and every situation arising in the state, and the suggestions were made, but Government did not take any action. About six thousand employees have been exploited. There is no employment facility there. Had the funds been timely utilised Telengana would have not remained backward and the resources which are available in the state have not been properly utilised and developped and Government has not given any attention in this direction and that is why Andhra Pradesh has remained so much backward Even Women folks were forced to strike. Even then agitation which spread in the 9 districts of the state was not dissuptive but some anti-social elements try to take under advantage during such agitations.

It is admitted fact that the Chief Minister, Shri Brahmanand Reddy has tackled the situation effectively and no other man can tackle. They were demanding that the assurances given to them in 1956 should be implemented and the people of Andhra Pradesh took it otherwise and as such they started Counter agitation. Instead of giving assurances to the people of Telengana they started disturbing the administration. Our leaders should try to find some way to solve this problem other such a state of lawlessness will come that it will be difficult to bring the situation into Control.

It is a human problem and you should try to develop the areas which you think to be backward, Central Government should also help give financial aid in eradicating the regional imbalances, so that the backward areas can be developed, as Andhra Pradesh State is not in a position to invest funds for the purpose.

I want to say that the funds which are allotted to the state are not given in proper time, which are not utilized and are lapsed. On this point Centre blames the state that they did not utilised the funds. If the funds are released in rainy season it is useless for the state because the money is not utilized within the financial year and as such they are lapsed and the people remain discontented. Therefore, I request

Government and the opposition in the house to think over this problem and find out some solution.

Shri Nihal Singh (Chandauli) : I stand to oppose this demand because the Home Ministry has not done any good thing within these two and a half years. Situation is going on worsening student strike has gone to such an extent that Government has finished autonomy of the Universities. Every where there unrest. It is strange that the Unemployed Engineers are seen demonstrating against Government ; when Country needs their service for development and progress. Police force demonstrate for their better service conditions and higher ways. Corruption is increasing throughout the country, which is because of the wrong policies of Government. If the service conditions of the Police are improved and their wages are increased so as to feed their Children properly the corruption can be stopped. But Government instead of stopping the corruption and improving their lot and service conditions etc. has increased the strength of police force for its own safeguard.

श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए

[Shri Vasudevan Nair in the Chair]

Communalism has spread in the country not only on the basis that one is Hindu or Mohammedan but it has spread on the basis of Caste. Two Groups—lower Castes and upper Castes—have come into being. In Utter Pradesh harijans were not allowed to Cast their Votes during this General Elections. Innumerable bogus Votes were Cast and nobody was arrested. It was because of police force which used excessive powers in Tigura Polling Station during last election. It is because the contesting Candidate belonged to Scheduled Caste Community.

Governors were independents but now they have become antocrats and it seems that Governors in the states are not independent but they do things on the Conninance of Central Government. It is one of the factors which is responsible for deteriorating the Centre and State relations in the Country. This attitude of Central Government is not good.

The climax of orthodoxy in our Country may be seen in the shape of human sacrifice and the climax of opprobrium may be witnessed in the shape of animal-like forced relations between mothers and youths who are forced to molest their mothers by the police attrocities on the Conninance of this Government.

The hon. Home Minister has increased army to such an extent that one day it may be difficult for him to save himself. The impetus of the strike by Government employees was seen so strong that it seemed that there was no Government, there was no law and order in the Country. The condition of the country is deteriorating whereas the Ministers are increasing as if an army of Minister has been formed in the Country. The privy purses of the princes have not been eliminated. Therefore, I oppose the demands of Home Ministry.

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : I support the demands of Home Ministry and I say that regarding language problem it is correct that my other Colleagues are not opposed to the continuance of English. It is also correct that we all of us were United in throwing away the British from our Country. Gandhi Ji had plan to bring Hindustani in place of 'Hindi' ; but this plan was not accepted. We are backing Unity in removing English as we had shown in throwing away the British. In order to keep unity and integrity in the country we have to consider the language problem or to whether we should start agitation or to oppose it. It is fact that the agitation regarding language which was going on in the South particularly in Madras, Andhra Pradesh or Mysore etc. would not remained for long, if we in North India had not started agitation for Hindi. I am told that there has been let up in the speed of learning of Hindi in South India

and this has become a political problem. We are trying to exploit people in the name of language. Language problem is one of the Disruptive and subversine tendencies which increasing in the Country. 'Gopal Sena in South ; 'Shiv Sena' in Maharashtra, 'Lal Sena' in Keral, increasing provincialism are all challenge and danger for the integrity of the country. We should find out some Phychological solution of these tendencies and to stop these various kinds of agitations and the such subversine and disruptive activities ; otherwise the integrity and democracy of the country would be in danger. In the slopes of Himalayas from Nagaland to Laddakh in India disintegrative elements are playing dangerous role. The enemy is actine in this planning of disruptive activities. I want Ministry of Home Affairs to look into the matter as the defence of the border is responsibility of police force. It is better that you have reorganised Assam. But this tendency should be stopped keeping in review the conditions of the country and National interest otherwise democracy of the couutry would be in danger. From the budget for 1968-69 it is observed that the funds allotted for the betterment and welfare of the scheduled tribes are the same as were in 1967-68 which is not sufficient. You have not increased this amount ; but the funds allocated for Police and Home Affairs have been comparatively increased. Police do not regard other citizens of the country as their brothers and they also lack efficiency and that is why Home Ministry has been unable to control anachy in the country. There is no co-ordination between the states and the Centre and it is all due to bureaneracy and inefficiency.

It is said that the Governors in the states act upon the advice of the Central Government. In this connection I may mention that it is not correct, it is more propaganda simply to defame Congress Government in Centre. Government should see that with such baseless rumours do not betray people. Regarding incidents in Durgapur Steel Plant it is correct that C. R. P. should not have interfere there directly but circumstances forced them to interfere. But my friends there spread wild rumours in the people against Central Government saying that the centre was playing with the emotious of the people timing there Government should see that such things are stopped.

Government should look into the matter seriously that political parties do not betray the Government servants. The discontentment which they have created in the minds of the Government Employees is not allowed to grow ; and Government should meet the genuine demands of its employees so that this discontentment that is being created is eradicated.

The strike by Central Government employees on 19th September, 1968 was nothing but dangerous attempt of the various political parties to topple this democratic Government in the Country and to paralise the life and the Government in the Country. I want the Government to meet the demand of need based Wages of its employees If this demand is fulfilled discontentment will automatically remove from the minds of the employees and they will not be instigated by these polltical parties.

The Commercial tendency is also on the increase in the country communal feelings are created in the hearts of the minority Communities against Majority Community in the country. The people belonging to minority community have been given to understand that the people belonging to Majority Community were exploiting them, they were not inclued to fulfill their demands. In order to stop this propaganda it is my suggestion that the people of minority community should be given due consideration. They should represent in the Assemblies, Parliament and moreover there should be reservations in employment etc. This is in the interest of maintaining democracy in the country.

Regarding the provission of funds for the betterment and welfare of Tribal people it is the same as was in 1967-68. This should be increased suitably so that proper and edequate promission could be made for the goods houses for tribal people, for the education of their children and for suitigating poverty. They should live happily and should make progress. If proper steps are not taken in this direction it is evident that

a great danger will be created on the borders from Nagaland to Laddakh and you will not be able to face the danger there. You should also improve the lots of Herijans in the country.

Andaman Island has been asylum of political parties during freedom-struggle. In this connection I request the Hon. Home Minister to change its present name with a beautiful one and provision for its progress and development should be suitably made as this is still backward area.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I request the Hon. Home Minister to implement the report of Police Commission, which has already been implemented in Haryana and Punjab States. I know that the Hon. Home Minister is angry with Delhi Police because the Delhi Police had tried to form a throw. Now the Hon. Home Minister should not be angry and he should implement the report of Police Commission in Delhi also Injustice is being done to Delhi police particularly to those who have deputed here in Parliament because they do not get over time allowance Regarding language for a democratic country, I must say that there must be an official language. In this Connection Gandhiji had said that a language which is spoken by majority of the people in the country should be official language ; and that language is Hindi which is commonly spoken in India. I feel happy when I hear any one speaking in Hindi.

It would be a miracle if you could introduce Hindi in three days. The lovers of Hindi ought to know that even now there are more Urdu papers then Hindi papers in the South. Similar is the case with Punjab whose official language is Panjabi and Haryana whose official language is Hindi. The number of news papers published in these states with highest circulations next to English are in Undu.

The difficulty with the Muslims is that all their religeous literature is in Urdu. It can be renderred into Hindi only gradually. It is impossible to performs that task in a day. Recently I went for Haz. Attempts were made there to spreed a wrong nation that injustice is being metted out to Urdu in order to discourge it.

There are 5 to 7 crores of muslims in India. I can agree to the killing of all of them, but I cannot agree that they should quit their country.

Communal reits in our country are on the increase. The figure was 133 in 1966, 209 in 1967 and 331 in 1968. These cannot be staffed. Roits took place in Cuttak, Orrisa where sang is not in assistence. The other states were roits took place are Andhra, Maharashtra and Mysore.

It is said that good behavings was looking for certain areas which had to be formed into a new state. Neither there has been any change in our behaviour non that tendency of demanding separate state head is going to end. How long you will continue to divide the country ?

The population of Brahamins in our country is 6% wheres they are holding offices in Central Government, Parliament and other offices to the extent of 94%.

In regard to corruption I published two documents and viz ; Eye ofences Nos. 1 and 2 and tack up the matter with the Home Minister and latter with the Prime Minister. She expressed her concession in the matter, but there has been no change in the situation.

The event of a policeman cought for taking bribe of Rs. 2/- is given wide publicity but the Ministers, M.Ps. and officials who are involved in the cases of corruption on melpiectices worth lakhs and crores of rupees carry on unchecked.

I want that the problems of language, communal roits should end together with corruption. Has Sahu Jain Group become so powerful that you find yourself unable to take action againt them. The liquor factories made often their drums of liquor for the election campaign of Shri C. B. Gupta.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरुद्ध बिना किसी प्रमाण के खुले आरोप लगा रहे हैं । यह उत्तरदायित्व-हीन तथा शरारतपूर्ण आरोप है जो कि नहीं लगाने चाहिए ।

Shri Abdul Gani Dhar : It is Dalmia Jain Samaj and Punjab National Bank who have denoted cheques worth lakhs of rupees. If you permit, I can place the complete details of cheques together with the names of the leader who received on the Table of the House.

Shri Kushok Bakula (Ladakh) : Today we have to face the internal as well as external danger. Contain antisocial elements are active inside the country and they are creating disturbances in several parts of the country. Therefore it has become necessary to strengthen our police force in order to ensure the security of the country by curbing such antisocial elements.

I gave a notice for calling attention two days ago about the occurences in Ladakh and Mr. Speaker told me that I may call the attention of Government to those incidents at the time of discussion and Demands of the Ministry of Home Affairs. Ladakh is a very big district bordering Pakistan, China and Afghanistan. The area of this district is 37,753 square miles whereas the area of the whole Jammu and Kashmir State is 53,666 square miles. Being a border area it has strategic importance. Though the Centre gives 90 per cent grant but this amount is not spent on the development of Ladakh. The Government should have paid special attention to the development of this area but unfortunately it has not been done. Since Ladakh is a very backward area the people of that area should be identified either as Scheduled Castes or Scheduled Tribes or backward classes otherwise that area cannot be developed.

Ladakh is a land of Buddhists but the Buddhist religion is in danger for last some time. I have received a telegram from the people of Ladakh in connection with the danger to the Buddhists there and the local administration is unable to take action against the culprits. A general strike was observed in Leh yesterday. The situation is deteriorating day by day. If some suitable action is not taken against the culprits the situation will go out of control. I, therefore, request the Government that immedlate action should be taken in the matter.

Such incidents took placc in the past also. The Buddhists of Ladakh wanted to erect a place of worship and a Dharmshala in Kargil—but they were not allowed to do so. Such incidents are very dangerous in a Secular State. On the other occasion a poster was pasted there in which it was stated that the Buddhist religion will be put to an end and the Pakistani flag will be hoisted tbere. A demonstration was to take place against it but it was not materialised on any request. I therefore request you to have talks with the Chief Minister of Jammu and Kashmir about these matters.

It is regrettable that there is no representation of Ladakh in the Jammu and Kashmir Cabinet. I was a Member of the Cabinet of that State. But no body from Ladakh has been taken in the Cabinet since I came here. That is why Ladakh is being ignored. I submitted a memorandum on 14th August last year in which it was demanded that Ladakh should be reorganised on the pattern of NEFA. After that I also approached the Prime Minister, the Home Minister and the Chief Minister of the State. But I was told that it was not the proper time for doing so and I should drop the idea.

We want that Ladakh should become strong. But neither the Central Government nor the State Government take the responsibility for the economic development of Ladakh. There is no electricity in Ladakh. There are rivers from which hydro-electricity can be generated very easily. Electricity and drinking water facilities are badly needed there. Immediate attention should be paid to meet the genuine needs of Ladakh ; otherwise the situation there will worsen and the responsibility of it will lie on the Government.

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुई]

[Shrimati Tarkeshwari Sinha in the Chair]

Last year a Deputy Minister visited there and she gave an assurance to set up a radio station there but nothing has been done in this regard so far.

Gajendragadkar Commission has made certain recommendations in regard to Ladakh. The Government should implement all those recommendations. In the end I want to point out that I submitted a memorandum to Gajendragadkar Commission and with your permission, Sir, now a copy of that memorandum I place on the Table of the House.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदया, गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए अनेक सदस्य देश में कानून और व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में केवल यह कहना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्रालय को कानून तथा व्यवस्था के किसी मामले में अविलम्ब उचित कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार को इस मामले में किसी प्रकार की टालमटोल करने की नीति नहीं अपनानी चाहिए। सरकार को देश में होने वाली घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए और स्थानीय सरकार की सलाह से अविलम्ब उचित कार्यवाही करनी चाहिए। इस समय देश में हो रही गड़बड़ के अनेक कारण हैं। गृह-कार्य मंत्री इन कारणों को बताते हैं। कारण बताना अलग बात है और उन कारणों को दूर करने के लिए कार्यवाही करना अलग। हम चाहते हैं कि अब तक जो कुछ किया जाता रहा है, उसकी तुलना में अधिक शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैंने 23 जनवरी को किसी राज्य विशेष के बारे में मंत्री महोदय से कहा था। किन्तु 29 जनवरी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी—जिसके कारण स्थिति बिगड़ती गई और गोली चलाई जाने की स्थिति आ गई। प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री इस मामले में अब कुछ रुचि दिखा रहे हैं और अब कुछ सक्रिय कार्यवाही की जा रही है, मेरा निवेदन केवल यह है कि जब स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, सरकार द्वारा स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार को किसी स्थिति के बारे में मालूम हो जाने पर चुपचाप बैठकर रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इस समय स्थिति अधिक गम्भीर होती जा रही है अत: सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। इस समय केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के भी अनेक मामले पैदा होते हैं। केन्द्र के अधिकारियों अथवा मंत्रियों में इस प्रकार की कोई भावना नहीं होनी चाहिए कि वे राज्य के अधिकारियों अथवा मंत्रियों से बड़े हैं। उदाहरणार्थ केन्द्र में तथा राज्यों में काम करने वाले इंजीनियर प्राय एक ही योग्यता प्राप्त होते हैं किन्तु आमतौर पर होता यह है कि राज्यों के इंजीनियर जब कभी स्वीकृति के लिये केन्द्र के पास कोई प्रस्ताव भेजते हैं तो केन्द्र के इंजीनियर उनके प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने में काफी समय लेते है और उनमें काफी काटछांट करके अपना महत्व दिखाते हैं। कभी कभी केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के इंजीनियर राज्य के इंजीनियरों से स्पष्टीकरण मांगते हैं। यही हाल प्रशासन सन्बन्धी मामलों से भी है। राज्यों में भी प्रशासनिक पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। राज्यों में उनके अपने महालेखाकार होते हैं। किन्तु होता यह है कि जब भी राज्य ऋणों अथवा अन्य वित्तीय सहायता के लिये केन्द्र के पास प्रस्ताव भेजते हैं तो केन्द्र के अधिकारी उनकी जांच पड़ताल करते

हैं और उसमें काटछांट करते हैं। कई बार राज्यों से स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं जब कि प्रस्तावों में स्थिति पहले से ही स्पष्ट रहती है। अंग्रेज लोग अपने उपनिवेशों में भेदभाव की नीति अपनाते थे और हमें भी वही दृष्टिकोण विरासत में मिला है। अतः मेरा निवेदन यह है कि केन्द्र राज्यों के साथ उपनिवेशवादी दृष्टिकोण न अपनाये। आज हम स्वतन्त्र हैं। हमें एक होकर कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ना चाहिए। केन्द्र और राज्यों को इस भावना से कार्य करना चाहिये कि वे एक संयुक्त काय में सहभागी हैं तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और देश में शान्ति रह सकती है।

देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिये मुख्य रूप से ये कारण उत्तरदायी हैं। यद्यपि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये लोकपाल विधेयक लाया गया है, तथापि जब तक सरकार भ्रष्टाचार के कारणों को स्वयं दूर नहीं करती तब तक इस विधेयक से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद जुड़वां भाइयों की भांति साथ-साथ पनपते हैं। सरकार प्रत्येक कानून में विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करती है। दूसरा कारण यह है कि प्रत्येक मामलों में विलम्ब होता है। विवेकाधीन अधिकारों का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ सेवा-निवृति की आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई है किन्तु यदि सरकार चाहे तो इसे बढ़ाकर 58 वर्ष कर सकती है। इसी प्रकार की बातें राज्यों के मामलों में भी लागू होती हैं। अत मेरा निवेदन है कि यदि सेवानिवृति के लिये एक आयु सीमा निर्धारित की गई है तो उसी दिन सेवानिवृति हो जानी चाहिए। सेवानिवृत होने वाले व्यक्ति को सेवानिवृति की आयु बढ़ाने के लिये किसी के पास जाकर कुछ कहने की किसी प्रकार की गुंजायश ही नहीं रहनी चाहिए।

राज्यपालों तथा उनके अधिकारों के बारे में मैंने एक विधेयक लाने की सूचना दी है। यदि गृह-कार्य मन्त्री महोदय सहमत हो, तो सविधान से वह अनुच्छेद निकाल दिया जाना चाहिए जिसमें राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के लिए संसद अथवा बिधान सभाओं के सामने अभिभाषण देना अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के अभिभाषणों से संसद् सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों अथया जनता को कोई नई बात नहीं मिलती है। इससे केवल राष्ट्र का व्यय बढ़ता है। वस्तुतः बजट पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों को अपने विचार पूरी तरह व्यक्त करने का अवसर मिलता है। गृह-कार्य मंत्री को यह मांग कतई नहीं माननी चाहिये कि राज्यपालों को अधिक अधिकार दिये जायें। इससे दो सरकारें हो जायेंगी और देश में द्वितन्त्र शासन हो जायेगा जैसा कि प्राचीन काल में होता था। आजकल आई०सी०एस० व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जाने लगा है और यदि उन्हें अधिक अधिकार दिये गये तो वे द्वितन्त्र शासन लागू कर देंगे।

भाषा के प्रश्न पर सभा में बहुत कुछ कहा गया है। श्री कंडप्पन ने अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों की भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। मैं समझता हूँ कि वर्ष 1967 में राजभाषा संशोधन पास हो जाने के परिणामस्वरूप जब यह विवाद हल हो गया है तो वरिष्ठ सदस्यों को इसे फिर सभा में नहीं उठाना चाहिए। किन्तु इस सम्बन्ध में एक बात विशेष बात कहना चाहता हूँ। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त को बहुत छोटा दर्जा दिया गया है, और उसका दर्जा बढ़ाकर राज्यमंत्री के दर्जे के बराबर किया जाना चाहिए। इस समय उसका दर्जा संयुक्त सचिव के बराबर है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय पंडित नेहरू के साथ मेरी निजी बातचीत के परिणामस्वरूप भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त नियुक्त करने का विचार हुआ था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : क्या आपने यह सुझाव दिया था कि भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त को संयुक्त सचिव का दर्जा दिया जाये ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : उसका दर्जा क्या है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उसका दर्जा कार्य पर निर्भर करता है । इस पद को संसद के अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैंने दर्जा देने की बात इसलिये कही है क्योंकि मुझे एक बार एक भाषायी अल्पसंख्यक ने जो उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, बताया था कि उन्हें राज्य मन्त्रियों से मिलने के लिए बाहर प्रतिक्षा करनी पड़ती है । इसलिये उसका दर्जा बढ़ाया जाना अनिवार्य है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है । अतः मेरा अनुरोध है कि उसका दर्जा भी बढ़ाया जाना चाहिए ।

मुझे बताया गया है कि योजना आयोग देश में अविकसित क्षेत्रों के बारे में निर्धारण करने का प्रयत्न कर रहा है । यह कार्य राज्यों तथा राजनीतिज्ञों की मर्जी पर छोड़ने के स्थान पर केन्द्रीय सरकार को स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए तथा इन क्षेत्रों के विकास के लिये अन्य आयुक्तों की भाँति एक विशेष आयुक्त नियुक्त किया जाना चाहिए ।

मैं भाषा के बारे में कोई विवाद नहीं उठाना चाहता हूँ । हम चाहते हैं हम एक हैं, और हमारी भाषा भी एक होनी चाहिए । हम कहा करते थे हिन्दुस्तान हमारा है । इसलिये हिन्दी हमारी भाषा हैं । किन्तु संविधान में "इंडिया" अर्थात् "भारत" शब्द का प्रयोग किया जाता है । अतः हमारी राज भाषा "भारती" अर्थात् संस्कृत होनी चाहिए ।

Shri Virbhadra Singh (Mahasu) : After the general elections of 1967 certain changes have taken place in the politics of the country and as a result of which the tension between the Centre and the States has increased. There has been an increasing demand for more powers to States. It is very necessary for the survival of democracy that the relations between the Centre and the States remains cordial. Every effort should be made that all the causes of frictions between the Centre and the States are removed as early as possible. At the same time it should be ensured that the Centre may not become weak in this process. Time has come for the establishment of Inter-State Councils—the demand of which has been made several time in this House—envisaged in article 263 of the Constitution to settle such disputes.

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए]

(Shri R. D. Bhandare in the Chair]

The Union Territories are directly under the Ministry of Home Affair. I would like to say something for granting statehood to Himachal Pradesh.

The Himachal Pradesh was constituted on the 15th April, 1948 after merging 30 hill States into it. The then Deputy Prime Minister and Minister of States Sardar Patel answered the people of that Himachal Pradesh will be granted a full fledged statement in due course. On 10th March, 1948 Sardar Patel wrote letter to Dr. Pattabhi Sitarammaiya in which he stated that ultimate objective is to enable this area to attain the position of an antonomous province of India. He also stated that in the final stage, after this area is sufficiently developed in its resources and administration, it is proposed

that its Constitution should be similar to that of any other Province. So I would request the Hon. Home Minister to fulfil that assurance.

Himachal Pradesh is bigger than Punjab, Haryana as it consists of 2200 sq. miles. It is equal to Jammu and Kashmir in population which is about 30 lakhs. So these two things should not stand in the way of granting a statehood to Himachal Pradesh. So far as the third condition of financial resources of the State is concerned, I want to quote some extracts from the speech of Shri Vidya Charan Shukla which be delivered in Rajya Sabha on the 9th August. 1968. He said that "as a matter of fact, it is our firms policy to help Himachal Pradesh with financial resources as quickly as possible and once the financial resources become equal to their requirements and they obtain the condition of financial viability we would not hesitate to give it statehood." So it is clear that Government of India has agreed in principle to give statement to Himachal Pradesh if the condition of financial viability is fulfilled. In this connection I would like to say that Himachal Pradesh stands parallel to other States in this respect. No State in India is financially viable in the real sence of the word. Almost all the States are getting 70-80 per cent Central grants. Even the Central Government is getting financial help from the International Institutions and other countries. So I would request the Hon. Minister not to attach too much importance to this point of financial viability.

This demand is being made by the people of Himachal Pradesh as a whole. It is not a demand of any particular man or a Political Party. All the parties are united on this subject. Even the Territorial Council passed a unanimous resolution in this respect. After Himachal Pradesh Legislative Assembly unanimously passed a resolution in which the Members of the Assembly urged upon the Central Government to accept their demand.

It is also being said that if Himachal Pradesh is granted statehood what will be the fate of other Union Territories. In this connection I would like to say that Himachal Pradesh cannot be equated with other Union Territories because from the very beginning the Central Government has accepted that the case of Himachal Pradesh and Vindya Pradesh is different than other Union territories. The existence of other union territories came into being on different political and historical reasons. So you cannot equate Himachal Pradesh with other Union territories.

I am grateful to the Hon. Home Minister and Government of India for the liberal help which they have given for the progress of Himachal Pradesh. With these words I support the demands.

Shri Kedar Peswan (Rasera) : I am grateful to the House for granting me an opportunity to speak on these demands. I would like to point out that police is responsible for the 50 per cent of corruption which is prevalent in the country. They take side with the rich people and banass the poor people under various Sections of the I.P.C. I would like to appeal to the Hon. Home Minister that of in any particular case any Member of Parliament or Member Legislative Assembly unites to him then an enquiry into the matter should be held by anti-corruption committee and not by any Police Inspector who are very much involved in such cases.

So far as the language problem is concerned I would say that Hindi should be accepted as the official language otherwise the country will be disintegrated. If this is not accepted and different languages of the different Provinces are recognised them I would request that Mathili which is spoken by about two crores of people in Bihar should also be given due recognitions.

There are wide disparities among the pay-scales of the different categories of people. The poor man is not able to make both ends meal. A chowkidar gets Rs. 17/- whereas his officer is getting Rs. 1750/-. Such disparities should be removed. Minimum and maximum wages should be fixed at Rs. 100/- and Rs. 1000/- respectively.

The Block Development Officer, are committing atrocities over the people. The Governor of Bihar, Shri Nityanand Kanungo changed so many Governments there on the advice of the Central Government. Instead Nityanand he should be called Anltyanand. He did so much.**

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मेरे विचार में राज्यपाल के बारे में जो बात कही गई है वह अनुचित है। वह राज्यपाल के विरुद्ध बहुत गम्भीर आरोप लगा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये।

श्री मणि भाई जे० पटेल (डयोई) : उन्होंने कहा है **ये असंसदीय है अतः इनको रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : राज्यपाल का सार्वजनिक जीवन में बहुत सम्मान है। वह इस सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वह मन्त्री भी रह चुके हैं और अब तक राज्य के राज्यपाल हैं। ऐसे सम्मानित व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : इस शब्द को रिकार्ड से निकाल दिया जाये।

Shri Kedar Paswan : Agricultural land should be equally distributed among the agriculturists. Some are having more than two thousand bigas of land whereas others are having only small plots. A law was passed in the past that no one should have more than 40 bigas of land. This law should be enforced. A law should also be made to the effect that a man having 5 acres of land will not be taken anti Government service. In this way we will be able to solve the problem of unemployment to some extent.

The Hon. Food Minister has failed to make available food to all and sundry. In In some houses the food is being rotten whereas in other house it is not available at home. Steps should be taken in this direction.

डा० प० मण्डल (विष्णुपुर) : गृह-कार्य मन्त्रालय की मांगों पर बोलने के लिए मुझे जो अवसर प्रदान किया गया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बजट पर बोलते समय मैंने इन विभागों के व्यय को कम करने को कहा था ताकि 150 करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों को कम से कम किया जा सके और इससे 250 करोड़ रुपये का घाटा भी नहीं रहेगा।

यद्यपि पुलिस लोगों की सहायता तथा उनकी सुरक्षा के लिए है परन्तु आजकल उसका प्रयोग लोगों को धमकाने के लिए किया जाता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई चोरी अथवा डकैती हो जाती है तो लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराते क्योंकि वे जानते हैं कि उनको पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलेगी। बल्कि उनको परेशान किया जायेगा और पुलिस को खाना आदि सप्लाई करना पड़ेगा। सीमा पुलिस में और भी अधिक भ्रष्टाचार है। अधिकांश चौकियों में कदाचार हो रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले की गम्भीरता से जाँच करायें।

राज्य अधिक शक्ति की माँग कर रहे हैं। निकट भविष्य में इस मामले पर उचित विचार किया जाना चाहिए ताकि गैर-कांग्रेसी सरकारें यह न सोचें कि उनसे सोतेली मां का सा व्यवहार हो रहा है।

**अध्यक्षपीठ के आदेसानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the chair.

आजकल पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में दिये गये अनेक उदाहरणों पर इस सभा में विचार किया जा चुका है। इस मामले पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। ताकि ऐसी बातें पुनः न हों। महात्मा गांधी ने अपना समस्त जीवन इन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए ही व्यतीत किया था। परन्तु इन लोगों को पानी की सप्लाई तथा मकान आदि बनाने के लिये कम से कम भूमि भी अभी तक उपलब्ध नहीं की गई है। महात्मा गांधी के जन्म स्थान में अश्पृश्यता अभी तक चल रही है।

सरकारी सेवा में वास्तविक रूप से भर्त्ती का जहां तक प्रश्न है इन जातियों के लोगों के लिए रक्षित कोटे नहीं भरा जाता है।

हाल ही में गृह-कार्य मन्त्रालय ने एक परिपत्र जारी किया था कि पदोन्नति के मामले में प्रथम तथा दूसरी श्रेणी के पदों में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के स्थान रक्षित किये जायें, परन्तु अनेक मामलों में इस परिपत्र का पालन नहीं किया गया है। परिपत्र में यह भी कहा गया था कि यदि उक्त जातियों के किसी व्यक्ति को इन पदों पर पदोन्नत नहीं किया जाता तो गृह मन्त्रालय को इसके कारण लिखकर भेजने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गृह-कार्य मन्त्रालय को किसी अन्य मन्त्रालय से ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं। अनेक मामलों में रक्षित स्थानों पर भी उक्त जातियों के व्यक्तियों को पदोन्नत नहीं किया गया है। यदि माननीय मन्त्री चाहें तो मैं उनको सम्बन्धित पत्र भेज सकता हूँ। अन्त में माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न मन्त्रालयों की चयन समितियों में, राज्य लोक सेवा आयोगों, रेलवे सेवा आयोग आदि में अनुसूचित जातियों के लोगों को सदस्यता दी जाये ताकि वे अपनी जातियों के हितों की रक्षा कर सकें।

विभिन्न निगमों, सरकारी उपक्रमों, गैर-सरकारी उद्योगों, आयात-निर्यात गृहों और परिवहन आदि में भी इन जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाना चाहिए अन्यथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

भूमि हीन मजदूरों को खास भूमि देने से उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उनकी धन से भी सहायता की जानी चाहिए ताकि वे बैल ठेले आदि क्रय कर सकें। धनराशि उनको अनुदान के रूप में दी जानी चाहिए न कि ऋण के रूप में। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस योजना की त्रुटियों पर गम्भीरता से विचार करे।

पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सभी विद्यार्थियों को मैट्रिक से पूर्व की क्लासों में वजीफा नहीं दिया जाता है। जिनको यह दिया जाता है उनको भी यह देर से मिलता है। इस वजीफे की राशि में वृद्धि भी की जानी चाहिए। रामानन्द कालेज, विष्णुपुर के प्रिंसिपल का मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि यद्यपि दस महीने गुजर गये हैं उनको अभी तक विद्यार्थियों को देने के लिए वजीफे प्राप्त नहीं हुए हैं। जिनके परिणामस्वरूप विद्यार्थी कालेज की राशि का भुगतान नहीं कर सके। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस राशि का शीघ्र भुगतान करायें। वजीफे की राशि का अग्रिम भुगतान करने सम्बन्धी प्रबन्ध को विज्ञान तथा आर्ट्स के विद्यार्थियों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I agree with many of my friends who advocated that we should not create such atmosphere in the country on the question of language which may have adverse effect on the unity. The Constituent Assembly unanimously accepted Hindi as the official language. Had the steps been taken to popularise Hindi from that time this problem would not have become so complicated. Seven States have now started their official work in Hindi and other four States *viz.* Punjab, Jammu and Kashmir, Gujarat and Maharashtra have accepted Hindi as official language although they are doing their day to day work In their respective Provincial languages. So it becames the duty of the Home Ministry to take steps for the development of Hindi.

It appears from the report of the Home Ministry that 2 lakh 19 thousand Government servants have been taught Hindi in three years. Approximately double the number of the said Government employees already knew Hindi. Keeping in view that almost half of the total number of Government employees know Hindi atleast half of the work of the Government should have been started in Hindi uptil now. But no information is available in this respect from the report of the Home Ministry.

I would like to suggest once again that Acts and Bills should be brought before the House in both the languages. Such a practice is being followed in Canada. We can also adopt this practice unless Hindi is accepted as the sole official language by all the States. It will also avoid translation of the Acts and laws which are now being passed by the House at a later stage.

Hindi will automatically develop in course of time. So we should not fight among ourselves on its form.

Some intruders have of late started intruding into Kashmir due to the weak policy of the State Government. There are some employees in the State Government which helps the intruders at times. Sheikh Abdulla has also started poisoning the minds of the people. Some permanent solution of Kashmir problem should be found out. In this connection I would suggest that Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab should be merged into one State. I am deadly against the policy of the Government of creating small States more especially in the border areas.

The Centre-State relations are deteriorating day by day. Disputes are rising sometime on the question of Governor, sometime on the question of Reserve Police etc. This is only the beginning. What will be the end I do not know. Several Parties joining together are running the Governments in many States. In this connection I would have to say that a conference of the political parties having faith in the democracy should be called to discuss the question regarding defending the democracy in our country. All like minded parties should join together to depend the future of democracy in India.

Law and order situation is deteriorating in Uttar Pradesh. Ruling Party has started taking political revenge. Reports have been lodged with Police against three hundred persons in Meerut constituency. The name of the wife of Shri Raghuvir Singh Shastri, M P. is also included in them. Two workers of the B.K.D. have been murdered in Gorakhpur after the elections. These things if allowed to continue, will create difficulties for the State as well as for the Central Government. An impartial tribunal should bs appointed to look into these affairs.

Disputes amongst the State should be solved amicably. Some solutions should be found out for all these disputes. The Central Government should abondan the poli y of postponing the decisions in this regard.

Shri Lobo Prabu has stated that there is a tendency to distrust the minorities. In this connection I would say that we definitely distrust those people who live here but who think for Karachi. We distrust the people who in the disguise of a religious missionary indulge in anti-national activities. All such people should be expelled from

here. There were about 6,393 foreign Christian missionary in India at the end of 1968 according to the report of the Home Ministry.

Some firm policy should be announced in regard to prohibition at least in this year of Gandhi Centenary.

I know about 14 cases in which Union Public Service Commission have made illegal appointments. I will send these cases to the Hon. Home Minister. There should be a tendency in the Union Public Service to take important decisions. No pressure of any kind should be put on them.

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णनगर) : इस चर्चा में भाग लेने के लिये मुझे जो अवसर प्रदान किया गया है उसके लिये मैं अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करती हूँ।

मुझे प्रसन्नता है कि गृह-कार्य मन्त्रालय ने केन्द्रीय रक्षित पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए अधिक अनुदानों की माँग की है, यह बहुत ही आवश्यक था। इसके लिये मैं गृह-कार्य मन्त्री को धन्यवाद देती हूँ।

पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है उसका इस बात से पता लगता है जब विद्यार्थियों ने बी०एस०सी की परीक्षाओं में गड़बड़ की तो पुलिस खड़ी वहां तमाशा देखती रही। इसी प्रकार जब लोगों को 24 घन्टे में घर छोड़ने की अथवा उनको मरने के लिये तैयार रहने की धमकी दी जाती है तो पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। वहां की सरकार क्या रवैया अपना रही है इन बातों से इसका पता लगता है।

कहा जाता है कि केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण होने चाहिये। परन्तु ऐसा किस प्रकार हो सकता है जबकि अभी एक सार्वजनिक सभा में श्री ज्योतिबसु ने कहा कि पाकिस्तान में जो आन्दोलन चल रहा है हम उसका स्वागत करते हैं और बंगाल के लोगों को उसमें हाथ बटाना चाहिए। एक अन्य सदस्य श्री सुधीर कुमार ने कहा कि हमने बंगाल पर विजय पाली है और अब दिल्ली पर विजय पायेंगे। संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य श्री नारायण दास ने कहा कि हमारा अगला कदम दिल्ली की केन्द्रीय सरकार को उलटना होगा। मेरा निवेदन है कि ऐसे समय में शांति प्रिय सभी शक्तियों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। पुलिस को किसी राजनैतिक नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए। पुलिस को लोगों की रक्षा करनी चाहिए तथा विधि व्यवस्था बनाये रखनी चाहिए। किसी भी हालत में केन्द्रीय रक्षित पुलिस को पश्चिम बंगाल से नहीं हटाया जाना चाहिए।

मैंने कत्ल तथा लूटमार के 35 मामलों की ओर पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री का ध्यान दिलाया है। मैं एक सीमावर्ती क्षेत्र से आती हूं। हमें पता है कि पाकिस्तान तथा चीन का हमारे प्रति क्या रवैया है। इसलिए अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमें अपनी सीमा सुरक्षा सेनाओं को शक्तिशाली बनाना चाहिए। सीमान्त क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत करने की आवश्यकता है। नाडिया में सीमा सुरक्षा सेना से मुझे पता चला है कि कुछ सीमान्त सड़कें जरा सी वर्षा होने पर चलने योग्य नहीं रहती। सीमान्त क्षेत्रों में सड़कें ऐसी होनी चाहिए जो पूरे वर्ष चलने योग्य हों।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सीमा के साथ साथ अल्प संख्यक लोग रहते हैं। वे बहुत ईमानदार तथा निष्ठावान हैं। उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए अनुरोध किया है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें भारत का नागरिक बनाने में कोई कठिनाइयां हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि उन्हें तंग

नहीं किया जाना चाहिये और यदि वे भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहें, तो उन्हें भारत की नागरिकता बिना विलम्ब प्रदान कर दी जानी चाहिए।

भ्रष्टाचार के बारे में विरोधी सदस्यों द्वारा इतना शोर किया जाता है परन्तु पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के रवैये को देखिये। बताया जाता है कि भ्रष्टाचार-विरोधी न्यायाधिकरण के बारे में वहाँ पर विवाद उठ खड़ा हुआ था और संयुक्त मोर्चे की शनिवार को हुई बैठक में उन्होंने फैसला किया कि भ्रष्टाचार विरोधी/न्यायाधिकरण स्थापित करने के बारे में विचार करने में उन्हें काफी समय लगेगा। उसके विपरीत केन्द्रीय सरकार का दृष्टि कोण क्या है ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो बधाई का पात्र है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की है और अब तक 50 सरकारी कर्मचारियों, जिन में दो राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं, और 57 गैर-सरकारी व्यक्तियों को दोषी सिद्ध किया और 1,24,302 रुपये जुर्माना लगाया गया है। विभागीय जांचों के आधार पर भी भ्रष्ट कर्मचारियों को दण्ड दिया गया है।

न्यायालयों में बहुत से मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं। लोगों को तुरन्त न्याय दिलाने के लिए इन मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय में 61,541 मामले अनिर्णीत पड़े हैं इनमें से बहुत से मामले आय-कर से सम्बन्धि मामले भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि कोई न कोई उपाय जरूर किया जाना चाहिए जिससे इन मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। आय-कर के रूप में इतनी राशि बकाया है कि यदि वह वसूल हो जाये तो हमारी वित्तीय कठिनाइयां काफी हद तक दूर हो सकती हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों को आजीवन पेंशन दी जानी चाहिए। उन्हें बहुत थोड़ी पेंशन दी जाती है। मैं ऐसे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को जानती हूँ जिनकी पेंशन जून या जुलाई 1969 में समाप्त होने वाली है। मुझे आशा है कि सरकार मेरे इस सुझाव को मान लेगी ?

अन्दमान की कोशीय जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। वहां पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों तथा महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का मूल्यवान समय व्यतीय किया है। उनकी यादगार हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। उनके नाम वहां पर पत्थरों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने चाहियें। मुझे आशा है कि उस जेल को गिराया नहीं जायेगा और उसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा।

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam) : There is an agitation going on in Telangana in Andhra Pradesh. Telengana is a backward area. It has been a victim of feudal exploitation. From the economic and cultural point of view it has remained backward for the last so many centuries.

At the time of formation of Andhra Pradesh, enough thought was given to the backwardness of Telangana in comparison with the rest of Andhra Pradesh and as a result thereof an agreement was reached which became famous by the name of "gentleman's agreement". Under that agreement certain special facilities were to be given to Telengana area and the Andhra Pradesh Government were to implement them. One of the main features of the agreement was that only residents of Telangana were to be appointed on non-gazetted posts in Telengana area and the revenue from Telangana was to be spent on the development of Telangana itself. A committee comprising of legislators from Telangana had also been formed.

For the last so many years Andhra was making progress peacefully and there was

more and more emotional integration between the various regions of the State. All of a sudden regional feeling burst out. I therefore urge that serious thought should be given to this agitation and its causes ascertained. Otherwise bitterness between the Telangana region and the rest of Andhra Pradesh will mount up and the progress of the whole State will get blocked.

The condition regarding appointment of residents of Telangana on non-gazetted posts inside Telangana region has been violated to some extent. The revenue from that area has also not been used for the development of that area. It is our experience that things so happen that a backward area remains a backward area and the relatively developed area is developed more and more. If we want to stop this, we shall bave to take definite decisions at the political, economic and administration levels and implement them in right earnest.

The State Government has now decided that the unspent revenue shall be spent on the development of Telangana region during the Fourth Five Year Plan. This is a wise decision. But only taking a decision is not enough. What is more important is its implementation. Some programme should be chalked out and the amount earmarked for this area for a particular year should be spend during that very year. The State Government is making such an arrangement and I hope that this arrangement will succeed.

Almost in every State in India there are some regions which are comparatively backward. It is impossible to reorganise the States on the basis of their backwardness. My suggestion is that the Planning Commission should prepare a specific plan for the proper and timely development of backward areas and get it implemented through the States. Separate allocations should be made for such a plan and these allocations should not be utilised for other purposes.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Home Minister deserves congratulations on the tactful handling of the problem of hill districts of Assam and the problem of Nagaland by his Ministry.

Sheikh Abdullah has been straightened. The foreign and communal elements in Kashmir have been curbed and the situation has been considerably improved there. Mid-term elections in 4-5 States have been completed peacefully and in a free and fair manner. For these also, the Home Minister deserves our congratulations.

He also deserves our congratulations for getting through the Language Bill—a most controversial Bill—by taking into confidence the various parties in India. The role played by him in regard to Centre-State relations also deserves our commandation.

About one thousand cases of policemen belonging to Haryana are pending in the courts. These cases may be considered favourably and sympathetically so that these persons may not become victim of unemployment.

More persons from Haryana should be enrolled in the Delhi Police because the Haryana stock is famous for its bravery and heroic deeds.

मैसूर के लिये आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण*

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL FOR MYSORE**

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : सभापति महोदय मुझे मैसूर में एक नया बैंच स्थापित करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है । जहां भी ऐसे बैंच स्थापित करना उचित हो वहां पर ये

*आधे घण्टे की चर्चा

**Half-an-hour discussion.

स्थापित किये ही जाने चाहिये। 28 नवम्बर 1968 के मेरे प्रश्न संख्या 2509 के उत्तर में माननीय विधि मन्त्री ने बताया था कि पश्चिम बंगाल में 14,749 अपीलें अनिर्णीत पड़ी हैं और बम्बई में 10,488 और मैसूर में केवल 819 अपीलें अनिर्णीत पड़ी हैं। 1 सितम्बर 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 392 पर पूछे गये मेरे अनुपूरक प्रश्न, कि मैसूर में अपीलों की संख्या इतनी कम होते हुए भी वहां पर नया बैंच स्थापित करने के क्या कारण थे, के उत्तर में माननीय विधि मन्त्री ने बताया था कि बंगलौर में बैंच मैसूर राज्य में करदाताओं की सहायता के लिये खोला गया था ताकि उन्हें अपनी अपीलों की सुनवाई के लिये बम्बई न जाना पड़े। उन्हें बताया कि बम्बई तथा कलकत्ता में सबसे अधिक अपीलें अनिर्णीत पड़ी हैं परन्तु वहां पर नया बैंच खोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि विभागीय अधिकारियों तथा वकीलों की कमी के कारण वहां पर उस अनुपात में अपीलों का निपटारा नहीं हो सकेगा जोकि एक नये बैंच के खोले जाने से होने चाहिये।

माननीय विधि मन्त्री का तर्क मेरी समझ में नहीं आया है। जब देश में इतने अधिक शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं तो अधिकारियों की कमी की बात करना बेमानी है। इसी तरह वकीलों की कमी की बात करना भी बिल्कुल बेमानी है। इसलिए ऐसे स्थानों पर जहां काफी बड़ी संख्या में अपीलें अनिर्णीत पड़ी हैं नए बैंचों के खोलने से न केवल उन अपीलों की सुनवाई हो सकेगी अपितु अधिक व्यक्तियों तथा वकीलों के लिये रोजगार की व्यवस्था भी हो जायेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि मन्त्री महोदय को नए अधिकारियों की नियुक्ति तथा नए वकील रखे जाने में क्या आपत्ति है।

लोगों को न्याय तुरन्त मिलना चाहिये। इसमें देरी नहीं होनी चाहिये। मुझे पता चला है कि कलकत्ता में अपील दायर किये जाने के लगभग 42 महीने बाद उसकी सुनवाई होती है। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि मैसूर में जहां अनिर्णीत अपीलों की संख्या केवल 819 थी नया बैंच स्थापित करने का क्या औचित्य था। मुझे बताया गया है कि यह बैंच कलकत्ता अथवा बम्बई जैसे केन्द्रों का दौरा भी करेगा और जहां तक संभव होगा अपीलों को निपटाने में उनकी मदद भी करेगा। इस तरह से बैंच के साथ जाने वाले विभागीय अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में होने वाली असुविधा तथा कठिनाई के अलावा ऐसे बैंच को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भारी व्यय करना पड़ेगा।

प्रत्यक्ष करों से सरकार को काफी बड़ी राशि प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या हमारी कुल जनसंख्या का केवल 0.5 प्रतिशत है परन्तु उनसे प्राप्त होने वाला राजस्व कुल राजस्व का लगभग 20 प्रतिशत है। परन्तु यह बड़े दुःख की बात है कि ये ही वे लोग हैं जिन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, तंग किया जाता है और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। हाल में विधायकों द्वारा करदाताओं और कर निर्धारित करने वालों की निन्दा किया जाना एक फैशन सा बन गया है। उन्हें चोर तथा बदमाश समझा जाता है जबकि हमारा राजस्व ढांचा इन्हीं के सहारे खड़ा है। यदि हम गाय से दूध प्राप्त करना चाहते हैं तो हम प्यार-दुलार से ही प्राप्त कर सकते हैं।

आज स्थिति क्या है। आय-कर विभाग की सूची में होना आजकल पाप तथा अपराध

समझा जाता है जबकि पहले इसे सम्मान, समृद्धि तथा आदर का सूचक माना जाता था। आज के दिन कोई भी आय-कर दाता बनना पसन्द नहीं करेगा क्योंकि सारी प्रणाली ही अपमानजनक तथा परेशान करने वाली है।

ऊपर से लेकर नीचे के अधिकारियों के बराबर हस्तक्षेप के कारण आय-कर विभाग एक तरह का नरक सा बन गया है और इसमें बहुत अधिक गिरावट आ गई है। कोई भी अधिकारी कोई जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है जोकि कानून द्वारा उसे सौंपी गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ऐसे मामलों में जिनमें करदाता की आय 10,000 और 20,000 रुपये के बीच होती है, उनकी आय जरा से सन्देह पर 2-3 लाख, यहां तक कि 5 लाख तक आंकी जाती है। इसीलिये इन अपीलीय न्यायाधिकरणों को स्थापित करने की आवश्यकता हुई है।

मुझे इन न्यायाधिकरणों के सामने काफी समय तक अपीलों की पैरवी करने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि ये न्यायाधिकरण अपना कर्तव्य बड़ी खूबी से पूरा कर रहे हैं। परन्तु हाल ही में विधि मन्त्रालय ने इनके काम में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मन्त्रालय के सचिव ने न्यायाधिकरणों को आदेश जारी किये हैं कि वे कम से कम कुछ संख्या तक तो मामले निपटाएं या रोक याचिकाओं को एक विशेष ढंग से निपटाएं। मुझे आश्चर्य है कि क्या विधि सचिव या विधि मंत्री उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी इस तरह के आदेश जारी कर सकते हैं।

न्यायाधिकरण एक न्यायिक संस्था है और इसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया जायेगा तो इसका स्वतन्त्र रूप कायम नहीं रह सकता। ये न्यायाधिकरण तो डूबने के लिये तिनके का सहारा है। परेशानी से तृप्त करदाता राहत के लिये इनकी शरण लेते हैं और यहां पर उन्हें कुछ राहत मिलती है।

गत सत्र के दौरान मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 2508 के उत्तर में माननीय वित्त मन्त्री ने बताया था कि इन न्यायाधिकरणों में पेश की गई लगभग 76 प्रतिशत अपीलें सही पाई जाती हैं। इससे पता लगता है कि शुरू में कर निर्धारण कितनी लापरवाही से किया जाता है। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि आय-कर विभाग ने इन न्यायाधिकरणों के निर्णयों के बारे में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में भी अपील की है और अधिकतर मामलों में इन न्यायाधिकरणों के निर्णयों की पुष्टि हुई है। इसलिये इन आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरणों का हमारे कर-प्रशासन ढांचे में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

चूंकि कर निर्धारण मनमाने ढंग से किया जाता है, इसीलिये अधिकाधिक करदाता इन न्यायाधिकरणों की शरण लेते हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि इन न्यायाधिकरणों को स्वतन्त्रता से काम करने दिया जाये।

इन न्यायाधिकरणों में केवल पेशेवर व्यक्ति लेने का निर्णय किया गया था परन्तु हाल ही में सेवाओं से, अर्थात वित्त तथा विधि मन्त्रालय से, अधिकारी भर्ती करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसी प्रवृत्ति इस संस्था की भावना के विरुद्ध होगी। इसलिए यह जरूरी है कि वकीलों तथा लेखापालों में से योग्य व्यक्तियों को इन न्यायाधिकरणों के सदस्य बनने के लिये राजी किया जाये। यहां तक उपलब्धियों तथा परिश्रमिकों का सम्बन्ध है वे देश में योग्य तथा प्रतिभावान

युवकों को आकर्षित करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। अतः इनकी उपलब्धियों एवं सुविधाओं के सुधार के साथ ही, पदोन्नति के अवसरों को भी बढ़ाया जाना चाहिए तथा उन्हें उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीश भी बनाना चाहिए।

आय-कर-विभाग में लिपिक अथवा निरीक्षक उच्चतम पद तक पहुंच सकता है परन्तु न्यायाधिकरण में ऐसी व्यवस्था नहीं है मेरा सुझाव है कि न्यायाधिकरण में भी पदोन्नति के अवसर अधिक बनाये जाने चाहिए। वहाँ भी योग्य व्यक्तियों की पदोन्नति होनी चाहिए।

सभा में उप-प्रधान मन्त्री एवं वित्त मंत्री ने बकाया कर एकत्र करने में अधिकारियों की अक्षमता की चर्चा की है। मेरा निवेदन है कि 50%मामलों में निर्धारित करों के विरुद्ध अपीलें की हुई है इसलिए वे कर अभी उगाहने योग्य नहीं हुए हैं। इस प्रकार अधिक अधिकरणों की स्थापना द्वारा यहां कर-दाताओं को लाभ होगा वहाँ सरकार को भी लाभ होगा। कलकत्ता बम्बई आदि नगरों में अधिक मामलें अनिर्णीत पड़े हैं वहां अधिक न्यायपीठ स्थापित की जाने चाहिए।

इस मामले में आध घण्टे की चर्चा की अनुमति दी जाय तथा आवश्यक है कि अनुभवी मन्त्रियों तथा संसद सदस्यों का एक आयोग भी स्थापित किया जाये जो न्यायाधिकरणों के कार्यों के सुधारों के बारे में सुझाव दें।

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मू० यूनस सलीम) : इस समय आय-कर अधिकरण के 19 न्यायापीठ हैं जिनमें से बम्बई में चार, कलकत्ता में चार, दिल्ली में तीन, मद्रास में दो, तथा इलाहाबाद, पटना, कोचीन, अहमदाबाद तथा बंगलौर में एक-एक। उनका कार्य सहायक अपीलीय आय-कर आयुक्तों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना है। तथ्यों के प्रश्न पर उन्हें पूर्णाधिकार प्राप्त हैं।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : विभाग इनके फैसलों के विरुद्ध अपील करता है।

श्री मु० यूनस सलीम : अधिकरण की कार्य-क्षेत्र-सीमा सभी प्रत्यक्ष करों यथा आय-कर, उपहार-कर, सम्पदा कर, सम्पत्ति कर, व्यय कर एवं उपहार कर के मामलों पर लागू होती है। इस प्रकार सहस्रों मामले अपील के लिए आते हैं। वित्त मन्त्रालय की नई व्यवस्था के अनुसार राजस्व विभाग के कर्मचारी वृन्द की संख्या बढ़ाई गई है परिणामतः अधिक मामले निपटाएं गये हैं। कर-निर्धारण एवं अपीलों की सुनवाई की गति तेज हो गई है।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों की वृद्धि के कारण न्यायाधिकरण का कार्य बढ़ गया है। अपीलों की संख्या बढ़ गई है और उनके शीघ्र निपटारे के लिये कुछ पग उठाये गये हैं। प्रथमतः एक सदस्य 25000 रुपये तक की अपीलों को निपटा सकता है क्योंकि उन्हें यह शक्ति प्रदान की गई। इस सीमा को हम 50000 रुपये तक बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार एक समय में ही कई अपीलें निपटाई जा रही है।

दूसरे इन न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाये जाने वाले मामलों की सीमा 120 से बढ़ाकर 150 प्रति मास की जा रही है। यह संख्या, सम्बन्धित व्यक्तियों के परामर्श से ही निश्चित की गई है जिससे कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका न रहे। अधिकरणों को नीति निर्देश दिये गये हैं कि

वे अपने कार्यों में सतर्क रहें तथा मुकदमों को स्थगन करने के बारे में वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहानों पर ध्यान दें ।

तीसरा उपाय यह किया गया है कि उन्हें परामर्श दिये गये हैं कि छोटे मामलों में तत्काल ही निर्णयों की घोषणा कर दे और निर्णयों को सप्ताहों/मासों तक रोके न रखें । उन्हें सप्ताह में कम से कम पांच दिन तथा प्रतिदिन कम से कम पांच घण्टे कार्य करना चाहिये ।

इस बारे में यह पाया गया था कि अपीलों की संख्या बढ़ रही है अतएव निश्चय किया गया कि हर राज्य में कम से कम एक आय-कर-अपीलीय न्यायाधिकरण हो । जिन राज्यों में न्यायाधिकरण नहीं है उनके अपील के मामले संलग्न राज्य में निपटाये जायें । मैसूर में बचे हुए मामलों की संख्या अधिक होते हुए भी वहां एक नया अधिकरण स्थापित किया गया है । परन्तु उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि मैसूर राज्य सम्बन्धी अपीलें महाराष्ट्र में बम्बई उच्च न्यायालय में पेश की जाती हैं । वहां ऐसे बकाया मामलों की संख्या बढ़ रही है । हर राज्यों में प्रथम अधिकरणों की स्थापना से बड़े नगरों में कार्य पर काबू पाया जा सकेगा ।

सभापति महोदय : यह आध घण्टे की चर्चा है । हमें 5 मिनट में समाप्त करना है । कुछ सदस्य अभी प्रश्न पूछेंगे जिनका आपको उत्तर देना है ।

श्री मु० यूनस सलीम : इन अधिकरणों के समक्ष लाई गई अपीलों का निपटारा शीघ्र करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । अधिकरणों के सदस्यों को न्यायपीठ में लिया जाता है । उसके सभापति का चुनाव उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है तथा अन्य सदस्यों का चयन उनकी कार्यक्षमता तथा उनके विधि-ज्ञान के आधार पर किया जाता है । अधिकरण के अन्य कर्मचारियों के साथ सामान्य सरकारी कर्मचारियों के समान व्यरहार होता है और किसी भी प्रकार के असंतोष की सूचना नहीं मिली ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : सभापति महोदय, जहां तक मामले के महत्वपूर्ण बातों का सम्बन्ध है यह अपीलीय अधिकरण अन्तिम न्यायालय हैं और इसमें जो कार्य हुआ है वह इनके पीठासीन अधिकारियों के हैं और विधि-ज्ञान और कर्त्तव्य परायणता के कारण ही हुआ है । क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि किसी पीठासीन अधिकारी की पदोन्नति करते समय महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से परामर्श लिया जायगा क्योंकि पीठासीन अधिकारी बम्बई में बैठता है और विधि मंत्री उसको मनोनीत करता है । यदि किसी व्यक्ति का नामनिर्देशन वरिष्ठता के अनुसार न हो तो न्यायाधिकरण के कर्मचारियों से असंतोष के कारण काम ठीक प्रकार होना कठिन होगा । अतः क्या यह आश्वासन दिया जायेगा कि अधिकरण के निर्णयों पर विधि मंत्रालय कोई निर्णय नहीं लेगा । बम्बई में न्यायाधिकरण की यह चार पीठ है ।

क्या मंत्री महोदय उनमें से एक नागपुर में स्थानान्तरित करेंगे जिससे उस क्षेत्र के लोगों को लाभ हो ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इन न्यायाधिकरणों की कार्यवाही न्यायिक न हो कर अर्द्ध-न्यायिक है । क्या मंत्री महोदय उन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम

न्यायालय के अधीन करेंगे जिससे उनके ऊपर शासकीय दबाव न रहे। इसके कारण उचित न्याय प्राप्त हो सकेगा।

अनुसचिवीय कर्मचारियों में कदाचरणों रोकने के उद्देश्य से उनकी उपलब्धियों में वृद्धि पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये।

इन मामलों के निपटाने में एक लम्बी प्रक्रिया को निभाना पड़ता है जिससे सरकार एवं जनता को हानि होती है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार क्या प्रभावशाली पग उठा रही है।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : May I know what is the reaction of the people of Madras and Bangalore in regard to the Second Appellate Tribunal established at Bangalore ?

What is the proportion of Income-tax evasion in Mysore State in comparison to the tax evasion of whole of India ? How many Income-tax evasion cases are pending in these courts ?

This entire affair of Income-tax is due to the disparity in incomes. May I know whether the Government propose to fix a ceiling of incomes through a bill ?

सभापति महोदय : इस कठिन समस्या को यहां नहीं लिया जा सकता।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I am in favour of one Tribunal being shifted from Bombay to Nagpur. But may I know whether three or four years are being taken to settle these cases and due to this reason thousands of cases are pending in the courts. Will the Government decentralize the Tribunals in States immediately for early finalisation of these cases ?

Will the Government initiate steps for the establishment of Tribunals in those States where these have not been established ?

श्री मु० यूनस सलीम : पीठासीन अधिकारी पद के लिये सदस्यों की पात्रता, वरिष्ठता, योग्यता एवं कार्य की जाँच की जाती है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनका चयन गुणों के आधार पर होता है न कि राजनैतिक अथवा शासकीय प्रभावों के कारण।

अधिकरणों के सदस्यों के चयन के लिए एक समिति नियुक्त है जिनके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं।

नागपुर में अधिकरण की पीठ की स्थापना के प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार किया जायेगा।

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नियुक्तियों आदि को राजनैतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाता है।

श्री रणजीत सिंह : उन्हें उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के अधीन क्यों नहीं करते।

सभापति महोदय : यह आधे घण्टे की चर्चा है।

श्री मु० यूनस सलीम : यहाँ तक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के क्षत्राधिकार का सम्बन्ध है, वे अधिनियम के अन्दर...

श्री रणधीर सिंह : मैंने विधि मंत्रालय के स्थान पर उच्च न्यायालय के नियन्त्रण एवं देखरेख के बारे में पूछा था ।

श्री मु० यूनस सलीम : यह न सम्भव है और न ही विचाराधीन है । मैसूर राज्य में नये अधिकरण पीठ की स्थापना के बारे में हमें किसी ओर से कोई आपत्ति नहीं मिली है ।

Shri George Fernandes : Bombay and Calcutta are the places where almost the entire assessment of the country is made. Why does the Government not increase the number of tribunals there.

श्री मु० यूनस सलीम : अधिक अधिकरण पीठों की स्थापना से मामलों का शीघ्र निपटारा सम्भव नहीं क्योंकि अधिवक्ता गण सीमित संख्या में उपलब्ध होते हैं । वे लोग एक समय में एक ही अधिकरण पीठ में उपस्थित हो पाते हैं ।

सभापति महोदय : आपने उत्तर दे दिया है । विवाद का कोई प्रश्न है ?

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 28 मार्च, 1969/7 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday March, 28, 1968/Chaitra 7, 1891 (Saka)

———

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6 ।

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]